रजि० सं० डी० एल०—33001/94 REGISTERED NO. DL-33001/94

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 24, 1994 (आसविन 2, 1916)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 24, 1994 (ASVINA 2, 1916)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गईं विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली–110002, दिनांक 5 अगस्त 1994

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस)

शुद्धिपत्र

सं० 3-एन०सी० ए० (5)/ 7/ 93-94—अधिसूचना सं० 3-एन० सी०ए० (4)/2 /93–94, दिनांक 7–3–94 के दिनांक 9 पर लिखा हुआ निम्नलिखित सदस्य का नाम उसमें से हटा दिया जाये ।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता
1.	11393	श्री प्रेम बन्धु कपिल, 28, सूट फील्ड क्रिसेंट, स्कारबोरो, आन्टारियो, एम० (एस० 4 ई), कनाडा

ए० के० मजूमदार
सचिव

दिनांक 8 अगस्त 1994

शुद्धि पत्र

सं० 3-एन० सी० ए० (5)/ 1/ 94–95— अधिसूचना सं० 3-एन० सी० ए० (5)/ 5/93 94, दिनांक 30-5-94 के क्रमांक 46 पर लिखा हुआ निम्नलिखित सदस्य के नाम को पुनः स्थापित करने की तिथि 8-2-94 की बजाय 10 11-93 पढ़ी जाये :

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता
1.	86530	श्री कुशल कुमार दास, ए०सी०ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, जे०–101 एन०डी०एस०ई० पार्ट–1, नई दिल्ली-110049

ए० के० मजूमदार,
सचिव

बम्बई, दिनांक 15 जुलाई 1994

सं० 3-डब्ल्यू० सी० ए० (5)/ 6/94-95--इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3-डब्ल्यू० सी० ए० (4) 15/ 89-90, दिनांक 20-12-89, 3-डब्ल्यू० सी० ए० (4) 11/ 91-92, दिनांक 27-01-92, 3 डब्ल्यू सी० ए० (4)/5/ 92 93, दिनांक 01-12-92, 3 डब्ल्यू० सी० ए० (4) 3/93-94, दिनांक 31-12-93 के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता-रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है ।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	016738	श्री छाजेड प्रेमचन्द फूलचन्द, ए०सी०ए०, 8, जीजामाता को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, नेहरू नगर, कुर्ला, बम्बई-400024	04-04-94
2.	032653	श्री मर्चेण्ट इनायत हुसैन, मुहम्मद 46/138 यार्कलैण्ड स्ट्रीट, (ए०सी०ए०) रिचमण्ड हिल, ओन्ट कनेडा, एल०बाई०एस०, आई० जे० आई०	30-06-94
3.	035055	श्री शाह जितेन्द्राकुमार, कांतिलाल, डी/16, वनाश्री, एल० टी० रोड, बम्बई-400002	24-06-94
4.	036112	श्री मिस्त्री हरेश धरमशी, ए०सी०ए०, 826/27 बुधवार पेठ सोनया मारुती चौक, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर, 3 रा मंजिला, पुणे 411002	09-05-94
5.	037579	श्री रघुराय वेंकटेश, ए०सी०ए०, 3, ऊषा अपार्टमेंटस, नवघर क्रास रोड, मुलुण्ड (पू०), बम्बई-400081	17-06-94
6.	037935	श्री गोयपोरिआ मानेक नादिरशा, बि० सं० 17, फ्लेट सं० 24, यू०टी०आई० स्टाफ क्वार्टर्स, बांद्रा रिक्लेमेशन पश्चिम, बम्बई-400050	07-07-94
7.	039512	श्री छेडा रमेश दामजी, ए०सी०ए०, रमेश डी० डी० छेडा एण्ड कं०, राधा अपार्टमेंटस, तल मंजला, आफिस सं० 1 बर्वे मार्ग, कुर्ला बस डिपो के पास, बम्बई-400070	27-04-94
8.	042476	श्री चन्द्रशेखर आर०, ए०सी०ए०, 2-सी०, कोर्ट चेम्बर्स, 35, न्यू मरीन लाइन्स, बम्बई-400020	23-06-94
9.	042590	श्री ठाकुरदेसाई सूरेन, श्री कृष्णा, ए०सी०ए०, 3, आशीर्वाद, महर्षि कर्वे रोड सोपाडा थाना-400602	20-06-94

ए० के० मजूमदार,
सचिव

(शुद्धि)

सं० 3-डब्ल्यू० सी० ए० (5) 5/ 94-95--इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3-डब्ल्यू० सी० ए० (5) 11/ 93-94, दिनांक 20 अप्रैल, 1994 में क्र० सं० 157 पर श्री छाजेड प्रेमचन्द फूलचन्द, 8, जीजामाता को० आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०, कुर्ला (पूर्व), बम्बई-400 024, का नाम पुन स्थापित करने की अधिसूचना में दे दिया गया था, जिसे अब हटा हुआ/रद्द माना जाय ।

उसका सदस्यता संख्या 016738 है ।

ए० के० मजूमदार,
सचिव

शुद्धि

मद्रास-600034, दिनांक 22 जुलाई 1994

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

सं० 3-एस०सी०ए० (5)/ 16/ 93-94--इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3 डब्ल्यू० सी० ए० (4)/11/87-88, दिनांक 5 जनवरी, 1988, 3 एस सी० ए० (4)/ 2/ 90-91, दिनांक 12 नवम्बर 1990, सं०-एस० सी० ए० (4)/ 3/ 92-93, दिनांक 27 नवम्बर 1992, 3-एस० सी० ए० (4)/ 3/ 93-94, दिनांक 11 जनवरी 1994 और 3 एस० सी० ए० (4)/5/93-94, दिनांक 5 मई 1994, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है ।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	34352	श्री गनेसन, एस०वी०, ए०सी०ए०, सी-89, सैकिड मेन रोड, टी०वी० नगर अम्बात्तुर, मद्रास-600053	16-02-94
2.	54738	श्री राजेश अग्रवाल, ए०सी०ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 28-2-4 (2 फ्लोर) प्रकाश राव पेटा, विशाखापटनम 530002	23-02-94
3.	87199	श्री अनिल कुमार गांधी, ए०सी०ए०, 6 2 फ्लोर, कनाकाश्री नगर, नियर म्यूजिक अकादमी, आफ कैटेड्रल रोड, मद्रास-600086	31-03-94
4.	201312	श्री रामकुमार आर०, ए०सी०ए०, बी०एम०एम०आई० ट्रेवल सैन्टर, पी० ओ० बाक्स नं० 828, मनामा, बहरैन	01-10-93

1	2	3	4
5.	200341	श्री गोपाला कृष्णा भदर्दाकी, ए०सी०ए०, चार्टर्ड एकौउन्टैन्ट, बोक्स सं० 275, गैबरोने, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना	01-10-93
6.	18897	श्री चन्द्रशेखरन के०, ए०सी०ए०, प्लोट 211, श्री अयप्पा नगर, मद्रास-600111	01-10-93
7.	29013	श्री सुन्दरराजन सी०जी०, ए०सी०ए०, 110, 7 क्रोस 5 मैन, श्रीनिवासा नगर, बंबी०एस०के० 1 स्टेज, बंगलौर-560050	01-10-93
8.	18778	श्री रघुनाथन,बबी०, ए०सी०ए०, 1-सी० इडन अपार्टमेंटस, किलपौक गार्डन रोड, 1 स्ट्रीट, मद्रास-600010	01-10-93
9.	28746	श्री उन्नीकृष्णन पी०सी०, ए०सी०ए०, सुनया थैक्कल्लुकरा पी० ओ०, आलवे-683106	01-10-93
10.	25321	श्री रविन्द्रन एस०, ए०सी०ए०, केयर आफ एस०ई०बी० 5 फ्लोर, 498 अन्ना सलाई, नन्दनम, मद्रास-600035	01-10-93

ए० के० मजूमदार,
सचिव

कानपुर-208001, दिनांक 15 अक्तूबर 1994

सं० 3-सी० सी० ए० (8) (2) /93-94--चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम सन् 1988 ई० के विनियम 10 (1) खण्ड 3 के अनुसरण में एतद्-द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किया गया प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथि से रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वह अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं है :—

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	70125	श्री बी० के० सिंघानिया, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 111/134, हर्ष नगर, कानपुर-208012	01-07-92

ए० के० मजूमदार,
सचिव

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 13 सितम्बर 1994

अधिसूचना

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं. 1-सी. ए. (7)/5/45/94—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम 1949 की धारा 18 की उप धारा (5) के अनुसार 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिषद् के प्रतिवेदन तथा अंकेक्षित लेखा की एक प्रति सर्वसाधारण की जानकारी हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित की जा रही है।

ए. के. मजूमदार
सचिव

---

31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 45वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान की परिषद् को 1 अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1994 तक की अवधि की अपनी 45वीं वार्षिक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) प्रस्तुत करने में अत्याधिक प्रसन्नता हो रही है। रिपोर्ट में परिषद् और उसकी विभिन्न समितियों के महत्वपूर्ण कार्यकलापों को दर्शाया गया है। रिपोर्ट में आयोजित किए गए सेमिनारों और सम्मेलनों, संचालित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सदस्यों एवं छात्रों से संबंधित सुसंगत आंकड़ों तथा संस्थान के वर्ष 1993-94 के लेखाओं को भी सम्मिलित किया गया है। तथापि, सितम्बर, 1994 के प्रथम सप्ताह तक संस्थान के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का भी संक्षेप में उल्लेख किया गया है।

1. परिषद्

1.1 परिषद् तथा उसकी विभिन्न समितियों के सदस्य :

15वीं परिषद् का गठन, जो पांच प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित 24 (चौबीस) सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट (मनोनीत) छह सदस्यों से मिल कर होगा, 18 जनवरी, 1992 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान केन्द्रीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र से परिषद् के एक सदस्य डा. धर्मेन्द्र भंडारी ने परिषद् की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था जिसके परिणामस्वरूप 21 मई, 1994 से परिषद् में एक स्थान रिक्त हो गया। उक्त सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण परिषद् में हुए रिक्त स्थान को भरने के लिए सोलहवीं परिषद् और पन्द्रहवीं प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचनों के साथ ही साथ केन्द्रीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र से उप-चुनाव 2 दिसम्बर, 1994 को कराया जाना निश्चित हुआ है। परिषद् की संरचना रिपोर्ट के परिशिष्ट-1 में दी गई है।

1.2 अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष :

श्री एन. पी. शारदा, एफ. सी. ए., मुम्बई तथा श्री बी. पी. राव, एफ. सी. ए., बंगलौर 17 जनवरी, 1994 तक संस्थान के क्रमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। परिषद् दोनों ही व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता और हार्दिक आभार प्रकट करती है।

परिषद् ने 16, 17 तथा 18 जनवरी, 1994 को आयोजित अपने 166वें अधिवेशन में 18 जनवरी, 1994 से 17 जनवरी, 1995 तक एक वर्ष की अवधि के लिए संस्थान के अध्यक्ष के रूप में श्री बी. पी. राव, एफ. सी ए., बंगलौर को तथा उपाध्यक्ष के रूप में श्री वाई. एम. काले, एफ. सी. ए., मुम्बई को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया है।

1.3 सचिव

श्री ए. के. मजूमदार संस्थान के सचिव के रूप में बने रहे।

1.4 परिषद् की समितियां :

परिषद् ने जनवरी, 1994 में आयोजित अपने 166वें अधिवेशन में व्यवसाय से संबंधित अनेकानेक विषयों से निपटने के लिए तीन स्थायी समितियां और गैर-स्थायी समितियों का गठन किया है। इन स्थायी समितियों और गैर-स्थायी समितियों की संरचना सहित उनकी एक सूची इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-II में दी गई है।

1.5 परिषद् के अधिवेशन :

वर्ष के दौरान परिषद् ने 7 (सात) अधिवेशनों का आयोजन किया।

1.6 लेखा परीक्षक (आडिटर) :

जबकि प्रतिवेदनाधीन वर्ष के लिए संस्थान के लेखापरीक्षक के रूप में श्री सी. पी. मेहरा, एफ. सी. ए. की पुन: नियुक्ति की गई, श्री के. एस. वी. एस. मनियन को श्री एम. आर. वेंकटरामन के स्थान पर संयुक्त लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। परिषद् उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए अपना हार्दिक आभार प्रकट करती है।

2. अनुसंधान तथा व्यावसायिक (वृत्तिक) विकास

पूर्व की भांति, परिषद् ने अपनी विभिन्न गैर-स्थायी समितियों के माध्यम से अनुसंधान, व्यावसायिक विकास, सदस्यों की सतत् व्यावसायिक (वृत्तिक) शिक्षा तथा छात्रों को शिक्षा एवम् प्रशिक्षण पर प्रत्यधिक जोर दिया है। जहां अनेक नए अनुसंधान संबंधी कार्यकलाप किए गए, वहीं संस्थान द्वारा वर्ष के दौरान अपनी विभिन्न गैर-स्थायी समितियों के माध्यम से लेखा-विधि मानक (एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड्स), लेखा-परीक्षा मानक (आडिटिंग स्टैण्डर्ड्स), विशेषज्ञ सलाह (एक्सपर्ट ओपीनियन्स), चुने सेमिनारों में उपयोग हेतु आधार-सामग्री एवं अनुसंधान अध्ययन पर अनेकानेक प्रकाशन निकाले गए हैं। इन कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं :—

(क) लेखा-मानक (एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड्स)

सरकार और अन्य अभिकरणों द्वारा संस्थान के लेखा-मानकों फार अमलगमेशन'' अर्थात् ''समामेलन लेखाविधि'' नामक एक और इस विषय की अत्यावश्यकता तथा महत्व को महसूस करते हुए संस्थान के एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड्स बोर्ड ने प्राथमिकता वाले विषयों/क्षेत्रों के संबंध में लेखामानक बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। फलस्वरूप, ''एकाउंटिंग फार अमलगमेशन'' अर्थात् ''समामेलन लेखाविधि'' नामक एक नए लेखा-मानक 14 (ए.एस. 14) को अंतिम रूप दिया गया है। ''कान्टिन्जन्सीज एण्ड इवेन्ट्स अकरिंग आफ्टर दि बैलेंस शीट डेट'' नामक वर्तमान लेखा-मानक 14 (ए. एस. 14) को पुनरीति और अंतिम रूप दिया गया है। आशा है कि दोनों शीघ्र ही प्रकाशित कर दिए जाएंगे। ''एकाउंटिंग फार दि इफेक्ट्स आफ चेंजेज इन फारेन एक्सचेंज रेट्स'' पर पुनरीक्षित लेखा-मानक 11 (ए. एस. 11) तथा ''एकाउंटिंग फार रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स इन दि फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट्स आफ एम्प्लायर्स'' पर एक अन्य नए लेखा-मानक 15 (ए. एस. 15) को भी अंतिम रूप दे दिया गया है और उन्हें शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जाएगा। कम्पनी अधिनियम, 1956 में अनुसूची 14 के अंतःस्थापन के परिणामस्वरूप ''डिप्रीशिएशन एकाउंटिंग'' (अवक्षयण लेखा-विधि) पर वर्तमान लेखा-मानक 6 (ए. एस. 6) में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं और पुनरीक्षित लेखा-मानक प्रकाशित किया गया है। ''एकाउंटिंग फार फाइनांसिंग कास्ट्स, एकाउंटिंग फार करेन्ट असेट्स एण्ड करेन्ट लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, एकाउंटिंग एण्ड डिस्कलोजर बाई बैंक्स एण्ड फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशंस तथा कैश फ्लो स्टेटमेन्ट्स पर लेखा-मानकों को विरचित करने का उत्तरदायित्व भी लिया गया है। इसके अतिरिक्त, ''प्रायर पीरियड एण्ड एक्सट्रा आर्डिनरी आइटम्स एण्ड चेंजेज इन एकाउंटिंग पालिसीज'' पर वर्तमान लेखा-मानक 5 (ए. एस. 5) के पुनर्विलोकन तथा ''फ्रेमवर्क फार दि प्रिपेरेशन एण्ड प्रेजेंटेशन आफ फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट्स'' को तैयार करने का भार भी उठाया गया है।

निगमित निकायों के लिए 1-4-1991 से या उसके पश्चात् आरम्भ होने वाली लेखा-अवधि की बाबत लेखा-मानक 1, 7, 8, 9 और 10 आज्ञापक बना दिए गए। वर्ष के दौरान, परिषद् ने इन लेखा-मानकों को गैर-निगमित निकायों/व्यष्टियों के संबंध में आज्ञापक रूप से लागू किए जाने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, विनिर्दिष्ट गैर-निगमित निकायों तथा व्यष्टियों के लिए 1-4-1993 से या उसके पश्चात् आरम्भ होने वाली अवधि के लिए लेखाओं के संबंध में इन उपर्युक्त लेखा-मानकों को आज्ञापक बना दिया गया।

लेखा-मानकों को विरचित करने की प्रक्रिया में विभिन्न हित-बद्ध ग्रुपों के विचारों पर भी सम्यक् रूप से विचार किया गया। लेखा-मानक बोर्ड का गठन इस प्रकार किया गया है कि उद्योग, संघ (एसोसिएशन) बैंकों, कम्पनी विधि प्राधिकरण, कराधान प्राधिकरण और भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस बोर्ड में अब वित्तीय संस्थाओं, सेबी, नियंत्रण-महालेखा परीक्षक के कार्यालय, प्रबंध संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। लेखा-मानक बोर्ड को और अधिक व्यापक बनाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के प्रतिनिधियों को भी बोर्ड में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

(ख) लेखा-परीक्षा मानक (आडिटिंग स्टैण्डर्ड्स)

बैंक लेखा-परीक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकासों के संदर्भ में सदस्यों को मार्गदर्शन की आवश्यकता और महत्व को देखते हुए, लेखा-परीक्षा पद्धति समिति ने ''आडिट आफ बैंक्स'' (बैंकों की लेखा-परीक्षा) की बाबत वर्तमान प्रकाशन के पुनरीक्षित संस्करण का काम पूरा कर लिया है। पुनरीक्षित प्रकाशन में विभिन्न मुद्दों/क्षेत्रों पर अद्यतन जानकारी को समाविष्ट किया गया है। अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर के महत्व को तथा बैंकों की प्रभावकारी लेखा-परीक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रकाशन का पुनरीक्षित संस्करण एक अध्ययन के बजाए एक गाइडेंस नोट के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। समिति भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संस्थाओं के साथ अपना परस्पर संबंध बनाए हुए है। फलस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की बाबत में ''लंबे प्ररूप वाली लेखा-परीक्षा रिपोर्टों'' (लांग फार्म आडिट रिपोर्ट्स; एल. एफ. ए. आर.) के प्रपत्रों को इस समिति द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित किया है।

एल. एफ. ए. आर. के पुनरीक्षित प्रपत्रों के आधार पर समिति द्वारा इस विषय पर मौजूदा मार्गदर्शन-पुस्तिका गाइडेन्स नोट) को पुनरीक्षित किया गया है। समिति ने बैंक लेखा-परीक्षा के क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण विकासों के संदर्भ में

सतत् व्यावसायिक शिक्षा समिति द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों (संगोष्ठियों) में चर्चा के लिए आधार के रूप में काम में आने वाली व्यापक आधार-सामग्री को तैयार करने का काम भी अपने हाथ में लिया हुआ है । देश में लेखा-परीक्षा मानकों को विरचित करने और सुधारने के अपने अभियान में समिति ने निम्नलिखित विषय में मानक लेखा-परीक्षा पद्धति विषयक् विवरण जारी करने का काम भी हाथ में लिया हुआ है :—

(क) दूसरे लेखा-परीक्षक के काम का उपयोग करना ।

(ख) संयुक्त लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व ।

(ग) लेखा-परीक्षा सारता (आडिट मैटीरियलिटी) ।

(घ) प्रबंध मंडल का प्रतिनिधित्व ।

(ङ) आडिट सेम्पलिंग ।

(च) पश्चात्वर्ती घटनाएं ।

(छ) लेखा-प्राक्कलनों की लेखा-परीक्षा ।

(ज) चालू समुत्थान ।

इन मानकों का निर्माण विभिन्न प्रक्रमों पर है ।

समिति ने आडिट आफ डेटर्स, लोन्स एण्ड एडवांसेज तथा आडिट आफ इंवेस्ट्रीज विषयों पर भी गाइडेंस नाट्स (मार्गदर्शन-पुस्तिका) निकाले हैं तथा डाइडेंस नोट आन् आडिट आफ इंवेस्टमेन्ट्स निर्माण के अपने अंतिम चरण में है । इसी प्रकार, गाइडेंस नोट्स आन आडिट आफ कैश एण्ड बैंक बैलेंसेज, आडिट आफ मिस्लेनियस एक्सपेंडीचर, आडिट आफ कैपीटल एण्ड रिजर्वेस, आडिट आफ लाइबिलिटीज, आडिट आफ रिवेन्यू तथा आडिट आफ एक्सपेंसेज भी विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं । समिति ई.डी.पी. एनवायरमेंट में लेखा-परीक्षा पर एक अध्ययन को तैयार करने के काम में भी लगी हुई है ।

(ग) अन्य अनुसंधान अध्ययन

पूर्व की भांति, लेखाकरण (एकाउंटिंग) तथा सहबद्ध क्षेत्र में अनुसंधान ही परिषद् की कार्यसूची में शीर्ष स्थान पर बने रहे । इसके महत्व को दर्शाते हुए अनुसंधान समिति ने अपने क्रियाकलापों को और अधिक तेज कर दिया । सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में अवक्षयण की दरों के संबंध में अधिसूचित किए गए नवीनतम संशोधनों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान समिति ने सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में के संशोधनों से उत्पन्न होने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक "गाइडेन्स नोट" निकाला है । इसके अतिरिक्त, समिति ने निम्नलिखित पुनरीक्षित संस्करणों के रूप में कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन प्रकाशित किए हैं, उदाहरणार्थ कम्पेंडियम आफ स्टेटमेन्ट्स एण्ड स्टैण्डर्ड्स आन एकाउंटिंग (तृतीय संस्करण); कम्पेंडियम आफ स्टेटमेन्ट्स आन आडिटिंग (तृतीय संस्करण); कम्पेंडियम आफ गाइडेंस नोट्स-जिल्द-1 (चतुर्थ संस्करण); कम्पेंडियम आफ गाइडेंस नोट्स-जिल्द 2 (तृतीय संस्करण); रिवाइज्ड गाइडेंस नोट आन ट्रीटमेंट आफ एक्सपेंडीचर डयूरिंग कन्स्ट्रक्शन पीरियड रिवाइज्ड स्टेटमेन्ट आन ट्रीटमेंट आफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन एकाउंट्स; रिवाइज्ड एडीशन आफ टैक्नीकल गाइड टू आडिट आफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस; गाइडलाइंस आन इंटरनल आडिट —सीमेंट इण्डस्ट्री; तथा प्रोजेक्ट एप्रेजल—रिक्वाइरमेंट्स आफ इण्डियन फाइनांशियल इंस्टीट्यूशंस । उपर्युक्त प्रकाशनों के अलावा, यह आशा है कि निकट भविष्य में पांच और प्रकाशन अर्थात् गाइडलाइंस आन इंटरनलआडिट—टायर इण्डस्ट्री; स्टडी आन शेयर वेल्यूएशन का पुनरीक्षित संस्करण; ट्रेण्ड्स इन पब्लिशड एकाउंट का पुनरीक्षित संस्करण; एकाउंटेंट्स गाइड टू ला आफ सेक्यूरिटीज एक्साइज का पुनरीक्षित संस्करण तथा स्टडी आन ट्रांसफर प्राइसिंग, तथा उनके बाद कम से कम चार प्रकाशनों का सेट और प्रकाशित किया जाएगा । समिति शीघ्र ही एक गाइडेंस नोट आन यूटीलाइजेशन आफ रिवैल्यूएशन रिजर्व फार इश्यू आफ बोनस शेयर भी निकालने जा रही है । इसके अतिरिक्त, एकाउंटिंग तथा सहबद्ध क्षेत्रों में अन्य 22 परियोजनाओं पर भी कार्य प्रगति पर है ।

उपर्युक्त के अलावा, अनेक नई परियोजनाओं पर भी अनुसंधान कार्य शुरू होने वाला है जिनमें तीन नए थ्रस्ट क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, अर्थात् मैनेजमेंट/आपरेशंस आडिट; एकाउंटिंग एण्ड आडिटिंग फार इंफ्रास्ट्रक्चर इण्डस्ट्री तथा फाइनेंशियल सर्विसेज एरिया ।

निगमित विधियों के क्षेत्र में कम्पनी विधेयक, 1993 के विभिन्न उपबंधों के बारे में सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करने के अलावा, संस्थान ने कम्पनी कार्य विभाग से निर्देश प्राप्त होने पर कम्पनी अधिनियम को पुनः संहिताबद्ध करने के प्रयास (काम) से संबंधित अनेक तकनीकी मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है । "सर्टिफिकेशन आफ डाक्यूमेंट्स फार रजिस्ट्रेशन आफ चार्जेज" पर एक गाइडेंस नोट प्रकाशित किया गया । कराधान के क्षेत्र में, गाइडेंस नोट आन सेक्शस 80 एच. एच. बी. एण्ड 80 एच. एच. सी. आफ दि इनकम टैक्स एक्ट" (तृतीय संस्करण) प्रकाशित किया गया । जबकि "मोनोग्राफ आन कम्पलसरी स्टोनेंस आफ एकाउंट्स" को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है, वर्तमान "स्टडी आनटैक्सेशन आफ चैरिटेबिल एण्ड रिलीजियस ट्रस्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस" को पुनरीक्षित किया जा रहा है ।

(घ) विशेषज्ञ सलाह

वर्ष के दौरान भी विभिन्न सदस्यों से अनेक नई शंकाएं प्राप्त हुईं और उन पर सलाह दी गई । आशा है कि "कम्पेंडियम आफ ओपीनियन्स" की तेरहवीं जिल्द शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जाएगी ।

(ङ) सतत् व्यावसायिक (वृत्तिक) शिक्षा

अपने सदस्यों के लिए सतत् व्यावसायिक (वृत्तिक) शिक्षा के महत्व को समझते हुए परिषद् ने यह विनिश्चय किया है कि व्यवसाय में लगे सदस्यों से सम्यक् अनुक्रम में 5 (पांच) वर्ष की एक खंड कालावधि में 25 घंटों के सतत् व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से पूरा करने की अपेक्षा की जाए । इस प्रयोजनार्थ, एक पृथक् निदेशालय की स्थापना की गई । यह भी विनिश्चय किया गया है कि अपनी चेन सेमिनार स्कीम के माध्यम से बैंक-लेखा परीक्षा, कराधान तथा निगमित विधि एवं अंतरराष्ट्रीय उधारदाता संस्था के क्षेत्रों में सेमिनारों की तीन श्रृंखलाएं आयोजित की जाएं । ये सेमिनार (संगोष्ठियां) एकसमान पाठ्यक्रम डिजाइन (रूपरेखा) तथा चर्चा सामग्री के आधार पर पूरे देश भर में स्थानीय किए जाएंगे । सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को अद्यतन जानकारी रखने और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने की दृष्टि से वर्ष भर अनेक दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए गए । अर्हतोत्तर पाठ्यक्रमों (पोस्ट-क्वालिफिकेशन कोर्स) के लिए पाठ्य-विवरण पुनरीक्षणाधीन है ताकि इन पाठ्यक्रमों

को अधिक प्रभावपूर्ण तथा उपयोगी बनाया जा सके । संस्थान के पांच कम्प्यूटर केन्द्र अपने विशेष रूप से तैयार किए गए पाठ्यक्रमों के माध्यम से सदस्यों और विद्यार्थियों को प्रेक्टीकल आरियन्टेशन प्रदान करते रहे । इसके अतिरिक्त, इन केन्द्रों ने सरकार और पब्लिक सक्टर के उपक्रमों के अधिकारियों और प्रबंधकों के लिए विशेष कार्यक्रम भी संचालित किए हैं ।

(घ) व्यावसायिक (वृत्तिक) विकास

संस्थान विभिन्न मंचों पर व्यवसाय के विचारों को प्रक्षेपित करने के लिए सक्रिय भूमिका निबाहता रहा है और संपूर्णतः व्यवसाय पर प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों में घटित परिवर्तनों पर सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की है । बजट-पूर्व तथा उत्तर-बजट ज्ञापन पर संस्थान की टिप्पणियों और इस संबंध में की गई विभिन्न चर्चाओं में व्यक्त किए गए दृष्टिकोणों को प्राधिकारियों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ और प्राधिकारियों ने संस्थान के अनेक दृष्टिकोणों/सुझावों को स्वीकार कर लिया । संस्थान ने भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और अन्य विनियामक निकायों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखा और विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण/टिप्पणियां प्रस्तुत कीं । संस्थान द्वारा किए गए संगठित प्रयासों के फलस्वरूप केरल, पांडिचेरी और कर्नाटक की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में बिक्री-कर लेखा-परीक्षा की शुरूआत की । दूसरे राज्यों की सरकारों को भी उक्त आगे रहने वाले राज्यों द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग का अनुसरण करने के लिए मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

इस अवधि के दौरान परिषद् की विभिन्न गैर-स्थायी समितियों के कार्यकलापों के ब्यौरे इस प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं ।

3. अंतरराष्ट्रीय संबंध

संस्थान व्यावसायिक लेखापालों के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है । अंतरराष्ट्रीय संबंध पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 4 के रूप में संलग्न है ।

4. अन्य मामले

4.1 संस्थान का वार्षिक अधिवेशन

संस्थान का 44वां वार्षिक अधिवेशन दिनांक 17 जनवरी, 1993 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया । डा. राजा जे. चेलय्या, राज वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, इस समारोह के मुख्य अतिथि थे । उन्होंने शील्ड और प्लाक उन कम्पनियों और वित्तीय संस्थाओं को प्रदान किए जिन्होंने सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुत लेखाओं के लिए संस्थान के प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते थे तथा उन्होंने संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार तथा पदक भी बांटे । माननीय मुख्य अतिथि ने संस्थान की पत्रिका में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट लेखों के लिए भी पुरस्कार बांटे तथा संस्थान की उत्कृष्ट प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को शील्ड तथा प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए । इस समारोह में सदस्यों तथा विद्यार्थियों सहित अनेक आमंत्रित व्यक्तियों ने भाग लिया था ।

4.2 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में संशोधन

बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में अनेक संशोधन प्रस्तावित किए हैं जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं । चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में संशोधनों के लिए एक अतिरिक्त समेकित प्रस्ताव शीघ्र ही केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाएगा ।

4.3 केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय

केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय सदस्यों तथा विद्यार्थियों को पुस्तकें, जर्नलों और समाचार पत्रों की सुविधाएं प्रदान करता है । पुस्तकालय विभिन्न जर्नलों (पत्रिकाओं) और समाचार-पत्रों से एकत्रित किए गए लेखों की सुविधा भी प्रदान करता है । इनकी सूची संस्थान के जर्नल में "प्रोफेशनल न्यूज एण्ड व्यूज पब्लिश्ड एल्सव्हेयर" (अन्यत्र प्रकाशित व्यावसायिक समाचार तथा विचार) शीर्षक के अन्तर्गत समय-समय पर प्रकाशित की जाती है ।

इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय की सुविधाएं संपूर्ण देश के प्रादेशिक केन्द्रों तथा शाखाओं पर भी प्रदान की गई हैं । पुस्तकालयों के विकास के लिए संस्थान द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं और स्टडी सर्किलों को अनुदान प्रदान किए गए हैं ।

4.4 जर्नल (पत्रिका)

संस्थान के अधिकृत माध्यम "दि चार्टर्ड एकाउंटेंट" को प्रतिवेदनाधीन वर्ष भर लोकप्रियता प्राप्त होती रही और उसने अपना उच्च व्यावसायिक स्तर बनाए रखा जिसके परिचालन का आंकड़ा 80,000 के अंक को भी पार कर गया । जर्नल को विभिन्न प्रकार के अभिन्यास (ले-आउट), दृश्यों (विजुअल्स) आदि के साथ और अधिक पठनीय बनाने के लिए पुनः रूपांकित किया गया है जिसका सदस्यों और अन्य पाठकों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया ।

पूर्व की भांति, जुलाई, 1993 से जून, 1994 के दौरान जर्नल में, प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट लेखों के लिए पुरस्कार इंस्टीट्यूट की वार्षिक बैठक में प्रदान किए जाएंगे ।

4.5 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स बेनीवोलेण्ट फण्ड (हितकारी निधि)

दिसम्बर, 1962 में स्थापित "चार्टर्ड एकाउंटेंट्स बेनीवोलेण्ट फण्ड" ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को, जोकि संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं, तथा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है । यह सहायता आश्रितों के भरण-पोषण, उनकी शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं और चिकित्सा व्यय की पूर्ति करने, आदि, के लिए प्रदान की जाती है । यह निधि ऐसे सदस्यों को जो देश के विक्षुब्ध (गड़बड़ी वाले) क्षेत्रों से विस्थापित किए गए हैं, 20,000/- रुपए तक ऋण भी दे रही है । इस निधि के आजीवन सदस्यों की संख्या 31-8-1993 को 9511 से बढ़कर 31-8-1994 को 10514 हो गई है । योग्य और सुपात्र व्यक्तियों को वर्ष के दौरान 4,44,900.00 रुपए की धनराशि बांटी गई थी । इस निधि में 31-3-1993 को अतिशेष 40,02,235.77 रुपए की तुलना में 31-3-1994 को 66,00,977.98 रुपए था ।

4.6 एस. वैंकाथ अय्यर मैमोरियल फण्ड

वर्ष 1993-94 के दौरान चार्टर्ड एकाउंटेंसी कोर्स कर रहे विद्यार्थियों को प्रत्येक को 100/- रुपए प्रतिमास की 28 छात्रवृत्तियां दी गई थीं । इस निधि (फण्ड) की सदस्यता 31-3-1994 को 209 थी । इस निधि में अतिशेष 31-3-1993 को 1,05,329.40 रुपए के मुकाबले 31-3-1994 को 1,21,109.90 रुपए का था ।

4.7 चार्टर्ड एकाउंटेन्ट पाठ्यक्रम को मान्यता

यह संस्थान, चार्टर्ड एकाउंटेन्सी पाठ्यक्रम को पी.एच.डी. प्रोग्राम (डाक्टर आफ फिलासोफी कार्यक्रम) के लिए मान्यता दिलाए जाने के लिए विश्वविद्यालयों से सम्पर्क बनाए हुए है । वर्तमान में एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज तथा इंडियन इंस्टीट्यूट्स आफ मैनेजमैण्ट (अहमदाबाद तथा कलकत्ता) के अतिरिक्त 39 विश्वविद्यालयों ने सी.ए. पाठ्यक्रम को पी.एच.डी. हेतु रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण) के लिए एम.काम. के स्वरूप मान्यता प्रदान की हुई है । जिन विश्वविद्यालयों ने इस प्रयोजनार्थ सी.ए. पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान की है उनकी सूची इस रिपोर्ट (प्रतिवेदन) के परिशिष्ट-3 के पैरा 11.3 पर दी गई है ।

4.8 पूंजी बाजार एवं निवेशक संरक्षण समिति

देश के बदले हुए सामाजिक-आर्थिक परिवेश में पूंजी बाजार के बढ़ते हुए महत्व और परिणामस्वरूप निवेशकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संस्थान की परिषद् ने इस प्रयोजनार्थ एक पथक समिति, अर्थात् "कमेटी आन् कैपिटल मार्केट एण्ड इंवेस्टर्स प्रोटेक्शन" (पूंजी बाजार एवं निवेशक संरक्षण समिति) का गठन करने का विनिश्चय किया है । समिति का मुख्य उद्देश्य पूंजी बाजार के क्षेत्र में सदस्यों तथा सर्वसाधारण को शिक्षित करना है । उक्त उद्देश्य के अनुसरण में, समिति ने भारत का प्रतिभूति एवं मुद्रा बोर्ड (सेबी) के प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित किया और विभिन्न तकनीकी विषयों पर अपने सझाव/दृष्टिकोण प्रस्तुत किए । इस समिति के अधिकांश सझाव सेबी प्राधिकारियों ने लाभप्रद पाए । समिति की संरचना परिशिष्ट 2 में दी गई है ।

5. सदस्य

5.1 सदस्यता

वर्ष के दौरान संस्थान में 4061 नए सदस्यों का पंजीयन किया गया जिससे 1-4-1994 की कुल सदस्यता 68388 हो गई ।

वर्ष के दौरान पूर्व वर्ष में 2697 अंक की तुलना में फैलो (अध्येताओं) के रूप में 3173 एसोसिएटस को प्रविष्ट किया गया। सदस्यता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

1-4-1994 को यथाविद्यमान सदस्यों की संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	फैलो (अध्येता)	एसोसिएट्स	योग
पूर्णकालिक व्यवसाय में	24777	16652	41429
अंशकालिक व्यवसाय में	2397	4959	7356
व्यवसाय में नहीं	2692	16911	19603
संपूर्ण योग	29866	38522	68388

5.2 मृत सदस्य

परिषद् ई.आई.आर.सी. के तत्कालीन सभापति श्री एच. आर गुप्त के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है । परिषद् वर्ष के दौरान अनेक अन्य सदस्यों के दुखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करती है । मृत सदस्यों के नाम इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-5 पर सूचीबद्ध किए गए हैं ।

5.3 अनुशासनिक समिति

1-4-1993 से लेकर 31-3-1994 तक की अवधि के दौरान परिषद् तथा अनुशासनिक समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

1. परिषद् द्वारा धारा 21 के अधीन प्रथमदृष्टया सलाह के लिए विचारित मामलों की संख्या 98

   (क) उपरोक्त मामलों की संख्या में से जांच के लिए अनुशासनिक समिति को निर्दिष्ट किए गए मामले 42

2. 31.3.1994 तक लंबित कुल मामलों में से अनुशासनिक समिति द्वारा सुनवाई किए गए मामलों की संख्या 47

3. अनुशासनिक समिति की रिपोर्टों पर परिषद् द्वारा विचार किए गए मामलों की संख्या (जिसमें पूर्व वर्ष के दौरान सुने गए मामलों की रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं) 46

4. ऐसे प्रत्यर्थियों की बाबत, जिन्हें प्रथम अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया, धारा 21 (4) के अधीन सुनवाई किए गए मामलों की संख्या । 07

5. ऐसे मामलों की संख्या, जो धारा 21(5) के अधीन उच्च न्यायालयों में फाइल किए गए ।

6. ऐसे मामलों की संख्या, जिनका धारा 21 (6) व धारा 21 (7) के अधीन उच्च न्यायालयों द्वारा निपटारा किया गया ।

6. विद्यार्थी

6.1 अध्ययन-बोर्ड (बोर्ड आफ स्टडीज) पूर्व-व्यावसायिक फाउण्डेशन कोर्स के विद्यार्थियों और चार्टर्ड एकाउंटेंसी (इन्टरमीडिएट तथा अंतिम) के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग सामग्री तैयार करने, उसे अद्यतन करने तथा प्रदान करने के अपने क्रियाकलाप जारी रखे हुए हैं ।

6.2 भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में 31-3-1994 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान फाउण्डेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या 30250 थी । क्षेत्र-वार संख्या परिशिष्ट 6 में दी गई है ।

6.3 फाउंडेशन कोर्स के विद्यार्थियों के दिसम्बर, 1993 और जून, 1994 के बैच के फायदे के लिए कक्षाएं क्रमश: 57 और 129 अधिकृत संस्थाओं द्वारा संचालित की गई ।

6.4 31 मार्च, 1993 और 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान इण्टरमीडिएट और फाइनल कोर्स (पाठ्यक्रमों) के लिए प्रविष्ट किए गए विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है :—

कोर्स	1993–94	1992–93
इण्टरमीडिएट	19335	14205
फाइनल	5865	7441

6.5 बोर्ड आफ स्टडीज (अध्ययन-बोर्ड) की नामावली में 31 मार्च, 1994 को यथाविद्यमान विद्यार्थियों की कुल संख्या (उन विद्यार्थियों को आवर्जित करते हुए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स के लिए प्रविष्ट किया गया है) 1,05,582 थी जबकि 31 मार्च, 1993 को विद्यार्थियों की कुल संख्या 99,435 थी। इसके ब्यौरे परिशिष्ट 7 में दिए गए हैं।

6.6 फाउण्डेशन/इण्टरमीडिएट/फाइनल कोर्स के भिन्न-भिन्न विषयों में अध्ययन-सामग्री तैयार करने के काम में सहायता करने के लिए और अध्ययन-सामग्री की समीक्षा करने के लिए समीक्षकों का पैनल बनाया गया है और समीक्षकों के पास समय-समय पर उनकी समीक्षा के लिए अध्ययन-सामग्री भेजी जा रही है।

6.7 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संस्थान की निधि से 244 विद्यार्थियों को और इस प्रयोजनार्थ सृष्ट विभिन्न विन्यासों की आय से 42 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। (आवश्यकता आधारित छात्रवृत्तियां-1.71, आंशिक फ्रीशिप-49 मेरिट छात्रवृत्तियां-24)।

6.8 9वां अखिल भारतीय सी.ए. विद्यार्थी सम्मेलन 8 और 9 जनवरी, 1994 को नागपुर में आयोजित किया गया। देश के भिन्न-भिन्न भागों से 215 आउटस्टेशन प्रतिनिधियों सहित लगभग 625 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। डा. श्रीकान्त जिचकर, संसद-सदस्य, ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री डी. एन. एस. सिन्हा, आय-कर आयुक्त, नागपुर इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे। एकाउंट्स एण्ड आडिटिंग, टैक्सेशन, निगमित विधि तथा एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग (शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के संबंध में तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता क्रमशः सर्वश्री दीपांकर चटर्जी, आर. बालकृष्णन्, एस. सी. वासुदेव तथा जी. बी. दोषी ने की। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से विद्यार्थियों द्वारा 11 तकनीकी विषयों पर प्रस्तुत किए गए 19 पेपरों पर चर्चा की गई। इस चर्चा में विद्यार्थियों ने व्यापक रूप से हिस्सा लिया। मुम्बई उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने समापन समारोह में समावर्तन (दीक्षान्त) भाषण दिया।

6.9 बोर्ड ने शाखाओं द्वारा कतिपय दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए विद्यार्थियों के लिए एक-दिवसीय सेमिनार आयोजित किए जाने के लिए एक योजना तैयार की है। जबकि ऐसे सेमिनार साधारणतः आत्म-निर्भर होंगे, तथापि, समुचित मामलों में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहते हुए ऐपरलक के मुद्रण के खर्चे और दो फैकल्टी-सदस्यों के यात्रा-व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

6.10 अधिकृत (मान्य) संस्थाओं के कार्य-संचालन को मानीटर करने के लिए और प्रत्यायन (मान्यता दिए जाने) तथा उनसे संबंधित विषयों के लिए प्रार्थनाओं पर विचार करने के लिए सतत-आधार पर रीजनल मानीटरिंग कमेटीज (क्षेत्रीय मानीटर समितियों) की स्थापना की गई है।

6.11 बोर्ड ने इण्टरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए मौखिक कक्षाओं के लिए एक स्कीम (योजना) तैयार की है। विश्वविद्यालयों से सहबद्ध महाविद्यालयों (कालिजों) या इस प्रयोजनार्थ प्रतिपादित कतिपय कसौटियों को पूरा करने वाले और इस प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्य किए गए अन्य निकायों द्वारा ऐसी कक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी। ऐसी कक्षाओं को इस प्रयोजनार्थ विरचित किए गए दिशा-निर्देशों (गाइडलाइन्स) में बोर्ड के सुझाए गए तीन आनुकल्पिक निश्चायिकाओं (माड्यूल) में से किसी के भी अनुसार आयोजित किया जाएगा। माड्यूल "ए" और "बी" में ऐसी कक्षाएं सम्मिलित होंगी जिनकी अवधि 3-4 माह की होगी और जो सप्ताह में किसी भी दिन/शनिवार और रविवार को आयोजित की जाएंगी तथा माड्यूल "सी" में एक माह की अवधि का क्रैश कोर्स सम्मिलित होगा। प्रादेशिक परिषद और उनकी शाखाएं भी बोर्ड से विनिर्दिष्ट अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् दिशा-निर्देशों के अनुसार कक्षाएं आयोजित कर सकेंगी।

7. परीक्षाएं

7.1 चार्टर्ड एकाउंटेंट की फाइनल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाएं मई 1993 और नवम्बर, 1993 में क्रमशः 47 केन्द्रों तथा 48 केन्द्रों पर आयोजित की गई थीं। प्रथम फाउंडेशन परीक्षा जून, 1993 में 28 स्थानों/45 केन्द्रों पर आयोजित की गई थी। अगली फाउंडेशन परीक्षा दिसम्बर, 1993 में 28 केन्द्रों पर आयोजित की गई।

7.2 मई/जून, 1993 तथा नवम्बर/दिसम्बर, 1993 में आयोजित फाइनल, इंटरमीडिएट तथा फाउण्डेशन परीक्षाओं में बैठे छात्रों की कुल संख्या क्रमशः 53,740 तथा 53,534 थी। इन परीक्षाओं के परिणामों का सारांश, जिसमें उन अभ्यर्थियों की संख्या जो परीक्षाओं में बैठे हैं तथा उन अभ्यर्थियों की संख्या दर्शित की गई है जिन्हें सफल (उत्तीर्ण) घोषित किया गया है, परिशिष्ट 8 में दिया है।

7.3 जिन अभ्यर्थियों (छात्रों) को मई/जून, 1993 तथा नवम्बर/दिसम्बर, 1993 में आयोजित परीक्षाओं में पुरस्कार तथा योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए हैं, उनके नाम इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 9 में दिए गए हैं।

8 प्रादेशिक परिषद् तथा प्रादेशिक परिषदों की शाखाएं

8.1 शाखाएं

संस्थान के 5 प्रादेशिक परिषद हैं, अर्थात् :—वैस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, सदर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, सेण्ट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल तथा नार्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं। सम्पूर्ण देश में प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 81 है। इन शाखाओं की सूची इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 10 में दी गई है।

8 2 भवन

भवनों का निर्माण करने के लिए शाखाओं को सबंध अनुदानों का उच्चीकृत पुनरीक्षण किया गया है। तत्कालीन अध्यक्ष श्री एन पी शारदा ने उदयपुर शाखा के भवन की आधार-शिला रखी थी। उन्होंने सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल की इन्दौर शाखा के परिसर (भवन) का भी उद्घाटन किया। अनेक शाखाओं में अपने स्वयं के परिसर (भवन) का निर्माण करने के लिए भूमि का अर्जन करने अथवा बने बनाए फ्लैटों को खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ शाखाओं ने स्थान की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने वर्तमान भवनों के विस्तार का काम आरम्भ कर दिया है. अध्यक्ष श्री टी पी राव ने सदर्न इंडिया रीजनल काउंसिल की त्रिचुलोन शाखा के भवन की आधार-शिला रखी है। उन्होंने ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल की सिलीगुड़ी शाखा के भवन का भी उद्घाटन किया है।

केन्द्रीय परिषद् ने सदस्यों के लिए सतत् व्यावसायिक (वरितक) शिक्षा की योजना कार्यान्वित करने में प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं की महत्वपूर्ण भूमिका बताई है।

8 3 सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद् तथा प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा के लिए आवर्ती शील्ड (रोटेटिंग शील्ड)

सन् 1986-87 से ही संस्थान सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद् को आवर्ती शील्ड प्रदान करता रहा है। यह पुरस्कार प्रादेशिक परिषद् के समग्र कार्य-प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। परिषद् वर्ष 1993-94 के लिए यह शील्ड ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल को प्रदान की जाएगी। प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं को अधिकाधिक सक्रिय होने तथा सदस्यों और विद्यार्थियों को प्रभावकारी सेवा प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से संस्थान प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ शाखा को आवर्ती शील्ड भी प्रदान करता है। शाखाओं के कार्यकलापों का मूल्यांकन स्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1993-94 के लिए सदर्न इंडिया रीजनल काउंसिल की बंगलौर स्थित शाखा को शील्ड प्रदान करने के लिए चुना गया है। अत्यधिक प्रशंसनीय कार्य-प्रदर्शन के लिए प्रमाण-पत्र गोवा, पुणे और जयपुर स्थित शाखाओं को प्रदान किए जाएंगे।

9. वित्त तथा लेखा

परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित 31 मार्च, 1994 को यथा-विद्यमान तुलन-पत्र और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष का आय-व्यय लेखा संलग्न किया जाता है।

10. आभार

10 1 परिषद्, संस्थान के उन सभी सदस्यों, जिन्होंने संस्थान की समितियों में सहयोजित सदस्यों के रूप में कार्य किया है तथा उन गैर-सदस्यों के प्रति, जिन्होंने वर्ष के दौरान परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी एवं अन्य कार्यकलापों में और उनकी परीक्षाओं में परिषद् की सहायता की है, अपना आभार प्रकट करती है।

10 2 परिषद्, सरकार और परिषद् में उसके नामिती सदस्यों द्वारा वर्ष के दौरान निरन्तर दी गई सहायता और समर्थन के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती है।

10 3 परिषद्, संस्थान के सभी अधिकारियों और कर्मचारि-वृन्द द्वारा वर्ष के दौरान किए गए उनके ईमानदार और समर्पित प्रयासों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती है।

वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट

परिशिष्ट—I

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 1.1

परिषद् के सदस्य

श्री अग्रवाल आर० के०	कलकत्ता
*श्री अनन्तन, यू० एन० (20-7-93 से 13-1-94)	नई दिल्ली
भंडारी (डा०) धर्मेन्द्र (20-5-94 तक)	जयपुर
श्री बिड़ला सी० एम०	कोटा
श्री चक्रवर्ती ए० के०	कलकत्ता
श्री चटर्जी दीपांकर	कलकत्ता
श्री छाजेड़ एस० पी०	मुंबई
श्री चितले एम० एम०	मुंबई
श्री दोशी जी० वी०	मुंबई
*श्री गुलाटी सुनील	नई दिल्ली
*श्री गुप्ता अरुण कुमार	नई दिल्ली
श्री गुप्ता एन० डी०	नई दिल्ली
श्री गुप्ता एन० के०	कानपुर
श्री अय्यर एन० वी०	मुंबई
*श्री जोसफ सी०के० (14-1-94 से)	नई दिल्ली
*श्री जोशी आर०डी० (23-6-93 से)	नई दिल्ली
श्री काले वाई० एम०	मुंबई
श्री कोटेश्वर राव एम० एस० आर०	हैदराबाद
*श्री कृष्णमूर्ति सी० एच० जी०	नई दिल्ली
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा	हैदराबाद
श्री मेहता के० एस०	नई दिल्ली
*पिल्लई (श्रीमती) सुधा (22-6-93 तक)	नई दिल्ली
श्री राव बी०पी०	बंगलौर
श्री शारदा, एन० पी०	मुंबई
श्री शाह ए० सी०	अहमदाबाद
श्री सीतारामन जी०	मद्रास
*श्री शिव सुब्रह्मण्यन एन० (4-9-92 से 19-7-93)	नई दिल्ली
*श्री सोली यशपाल	नई दिल्ली

श्री सुन्दरराजन एन० सी०	मद्रास
श्री उपाध्याय पी० पी० गुरुराजा	मद्रास
श्री वासुदेव एस० सी०	नई दिल्ली
श्री विकमसे एस० के०	मुंबई
श्री विश्वनाथ टी० एस०	नई दिल्ली

*केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत

परिशिष्ट–II

(सदर्भ . रिपोर्ट का पैरा 1.4)

वर्ष 1994–95 के लिए स्थायी तथा गैर-स्थायी समितियों की सरचना

क. स्थायी समितियां

कार्यपालक समिति :

श्री बी० पी० राव, अध्यक्ष	बगलौर
श्री वाई० एम० काले, उपाध्यक्ष	मुंबई
श्री आर० के० अग्रवाल	कलकत्ता
श्री एम० एम० चितले	मुंबई
श्री एन०के० गप्ता	कानपुर

परीक्षा समिति :

श्री बी० पी० राव, अध्यक्ष	बगलौर
श्री वाई० एम० काले, उपाध्यक्ष	मुंबई
श्री धर्मेन्द्र भण्डारी (20–5–1994 तक)	जयपुर
श्री सी० एम० बिड़ला (14–7–1994 से)	कोटा
श्री जी० सीतारामन	मद्रास
श्री टी० एस० विश्वनाथ	नई दिल्ली

अनुशासन समिति :

श्री बी० पी० राव, अध्यक्ष	बगलौर
श्री वाई० एम० काले, उपाध्यक्ष	मुंबई
श्री ए० के० चक्रवर्ती	कलकत्ता
श्री आर० डी० जोशी	नई दिल्ली
श्री एम० सी० सुन्दरराजन	मद्रास

ख. गैर-स्थायी समितियां

लेखाविधि मानक बोर्ड (एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड बोर्ड)

श्री एन० पी० शारदा, सभापति	मुंबई
श्री के० एस० मेहता, उप-सभापति	नई दिल्ली
श्री बी० पी० राव, अध्यक्ष (पदेन)	बगलौर
श्री वाई० एम० काले, उपाध्यक्ष (पदेन)	मुंबई
श्री एम० एम० चितले	नई दिल्ली
श्री सी० के० जोसफ	नई दिल्ली
श्री आर० डी० जोशी	नई दिल्ली
श्री सी० जी० कृष्णामूर्ति	मद्रास
श्री जी० सीतारमन	मद्रास
श्री वाई एच० मालेगाम (सहयोजित)	मुंबई
प्रोफेसर एम० सुन्दरराजन (सहयोजित)	बंगलौर

लेखा-परीक्षा पद्धतियां समिति :

श्री दीपांकर चटर्जी, सभापति	कलकत्ता
श्री एम० एम० चितले, उप-सभापति	मुंबई
श्री बी० पी० राव, अध्यक्ष (पदेन)	बगलौर
श्री वाई० एम० काले, उपाध्यक्ष (पदेन)	मुंबई
श्री ए० के० चक्रवर्ती	कलकत्ता
श्री एन० बी० अय्यर	मुंबई
श्री सी० के० जोसफ	नई दिल्ली
श्री पी० आर० रमेश (सहयोजित)	कलकत्ता
श्री के० ए० इनाविया, श्री सजीव के० चौधरी (सहयोजित)	मुंबई, नई दिल्ली
सतत् व्यावसायिक (वृत्तिक) शिक्षा समिति	
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा, सभापति	हैदराबाद
श्री जी० बी० दोशी, उप-सभापति	मुंबई
श्री बी० पी० राव, अध्यक्ष (पदेन)	बगलौर
श्री दीपाकर चटर्जी	कलकत्ता
श्री एन० डी० गुप्ता	नई दिल्ली
श्री एन० के० गप्ता	कानपुर
श्री वाई०पी० सोनी	नई दिल्ली
श्री एम० भीमा भट्ट, श्री आर० पी० वार्ष्णेय, श्री एच० एम० दामलिया (सहयोजित)	मद्रास, नई दिल्ली, मुंबई

उद्योग के सदस्यों की समिति .

श्री एस० के० बिकमसे, सभापति	मुंबई
श्री सुनील गुलाटी, उप-सभापति	नई दिल्ली
श्री वाई० एम० काले उपाध्यक्ष (पदेन)	मुंबई
श्री एन० के० गुप्ता	कानपुर
श्री के० एस० मेहता	नई दिल्ली
श्री ए० सी० शाह	अहमदाबाद
श्री यू० विष्णुमूर्ति, श्री सतीश सी० टापरिया, श्री एच० सी० जागा (सहयोजित)	बगलौर, मुंबई, मुंबई
राज वित्तीय विधि समिति	रिशरा
श्री एस० सी० वासुदेव, सभापति	नई दिल्ली
श्री एम० पी० छाजेड़, उप सभापति	मुंबई

श्री बी० पी० राव अध्यक्ष (पदेन) बंगलौर
श्री सी० एम० बिड़ला कोटा
श्री पी० पी० गुरु राजा उपाध्याय मद्रास
श्री वी० जी० कृष्णामूर्ति नई दिल्ली
श्री ए० सी० शाह अहमदाबाद
श्री पी० डी० देसाई } —सहयोजित मुंबई
श्री सी० एल० माथर } —सहयोजित जयपुर
श्री बी० शंकर } —सहयोजित सिकन्दराबाद

निगमित विधि समिति :

श्री एन० वी० अय्यर—सभापति मुंबई
श्री एन० टी० गुप्ता—उप-सभापति नई दिल्ली
श्री वाई० एम० काले—उपाध्यक्ष (पदेन) मुंबई
श्री एम० पी० छाजेड़ मुंबई
श्री आर० डी० जोशी नई दिल्ली
श्री एस० एस० आर० कोटेश्वर राव हैदराबाद
श्री टी० एस० विश्वनाथ नई दिल्ली
श्री आर० एन० बंसल } सहयोजित नई दिल्ली
श्री एस० आर० आर० के० शर्मा } सहयोजित बंगलौर
श्री नरेन्द्र अनेजा } सहयोजित मुंबई

नैतिक मानदण्ड तथा लेखा परीक्षकों को अनुचित रूप से निकालने विषयतक समिति :

श्री एम० पी० छाजेड़,—सभापति मुंबई
श्री एस० सी० वादेव—उप-सभापति नई दिल्ली
श्री बी० पी० राव—अध्यक्ष (पदेन) बंगलौर
श्री लक्ष्मी निवास शर्मा हैदराबाद
श्री वाई० पी० मोली नई दिल्ली
श्री एस० विकमसे मुंबई
श्री वाई० एन० कृष्ण दास } सहयोजित मुंबई
श्री टी० जी० सिंघल } सहयोजित मुंबई
श्री ब्रज कुमार } सहयोजित हैदराबाद

विशेषज्ञ सलाहकार (परामर्श) समिति :

श्री ए० सी० शाह—सभापति अहमदाबाद
श्री आर० के० अग्रवाल—उप-सभापति कलकत्ता
श्री वाई० एम० काले—उपाध्यक्ष (पदेन) मुंबई
श्री सी० एम० बिड़ला कोटा
श्री ए० के० गुप्ता नई दिल्ली
श्री पी० पी० गुरुराजा उपाध्याय मद्रास
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा हैदराबाद
श्री ए० सी० देसाई सहयोजित अहमदाबाद
श्री जी० एस० अग्रवाल } —सहयोजित रायपुर
श्री एम० के० अग्रवाल } —सहयोजित नई दिल्ली

अध्ययन बोर्ड :

श्री जी० बी० दोशी—सभापति मुंबई
श्री एन० के० गुप्ता—उप-सभापति कानपुर
श्री बी० पी० राव—अध्यक्ष (पदेन) बंगलौर
श्री वाई० एम० काले, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री आर० के० अग्रवाल कलकत्ता
श्री एन० डी० गुप्ता नई दिल्ली
श्री जी० सीतारामन मद्रास
श्री आर बालकृष्णन } —सहयोजित मद्रास
श्री एस० बी० दाभवाला } —सहयोजित मुंबई
श्री शरद कोहली } —सहयोजित गाजियाबाद

विश्वविद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक बोर्ड सम्पर्क समिति :

श्री पी० पी० गुरुराजा उपाध्याय, सभापति मद्रास
श्री टी० एस० विश्वनाथ, उप-सभापति नई दिल्ली
श्री वाई० एम० काले, उपाध्यक्ष (पदेन) मुंबई
श्री एम० पी० छाजेड़ मुंबई
श्री एस० एस० आर० कोटेश्वर राव हैदराबाद
श्री वाई० पी० मोली नई दिल्ली
श्री एम० एन० कुलकर्णी } सहयोजित नासिक
श्री अश्वनी कुमार } सहयोजित लुधियाना
श्री जॉन मैथ्यू } सहयोजित मद्रास

व्यावसायिक (वृत्तिक) विकास समिति

श्री एन० डी० गुप्ता—सभापति नई दिल्ली
श्री दीपांकर चटर्जी—उप-सभापति कलकत्ता
श्री बी० पी० राव—अध्यक्ष (पदेन) बंगलौर
श्री वाई० एम० काले—उपाध्यक्ष (पदेन) मुंबई
डा० धर्मेन्द्र भंडारी (20-5-94 तक) जयपुर
श्री ए० के० चक्रवर्ती कलकत्ता
श्री सुनील गुलाटी नई दिल्ली
श्री एन० के० गुप्ता (14-7-1944 से) कानपुर
श्री एम० बी० लोधा } —सहयोजित कलकत्ता
श्री पी० सी० पडवाली } —सहयोजित मुंबई
श्री आई० सी० जैन } —सहयोजित मुंबई

जन-सम्पर्क समिति :

श्री सी० एम० बिड़ला, सभापति कोटा
श्री टी० एस० विश्वनाथ, उप-सभापति नई दिल्ली
श्री बी० पी० राव, अध्यक्ष (पदेन) बंगलौर
श्री आई० एम० काले, उपाध्यक्ष (पदेन) मुंबई

डा० धर्मेंद्र भण्डारी (20-5-1994 तक)		जयपुर
श्री दीपाकर चटर्जी (14-7-1994 से)		कलकत्ता
श्री ए० के० गुप्ता		नई दिल्ली
श्री रुद्र देव एम०	—सहयोजित	बंगलौर
श्री एस० के० जैन	—सहयोजित	हैदराबाद
श्री आर० सी० पिया	—सहयोजित	जयपुर

अनुसंधान समिति :

श्री के० एस० मेहता, सभापति		नई दिल्ली
श्री जी० सीतारामन, उप-सभापति		मद्रास
श्री बी० पी० राव, अध्यक्ष (पदेन)		बंगलौर
डा० धर्मेन्द्र भंडारी (20-5-1994)		जयपुर
श्री जी० बी० दोशी (14-7-1994 से)		मुंबई
श्री एस० सी० वासुदेव		नई दिल्ली
श्री एस० के० विक्रमसे		मुंबई
श्री एम० जी० पटेल	—सहयोजित	अहमदाबाद
श्री केतन अरविन्द दलाल	—सहयोजित	मुंबई
श्री आर० एन० राय	—सहयोजित	कलकत्ता
श्री एम० एल० डागा	—सहयोजित	हैदराबाद

अन्तर्राष्ट्रीय कार्य समिति

श्री बी० पी० राव, सभापति		बंगलौर
श्री वाई० एम० काले, उप-सभापति		मुंबई
श्री ए० के० चक्रवर्ती		कलकत्ता
श्री एन० पी० शारदा		मुंबई
श्री एन० सी० सुंदराजन	—सहयोजित	मद्रास
श्री के० एस० अग्रवाल	—सहयोजित	नई दिल्ली
श्री एस० के० दास गुप्ता	—सहयोजित	कलकत्ता

आई० सी० ए० आई० आई० सी० डब्ल्यू० ए० आई०—आई० सी० एस० आई० समन्वय समिति :

श्री बी० पी० राव, नेता	बंगलौर
श्री वाई० एम० काले, उप-नेता	मुंबई
श्री सुनील गुलाटी	नई दिल्ली
श्री एन० पी० शारदा	मुंबई
श्री एन० सी० सुंदराजन	मद्रास

सम्पादक मंडल

श्री बी० पी० राव, प्रधान सम्पादक		बंगलौर
श्री वाई० एम० काले, संयुक्त सम्पादक		मुंबई
श्री दीपाकर चटर्जी		कलकत्ता
श्री एम० एम० चितले		मुंबई
श्री जी० बी० दोशी		मुंबई
श्री वाई० पी० सोली		नई दिल्ली
श्री एस० सी० वासुदेव		नई दिल्ली
श्री एस० के० बन्सल	—सहयोजित	नई दिल्ली
श्री जे० ई० दस्तूर	—सहयोजित	मुम्बई
श्री टी० नगन्नाथन्	—सहयोजित	मद्रास

साधारण प्रयोजन समिति :

श्री बी० पी० राव, सभापति	बंगलौर
श्री वाई० एम० काले, उप-सभापति	मुंबई
श्री आर० के० अग्रवाल	कलकत्ता
श्री एम० एम० चितले	मुंबई
श्री एन० के० गुप्ता	कानपुर

पूंजी बाजार एवं निवेशक संरक्षण समिति

श्री एम० एस० आर० कोटेश्वर राव, सभापति		हैदराबाद
श्री ए० के० गुप्ता, उप-सभापति		नई दिल्ली
श्री बी० पी० राव, अध्यक्ष (पदेन)		बंगलौर
श्री वाई० एम० काले, उपाध्यक्ष (पदेन)		मुंबई
श्री जी० बी० दोशी		मुम्बई
श्री एन० सी० सुन्दराजन		मद्रास
श्री मोहनदास पई	—सहयोजित	बंगलौर
श्री डी० ए० गाडगिल	—सहयोजित	मुम्बई
श्री अनन्तरामन	—सहयोजित	एरनाकुलम

राष्ट्रीय अकादमी समिति :

श्री बी० पी० राव, अध्यक्ष	बंगलौर
श्री वाई० एम० काले, उपाध्यक्ष	मुंबई
श्री लक्ष्मी निवास शर्मा	हैदराबाद
श्री के० एस० मेहता	नई दिल्ली
श्री एस० सी० वासुदेव	नई दिल्ली
श्री जी० बी० दोशी	मुम्बई
श्री ए० के० चक्रवर्ती	कलकत्ता
श्री सुनील गुलाटी	नई दिल्ली
डा० धर्मेन्द्र भंडारी (20-5-1994 तक)	जयपुर
श्री एन० के० गुप्ता (14-7-1994 से)	कानपुर

परिशिष्ट—3

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 2)

अनुसंधान तथा व्यावसायिक (वृत्तिक) विकास

परिषद् की विभिन्न गैर-स्थायी समितियों के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :—

1. लेखाविधि मानक बोर्ड (एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड्स बोर्ड)

1. प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान बोर्ड ने निम्नलिखित लेखाविधि मानकों को अंतिम रूप दिया :—

(क) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड्स 14, एकाउंटिंग फार अमलगमेशन्स ।

(ख) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 15—एकाउंटिंग फार रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स इन दि फाइनेंशियल स्टेटमेण्ट्स आफ एम्पलायर्स ।

(ग) रिवाइज्ड एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 4, कनटिंजेन्सीज एण्ड इवेन्ट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेन्स शीट डेट ।

(घ) रिवाइज्ड एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 11, एकाउंटिंग फार दि इफेक्ट्स आफ चेन्जेज इन फारेन एक्सचेन्ज रेट्स ।

उक्त मानकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उन्हें शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा ।

2. बोर्ड ने परिषद् को वर्तमान लेखाविधि मानक (एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड) 6, अवक्षयण लेखाविधि (डिप्रीशिएशन एकाउंटिंग) में कतिपय परिवर्तनों की सिफारिश की है । बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । तदनुसार ए. एस. 6 में समुचित परिवर्तन कर दिए गए हैं और संस्थान की पत्रिका में प्रकाशित कर दिया गया है ।

3. बोर्ड ने निम्नलिखित विषयों पर नए लेखाविधि मानक बनाने का कार्य हाथ में लिया है :—

(क) एकाउंटिंग फार फाइनेंसिंग कास्ट्स (वित्त पोषण लागत लेखाविधि)

(ख) एकाउंटिंग फार करेण्ट असेट्स एण्ड करेण्ट लाइबिलिटीज (वर्तमान आस्तियों और वर्तमान दायित्वों की लेखाविधि)

(ग) फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेण्ट्स (वित्तीय लिखत)

(घ) एकाउंटिंग एण्ड डिसक्लोजर बाई बैंक्स एण्ड फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशंस (बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा लेखाव्रण तथा प्रकटन)

(ङ) कैश फलो स्टेटमेण्ट्स ।

बोर्ड द्वारा "ए फ्रेमवर्क फार प्रिपरेशन एण्ड प्रेजेण्टेशन आफ फाइनेंशियल स्टेटमेण्ट्स" (वित्तीय विवरणियों की तैयारी तथा प्रस्तुतिकरण विषयक् रूपरेखा) भी तैयार किया जा रहा है ।

4. बोर्ड वर्तमान लेखाविधि मानक (ए. एस.) 5, पूर्ववर्ती अवधि तथा लेखाविधि नीतियों में असाधारण मदें और परिवर्तन का पुनर्विलोकन कर रहा है ।

5. यह निर्णय लिया गया है कि बोर्ड को निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व लेकर और अधिक व्यापक स्वरूप प्रदान किया जाए :—

(क) लेखा महानियंत्रक;

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड; तथा

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमाशुल्क बोर्ड ।

2. लेखा-परीक्षा पद्धति समिति

1. वर्ष 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए लम्बे प्रपत्र की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के प्ररूपों को इस निमित्त समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर पुनरीक्षित किया था । तदनुसार, समिति ने इस विषय पर अपनी "मार्ग-दर्शन-पुस्तिका" को पुनरीक्षित किया है । पुनरीक्षित मार्ग-दर्शन-पुस्तिका को प्रकाशनार्थ तैयार किया जा रहा है ।

2. बैंक लेखा-परीक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकासों के संदर्भ समिति ने यह निर्णय लिया है कि इस विषय पर संपूर्ण देश में अनेकानेक सेमिनारों का आयोजन किया जाए । तदनुसार सेमिनारों में चर्चा के लिए आधार सामग्री के रूप में काम में आने के लिए एक विस्तृत पृष्ठभूमि वाली सामग्री तैयार की गई है । सेमिनारों का वास्तविक संचालन सतत् व्यावसायिक शिक्षा समिति द्वारा किया गया ।

3. समिति ने "आडिट आफ बैंक्स" की बाबत प्रकाशन के पुनरीक्षित संस्करण का काम पूरा कर लिया है । अर्थ-व्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर के महत्व को तथा बैंकों की प्रभावकारी लेखा-परीक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रकाशन का पुनरीक्षित संस्करण एक अध्ययन के बताए एक गाइडेंस नोट के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है । पुनरीक्षित संस्करण में विभिन्न क्षेत्रों में अद्यतन जानकारी समाविष्ट की गई है ।

4. "आडिट आफ इन्वेस्टमेण्ट्स" (विनिधानों की लेखा-परीक्षा) के बारे में एक गाइडेंस नोट (मार्गदर्शन-पुस्तिका) को भी अंतिम रूप दे दिया गया है ।

5. निम्नलिखित विषयों पर मार्गदर्शन-पुस्तिका अनेक प्रक्रमों पर निर्माणाधीन है :—

(क) नकदी और बैंक अतिशेषों की लेखा-परीक्षा;

(ख) प्रकीर्ण व्यय की लेखा-परीक्षा;

(ग) राजस्वों की लेखा-परीक्षा;

(घ) व्यय की लेखा-परीक्षा;

(ङ) पूंजी और आरक्षित निधियों की लेखा-परीक्षा;

(च) दायित्वों की लेखा-परीक्षा ।

6. निम्नलिखित विषयों पर मानक लेखा-परीक्षा पद्धतियों पर प्रस्थापित विवरणियां अनेक प्रक्रमों पर निर्माणाधीन हैं :—

(क) दूसरे लेखा-परीक्षक के कार्य का उपयोग करना;

(ख) संयुक्त लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व;

(ग) लेखा-परीक्षा तात्विकता (आडिट मैटीरियलिटी);

(घ) प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रतिनिधित्व;

(ङ) लेखा-परीक्षा जोखिम,

(च) लेखा-परीक्षा प्रतिचयन (ऑडिट सैम्पलिंग),

(छ) लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख, तुलन पत्र तारीख के बाद की घटनाएं, वित्तीय विवरणियां जारी किए जाने के पश्चात् तथ्यों का पता चलना,

(ज) लेखा प्राक्कलनों की लेखा-परीक्षा,

(झ) चालू समुत्थान ।

7 समिति "ई डी पी एनवाइरनमेन्ट में लेखा-परीक्षा पर अध्ययन" तैयार करने के काम में भी लगी हुई है ।

3 अनुसंधान समिति

निम्नलिखित प्रकाशन निकालने के लिए निकाले गए —

(क) प्रोजेक्ट एप्रेजल—भारतीय वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षाएं—(वर्तमान प्रकाशन "भारतीय वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षाओं के संदर्भ में प्रोजेक्ट एवल्यूशन" का पुनरीक्षण),

(ख) स्टेटमेण्ट्स एण्ड स्टैण्डर्ड्स आन एकाउन्टिंग (तृतीय संस्करण) का सार,

(ग) स्टेटमेण्ट्स एण्ड स्टैण्डर्ड्स आन आडिटिंग (तृतीय संस्करण) का सार,

(घ) मार्गदर्शन-पुस्तिका का सार—जिल्द 1 (चतुर्थ संस्करण),

(ङ) मार्गदर्शन-पुस्तिका का सार—जिल्द 2 (तृतीय संस्करण),

(च) "ट्रीटमेन्ट आफ एक्सपेण्डीचर ड्यूरिंग कन्स्ट्रक्शन पीरियड" पर पुनरीक्षित मार्गदर्शन-पुस्तिका,

(छ) शिक्षण संस्थाओं की लेखा-परीक्षा के लिए तकनीकी निर्देशिका,

(ज) "ट्रीटमेण्ट आफ रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स इन एकाउन्ट्स" पर पुनरीक्षित विवरणी,

(झ) आंतरिक लेखा-परीक्षा—सीमेन्ट उद्योग विषयक् मार्गदर्शक सिद्धान्त ।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 14 में संशोधनों से उत्पन्न होने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक मार्गदर्शन-पुस्तिका भी संस्थान की पत्रिका (जर्नल) में प्रकाशित की गई है ।

आशा है कि निम्नलिखित प्रकाशन भी शीघ्र ही आ जाएंगे —

(क) शेयर मूल्यांकन पर अध्ययन,

(ख) अस्पतालों के विशेष संदर्भ में लाभरहित संगठनों में प्रबन्ध नियन्त्रण प्रणालियां (अनुसंधान फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत जो भारत की स्वतन्त्रता की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मंजूर की गई थी),

(ग) आन्तरिक लेखापरीक्षा—टायर उद्योग विषयक मार्गदर्शक सिद्धान्त ।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं —

(क) "ट्रेन्ड्स इन पब्लिश्ड एकाउन्ट्स" विषयक् प्रकाशन का पुनरीक्षण,

(ख) चिट फण्डों का लेखाकरण,

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के संबंध में लेखापाल निर्देशिका,

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि (पुनरीक्षित संस्करण) के संबंध में लेखापाल निर्देशिका,

(ङ) अंतरण मूल्य-निर्धारण ।

समिति के विचाराधीन विभिन्न परियोजनाएं —

(क) बैंकों में आन्तरिक नियन्त्रण,

(ख) निम्नलिखित के संबंध में लेखाविधि तथा लेखा-परीक्षा विषयक् तकनीकी निर्देशिका —

(1) आटोमोबाइल उद्योग, तथा
(2) उर्वरक उद्योग ।

(ग) आंतरिक लेखा-परीक्षा—चीनी उद्योग संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्त,

(घ) वन विज्ञान लेखाविधि,

(ङ) खाद्यान्न व्यापार कार्यकलाप चलाने वाले संगठनों में आंतरिक लेखा परीक्षा विषयक् मार्गदर्शक सिद्धान्त,

(च) फिल्म उद्योग लेखाविधि,

(छ) बैंकों में निरीक्षण लेखा परीक्षा ।

चालू परियोजनाएं —

(क) लेखा और लेखा-परीक्षा तकनीकी निर्देशिका—होटल उद्योग ।

(ख) सीमाशुल्क विधि के संबंध में लेखापाल निर्देशिका ।

(ग) लेखा और लेखा-परीक्षा तकनीकी निर्देशिका—औषधि तथा भेषज उद्योग ।

(घ) सरकारी विभागों और वैसे ही अन्य लाभरहित संस्थाओं में लोक व्यय के लेखा दायित्व पर अनुसंधान परियोजना ।

(ङ) आमेलन तथा विलयन पर अध्ययन ।

(च) भविष्य निधि लेखा और लेखा-परीक्षा ।

(छ) मूलभूत एवं तकनीकी विश्लेषण ।

(ज) नगर-निगमों में वाणिज्यिक लेखाकरण का शुभारम्भ ।

(झ) अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग—एफ जी भागवत रिसर्च फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत "भारत और फ्रांस का तुलनात्मक अध्ययन" ।

(ञ) पृथक्करण तथा विभाजन ।

(ट) रिपोर्टिंग मेनेजमेण्ट—साइज इन्फार्मेशन पर अध्ययन ।

(ठ) कम्प्यूटर आधारित बजटिंग प्रणाली ।

(ड) ब्रीडर सीड प्रोडक्शन लेखाकरण ।

(ढ) एक्वा कल्चर/मत्स्य पालन/मैरीन कल्चर चलाने वाले निकायों के संबंध में लेखा और लेखा-परीक्षा विषयक तकनीकी निर्देशिका ।

(ण) फैक्टर्ड ऋण लेखाकरण के संबंध में मार्गदर्शन-पुस्तिका ।

नई परियोजनाएं, जो हाल में ही शुरू की गई हैं —

(क) आफ-बैलेंस शीट आइटमों का लेखाकरण;

(ख) वित्तीय नीतियां चालू पूंजी प्रबंध,

(ग) वित्तीय नीतियां दीर्घकालिक निधि प्रबंध,

(घ) कम्पनियों का परिसमापन;

(ङ) गैर-सरकारी विकास संगठनों के लिए लेखा और लेखा-परीक्षा,

(च) एल्युमीनियम उद्योग के संबंध में लेखा और लेखा-परीक्षा विषयक तकनीकी निर्देशिका,

(छ) सिविल निर्माण के संबंध में लेखा और लेखा-परीक्षा तकनीकी निर्देशिका,

(ज) समाचार-पत्र प्रकाशन क्रियाकलाप चलाने वाले निकायों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन ।

वर्तमान प्रकाशन जो पुनरीक्षणाधीन हैं —

(1) टेक्नीकल गाइड फार आडिट आफ कोआपरेटिव सोसाइटीज,

(2) गाइडेंस नोट आन आडिट आफ एकाउन्ट्स आफ मेम्बर्स आफ स्टाक एक्सचेंजेज ।

वर्ष 1994-95 में अनुसंधान के नए थ्रस्ट क्षेत्र

चालू वर्ष में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित थ्रस्ट क्षेत्रों को परिलक्षित किया गया है —

(1) मैनेजमेण्ट/आपरेशंस लेखापरीक्षा,

(2) एकाउन्टिंग एण्ड आडिटिंग फार इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डस्ट्री,

(3) वित्तीय सेवा क्षेत्र ।

उपर्युक्त क्षेत्रों के संबंध में अनेक अनुसंधान परियोजनाओं को परिलक्षित किया गया है और उनके संबंध में चालू वर्ष में कार्यवाही किए जाने की आशा है ।

शील्ड पैनल

पूर्व की भांति वर्ष 1992-93 के लिए निम्नलिखित प्रवर्गों में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत लेखाओं के लिए प्रतियोगिता के विजेताओं को वार्षिक अधिवेशन में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे (1) पब्लिक/संयुक्त सेक्टर कम्पनियां तथा गैर-वित्तीय कानूनी निगम; (2) गैर-वित्तीय प्राइवेट सेक्टर कम्पनियां, (3) बैंक और वित्त संस्थाएं, तथा (4) अन्य निकाय ।

4 व्यावसायिक (वृत्तिक) विकास समिति

1. पूर्व की भांति, समिति ने वर्ष 1993-94 के लिए 28 पब्लिक सेक्टर की बैंकों के कानूनी शाखा लेखा-परीक्षकों और प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कानूनी केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों तथा शाखा लेखा-परीक्षकों का पैनल बनाने के लिए सदस्यों/फर्मों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए । आवेदन-पत्रों की जांच-पड़ताल के बाद एक पैनल बनाया गया और प्राधिकारियों को पेश किया गया ताकि विभिन्न बैंकों द्वारा लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करना आसान हो सके । समिति ने वर्ष 1994-95 के लिए पैनल बनाने के लिए भी आवेदन-पत्र आमंत्रित किए हैं ।

2. समिति बैंकों के मामले में और साथ ही अन्य संस्थाओं के मामले में भी लेखा-परीक्षा की फीस बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है । इन प्रयासों के फलस्वरूप, पब्लिक सेक्टर की बैंकों के कानूनी केन्द्रीय और कानूनी शाखा लेखा परीक्षकों को सदेय लेखा-परीक्षा फीस वर्ष 1993-94 से बढ़ा दी गई है ।

3. ''प्रोफेशनल अपोरचुनिटीज फार मेम्बर्स एंड एप्रेंटिस'' नामक प्रकाशन का पुनरीक्षण संस्करण इस वर्ष प्रकाशित कर दिया गया है ।

4. समिति विभिन्न राज्यों में विक्रय-कर लेखा-परीक्षा आरम्भ कराने का सोत्साह प्रयास कर रही है । इन प्रयासों के फलस्वरूप केरल के अतिरिक्त, जो इस पद्धति को लागू करने वाला प्रथम राज्य था, पाण्डिचेरी तथा कर्नाटक की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में विक्रय-कर लेखा परीक्षा शुरू कर दी है । ऐसा समझा जाता है कि विभिन्न दूसरे राज्यों की सरकारें भी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं ।

5. समिति ने सदस्यों के लिए अतिरिक्त व्यावसायिक अवसर पैदा करने के बारे में एक कार्य योजना तैयार करने के लिए एक विशेष ग्रुप की स्थापना की है । इस ग्रुप की सिफारिशों की समिति द्वारा परीक्षा की जाएगी और तत्पश्चात् उस पर समुचित अनुवर्ती कार्यवाई की जाएगी ।

5. उद्योगरत सदस्यों की समिति

1. जैसा कि समिति द्वारा निर्णय लिया गया है, डब्ल्यू आई आर सी तथा एस आई आर सी ने वर्ष 1993-94 में अपने-अपने क्षेत्रों में उद्योगरत सदस्यों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया । वर्ष 1994-95 के लिए भी समिति ने यह निर्णय लिया है कि प्रादेशिक परिषदों तथा पांच बड़ी शाखाओं द्वारा उद्योगरत सदस्यों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ।

2. संस्थान ने पब्लिक सेक्टर की बैंकों में भर्ती विषयक पद्धति एवं प्रक्रिया की जांच-पड़ताल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री डी. आर. मेहता की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय समिति के समक्ष अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए ताकि पब्लिक सेक्टर की बैंकों में चार्टर्ड एकाउन्टेण्टों के नियोजन की संभावनाओं को बेहतर बनाया जा सके साथ ही सदस्यों द्वारा सामना की जाने वाली कतिपय कठिनाइयों को भी दूर किया जा सके ।

3. समिति ने 16—19 जून को काठमाण्डू (नेपाल) में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्ध पर एक आवासिक सम्मेलन आयोजित किया ।

6. नियमित विधि समिति

1. समिति ने 2—4 दिसम्बर, 1993 को बंगलौर में राज्य वित्तीय विधि समिति के सहयोग से राज्य वित्तीय तथा नियमित

विधियों पर 25वां अखिल भारतीय सेमिनार (संगोष्ठी) आयोजित किया। इस सेमिनार में विभिन्न प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर संस्थाओं के अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

2. समिति द्वारा "ए गाइडेंस नोट आन सर्टीफिकेशन आफ डाक्यूमेण्ट्स फार रजिस्ट्रेशन आफ चार्जेज" भी प्रकाशित किया गया।

3. कम्पनी विधेयक, 1993 के विभिन्न उपबंधों के बारे में सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा गया। कम्पनी कार्य विभाग ने ज्ञापन में दिए गए अधिकांश सुझावों के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चूंकि कम्पनी अधिनियम का पुनः संहिताबद्ध करने का कार्य अभी विचाराधीन है, इसलिए समिति प्राधिकारियों के साथ निरन्तर निकट सम्पर्क बनाए हुए है और कम्पनी कार्य विभाग से निदेश प्राप्त होने पर अनेक तकनीकी मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की है।

4. समिति ने दूसरे प्राधिकारियों को, अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, बीमा सेक्टर में सुधारों के लिए मल्होत्रा समिति, आदि को विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अपनी राय/ टिप्पणियां भी भेजी हैं।

7. राज वित्तीय विधि समिति

1. केन्द्रीय बजट

संस्थान का बजट-पूर्व ज्ञापन-1994 केन्द्रीय वित्त मंत्री, वित्त सचिव श्री, सी.बी.डी.टी. और अन्य संसंगत प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया। संस्थान का बजट-उत्तर-ज्ञापन, जिसमें वित्त विधेयक, 1994 पर टिप्पणियां और सुझाव सम्मिलित थे, भी उपरोक्त प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया। बजट-पूर्व ज्ञापन और बजट-उत्तर ज्ञापन के संबंध में सी.बी.डी.टी. और वित्त मंत्रालय के अन्य प्राधिकारियों के साथ अनेक अधिवेशनों में विचार-विमर्श किया गया।

2. राज वित्तीय और निगमित विधियों पर अखिल भारतीय सेमिनार (संगोष्ठी)

निगमित विधि समिति के साथ संयुक्त रूप से समिति ने बंगलौर में 2 दिसम्बर से 4 दिसम्बर, 1993 तक राज-वित्तीय और निगमित विधियों पर 25वें अखिल भारतीय भारतीय सेमिनार (संगोष्ठी) का आयोजन किया। संगोष्ठी का विषय था "फिस्कल एण्ड कारपोरेट लाज इन दि-लिबरलाइज्ड इकोनामिक सोसाइटी" (उदारीकृत आर्थिक परिदृश्य में राज वित्तीय तथा निगमित विधियां) सेमिनार में देश के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

3. सरकार को अभ्यावेदन

विभिन्न प्रशासनिक एवं प्रक्रियागत समस्याओं पर अध्यक्ष, सी.बी.डी.टी. के साथ अनेक बैठकें की गईं। समिति ने सी.बी.डी.टी. द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. 681 के संबंध में एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया। इसमें यह कहा गया था कि या तो उक्त परिपत्र को वापस ले लिया जाए या उसे समुचित रूप से संशोधित किया जाए ताकि व्यावसायिक (वृत्तिक) सेवाओं को धारा 194-ग की परिधि से बाहर रखा जा सके।

4. प्रकाशन

समिति ने "आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच.डी. और धारा 80 एच.एच.सी. के संबंध में गाइडेंस नोट" के तृतीय संस्करण को अंतिम रूप दे दिया है। उक्त प्रकाशन को विक्रय हेतु प्रकाशित कर दिया गया है। समिति ने "मोनोग्राफ आन कम्पलसरी मेंटीनेंस आफ एकाउंटस" को भी अंतिम रूप दे दिया है। "ए स्टडी आन टैक्सेशन आफ चैरिटेबिल एण्ड रिलीजियस ट्रस्ट्स एण्ड इंस्टीट्यूशंस" (पूर्त तथा धार्मिक न्यास एवं संस्थाओं का कराधान-एक अध्ययन) भी पुनरीक्षणाधीन है।

8. सतत व्यावसायिक (वृत्तिक) शिक्षा समिति

1. आज्ञापक सतत् व्यावसायिक (वृत्तिक) शिक्षा (सी.पी.ई.)

सन् 1949 में अपने प्रारम्भ से ही संस्थान ने सदैव अपने सदस्यों के लिए सतत् व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है और इसका एक स्वीकृत उद्देश्य के रूप में पालन किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके सदस्य सेवा और ज्ञान की वह गुणवत्ता (उत्कृष्टता) बनाए रख सकें जिसकी उनसे आशा की जाती है। इस संदर्भ में, परिषद यह संकल्प करती है कि इस व्यवसाय में कार्यरत सदस्यों से समयक् अनुक्रम में पांच (5) वर्ष की एक खण्ड कालावधि में 25 (पच्चीस) घंटों का सी.पी.ई. का कार्यक्रम अनिवार्यतः पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी। उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यथोचित कर्मचारिवृन्द सहित एक पृथक निदेशालय, अर्थात सी.पी.ई. निदेशालय (सतत व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय) की स्थापना की जाएगी।

2. श्रृंखलाबद्ध (संगोष्ठियां)

संस्थान की श्रृंखलाबद्ध सेमिनार (संगोष्ठी) स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष समकालीन प्रासंगिकता के अनिवार्य क्षेत्रों की खोज करना तथा केन्द्रीय परिषद्, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के समन्वित प्रयासों के जरिये उस पर सेमिनार आयोजित करना होगा। वर्ष 1994 के लिए सेमिनारों की तीन श्रृंखलाओं की योजना निम्न प्रकार बनाई गई है :—

(क) बैंक लेखा-परीक्षा पर श्रृंखलाबद्ध सेमिनार

बैंककारी एक गतिशील क्रियाकलाप है जिसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। हाल ही के वर्षों में बैंकों के संव्यवहारों के परिमाण एवं विस्तार में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा, गैर-परम्परागत कार्यों, उदाहरणार्थ, विदेशी मुद्रा कार्यकलापों, वाणिज्यिक बैंककारी, पोर्टफोलियो (संविभाग) प्रबन्ध, विनिधान आदि ने इस कालावधि में पर्याप्त महत्व प्राप्त कर लिया है। इन विकासों (गतिविधियों) का विचार करते हुए यह निश्चय किया गया कि बैंकों के लेखा-परीक्षकों को विनियम संबंधी नवीनतम जानकारियों से परिचित कराने के उद्देश्य से बैंक लेखा-परीक्षा पर सेमिनारों की श्रृंखला आयोजित की जाए ताकि वे बदलते परिवेश में प्रभावपूर्ण लेखा परीक्षाएं कर सकें।

इस लक्ष्य की दिशा में एकरूप बुनियादी सामग्री का संकलन किया गया ताकि बैंक-लेखा परीक्षा पर सेमिनारों में परिचर्चा के लिए उसे आधार बनाया जा सके। देश भर में मार्च से जून, 1994 की अवधि में सेमिनार आयोजित किए गए।

(ख) कराधान पर श्रृंखलाबद्ध सेमिनार

अपने सदस्यों के व्यावसायिक कामकाज में कराधान के निरन्तर महत्व को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया कि अगस्त से अक्तूबर, 1994 की अवधि के दौरान कराधान पर श्रृंखलाबद्ध सेमिनार आयोजित किए जाएं। सेमिनारों में भाग लेने वाले व्यक्तियों में वितरित करने के लिए एकरूप बुनियादी सामग्री को सतत् व्यावसायिक (वृत्तिक) शिक्षा समिति द्वारा गठित एक अध्ययन-दल द्वारा तैयार किया जा रहा है।

(ग) निगमित वित्त तथा अन्तरराष्ट्रीय उधारदाता संस्थाओं पर श्रृंखलाबद्ध सेमिनार

आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में निगमित निकायों की वित्त नीतियां बनाने में चार्टर्ड एकाउंटेण्टों की निरन्तर बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए यह महसूस किया गया कि निगमित वित्त तथा अन्तरराष्ट्रीय उधारदाता संस्थाओं पर श्रृंखलाबद्ध सेमिनार आयोजित किए जाएं। इन सेमिनारों के लिए एकरूप बुनियादी सामग्री को सतत् व्यावसायिक शिक्षा समिति द्वारा गठित एक अध्ययन दल द्वारा तैयार किया जा रहा है।

3. कम्प्यूटर पाठ्यक्रम

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम खासतौर पर इस तरह बनाए गए हैं कि संस्थान के सदस्यों और छात्रों की जरूरतें पूरी हो सकें। योजना है कि पाठ्यक्रम के दो चरण होंगे। पहला, चरण है अभिसंस्करण पाठ्यक्रम जिसका उद्देश्य विभिन्न लेखांकन अनुप्रयोगों के लिए कम्प्यूटरों का इस्तेमाल और व्यावहारिक अभिसंस्करण प्रदान करना है; दूसरे चरण में कम्प्यूटर एप्लीकेशन मोड्यूल आते हैं, ये विभिन्न मोड्यूलों में डाले गए उच्च पाठ्यक्रम हैं।

सदस्यों और छात्रों के लिए इन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त केन्द्र, सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के अधिकारियों और प्रबंधकों के लिए एक सीमित संख्या में कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

वर्ष के दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में वित्तीय प्रबन्ध और प्रबन्ध लेखांकन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

4. अन्य कार्यक्रम

वर्ष के दौरान अन्य निम्नलिखित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए :—

(1) प्रबन्ध लेखांकन के आयामों पर आई.सी.ए.आई. और आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई. का संयुक्त कार्यक्रम दिसम्बर 1993 में मद्रास में आयोजित किया गया था।

(2) निगमित वित्त और विधि के आयामों पर आई.सी.ए.आई. और आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई. का संयुक्त कार्यक्रम फरवरी, 1994 में इन्दौर में आयोजित किया गया था।

5. अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम

तीनों अर्हतोत्तर पाठ्यक्रमों अर्थात् प्रबंध लेखा-कर्म पाठ्यक्रम, निगमित प्रबंध पाठ्यक्रम और कर-प्रबंध पाठ्यक्रम के लिए मई, 1993 में और प्रबंध लेखा-कर्म पाठ्यक्रम के लिए नवम्बर, 1993 में परीक्षाएं आयोजित की गई थीं।

अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को पुनरीक्षित किया जा रहा है ताकि पाठ्यक्रमों को प्रभावकारी तथा व्यवहार मूलक बनाया जा सके। वित्तीय सेवाओं की बढ़ती महत्ता के फलस्वरूप प्रबंध लेखाकर्म में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम (जिसका प्रबंध लेखांकन तथा वित्तीय सेवाओं में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम के रूप में पुन: नामकरण किया जाना प्रस्तावित है) की प्रस्तावित पाठ्यचर्या में वित्तीय सेवाओं पर अधिक बल दिया गया है।

6. योग्यता छात्रवृत्ति

अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम की प्रोत्साहन स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में समिति ने प्रबंध लेखाकर्म पाठ्यक्रम के लिए 4 योग्यता छात्रवृत्तियां, कर-प्रबंध पाठ्यक्रम के लिए 4 योग्यता छात्रवृत्तियां और निगमित प्रबन्ध पाठ्यक्रम के लिए 2 योग्यता छात्रवृत्तियां दीं।

7. मैनेजमेन्ट एण्ड इकोनामिक डाइजेस्ट (प्रबंध तथा आर्थिक सार संग्रह)

संस्थान ने वर्ष 1993-94 में त्रैमासिक पत्रिका "मैनेजमेंट एण्ड इकोनामिक डाइजेस्ट" के चार अंक प्रकाशित किए। उनमें प्रबन्ध और अर्थशास्त्र विषयों में समकालीन मुद्दों पर महत्वपूर्ण लेखों के सार छापे गए हैं।

9. विशेषज्ञ सलाहकार समिति

इस वर्ष के दौरान समिति ने अनेक शंकाओं पर विचार किया और उनका समाधान किया। "द कम्पेनडियम आफ ओपीनियन्स" खण्ड 12 बिक्री के लिए जारी किया गया। "द कम्पेनडियम आफ ओपीनियन्स" खण्ड 13, में जनवरी, 1993 और जनवरी, 1994 के बीच जारी की गई समिति की राय समाविष्ट है, इस पर कार्रवाई हो रही है और इसके शीघ्र ही प्रकाशित होने की संभावना है। "द कम्पेनडियम आफ ओपीनियन्स" के पिछले खंडों का पुनरीक्षण चल रहा है।

10. नैतिक मानदण्डों और लेखा परीक्षकों को अनुचित रूप से निकाले जाने विषयक समिति

वर्ष के दौरान समिति ने सदस्यों के व्यावसायिक (वृत्तिक) आचरण संबंधी अनेक शंकाओं और लेखापरीक्षकों को अनुचित रूप से निकाले जाने से संबंधित अभिकथनों की परीक्षा की और उनका समाधान किया। परिषद द्वारा समिति के विस्तार और कृत्यों को बढ़ाकर उनमें सरकार द्वारा लेखा परीक्षकों को अनुचित रूप से निकाले जाने संबंधी मामलों को भी सम्मिलित कर लिए जाने के कारण कुछ ऐसे मामलों की भी समिति द्वारा जांच की गई और परिषद को रिपोर्टें प्रस्तुत की गई।

परिषद ने समिति की सिफारिश के आधार पर इस बात का अनुमोदन किया कि सदस्यों को उन दिशानिर्देशों/मार्गदर्शनों के अधीन रहते हुए, जो संस्थान की जर्नल (पत्रिका) की नवम्बर, 1993 के अंक में प्रकाशित किए गए थे, अपने नामों

को गैर-सरकारी अभिकरण (एजेन्सियों) द्वारा निकाली जा रही निर्देशिका (डाइरेक्टरी) में प्रकाशित कराने के लिए अनुज्ञात किया जाए । समिति के तत्वावधान में, आचार संहिता तथा व्यावसायिक (वृत्तिक) नैतिकता के विषय पर मद्रास, बंगलौर, हुबली, बेलगांव और अहमदाबाद में अनेक सेमिनार आयोजित किए गए । समिति ने पर्सपेक्टिव प्लानिंग ग्रुप की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाली व्यावसायिक (वृत्तिक) नैतिकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया । समिति संस्थान द्वारा प्रकाशित "कोड आफ कन्डक्ट" (आचार संहिता) तथा "व्यावसायिक (वृत्तिक) नैतिकता" (प्रोफेशनल इथिक्स) को अद्यतन बनाने में लगी हुई है ।

2. विश्वविद्यालय और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड सम्पर्क समिति

1. विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त सेमिनार (संगोष्ठियां)

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक बोर्डों के साथ संस्थान के सम्बन्धों को दृढ़तर करने के अपने प्रयासों में समिति ने 30 अप्रैल, 1994 को कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी (पश्चिमी बंगाल) के साथ संयुक्त रूप से सेमिनार आयोजित किया ।

2. विश्वविद्यालयों द्वारा आई. सी. ए. आई. पुरस्कार/स्वर्ण पदक दिया जाना

संस्थान ने बी. काम. परीक्षा में लेखा-कर्म में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को आई. सी. ए. आई. स्वर्ण पदक/पुरस्कार देने के लिए 25 विश्वविद्यालयों में विन्यास बनाए हैं । संस्थान में विन्यास रखने वाले ऐसे विश्वविद्यालयों की सूची नीचे दी गई है :—

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	पुरस्कार की प्रकृति
1	2	3
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	पुरस्कार
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	पुरस्कार
3.	बंगलौर विश्वविद्यालय	स्वर्ण पदक
4.	बंबई विश्वविद्यालय	स्वर्ण पदक
5.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	पुरस्कार
6.	कालीकट विश्वविद्यालय	पुरस्कार
7.	दिल्ली विश्वविद्यालय	पुरस्कार
8.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	पुरस्कार
9.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	पुरस्कार
10.	जम्मू विश्वविद्यालय	पुरस्कार
11.	जोधपुर विश्वविद्यालय	पुरस्कार
12.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	पुरस्कार
13.	लखनऊ विश्वविद्यालय	पुरस्कार
14.	मद्रास विश्वविद्यालय	स्वर्ण पदक
15.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	पुरस्कार
16.	मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	पुरस्कार
17.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पुरस्कार
18.	नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर	स्वर्ण पदक
19.	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राममोहनपुर (दार्जिलिंग)	पुरस्कार
20.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	स्वर्ण पदक
21.	पूना विश्वविद्यालय	पुरस्कार
22.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	पुरस्कार
23.	रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	पुरस्कार
24.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	पुरस्कार
25.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	पुरस्कार

3. सी. ए. पाठ्यक्रम को मान्यता

संस्थान चार्टर्डलेखाकर्म पाठ्यक्रम को पी. एच. डी. कार्यक्रम के लिए मान्य कराने के लिए विश्वविद्यालयों से बराबर सम्पर्क बनाए हुए है । भारतीय विश्वविद्यालय संघ और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट (अहमदाबाद और कलकत्ता) के अलावा इस समय 39 विश्वविद्यालय सी. ए. पाठ्यक्रम को पी. एच. डी. के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एम. काम. के समकक्ष मानते हैं । उन विश्वविद्यालयों की सूची, जिन्होंने सी. ए. पाठ्यक्रम को इस प्रयोजन के लिए मान्यता दी है,

1. संघ

1. भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली ।

2. संस्थान

1. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट, अहमदाबाद ।
2. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट, कलकत्ता ।

3. विश्वविद्यालय

1. आगरा विश्वविद्यालय, आगरा ।
2. अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पा नगर, करईकुडी ।
3. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।
4. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।
5. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर ।
6. भारतीदासन विश्वविद्यालय, त्रिचिरापल्ली ।
7. मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई ।
8. कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट ।
9. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर ।
10. गांधीजी विश्वविद्यालय, कोट्टायम ।
11. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद ।
12. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला ।
13. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
14. कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर ।
15. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर ।
16. केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम ।

17. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ।
18. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
19. एम. एस. विश्वविद्यालय आफ बड़ौदा, बड़ौदा ।
20. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, राहतक ।
21. मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर ।
22. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद ।
23. मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ ।
24. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
25. मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर ।
26. नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राममोहनपुर (दार्जिलिंग) ।
27. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद ।
28. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी ।
29. पूना विश्वविद्यालय, पूना ।
30. पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ ।
31. पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला ।
32. रांची विश्वविद्यालय, रांची ।
33. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर ।
34. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट ।
35. शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ।
36. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति ।
37. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।
38. काशी विद्यापीठ, वाराणसी ।
39. कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ ।

4. सी. ए. पाठ्यक्रम को लोकप्रिय बनाना ।

समिति ने सी. ए. पाठ्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न महाविद्यालयों/विद्यालयों में "चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट के रूप में वृत्ति (व्यवसाय)" विषय पर परिचर्चाएं आयोजित कीं तथा "दी केयर फार यू इफ यू आर करियर कान्शस" नामक पैम्फलेट (पुस्तिका) का भरपूर उपयोग किया ।

परिशिष्ट—4

(संदर्भ—रिपोर्ट का पैरा 3)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

1. अंतरराष्ट्रीय लेखापाल परिसंघ (आई. एफ. ए. सी.)

सन् 1977 से भारत अंतरराष्ट्रीय लेखापाल परिसंघ का सदस्य है । इस अवधि के दौरान संस्थान को इस अंतरराष्ट्रीय लेखापाल परिसंघ की परिषद् और इसकी कुछ समितियों में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ।

संस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री के. एम. अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय लेखापाल परिसंघ की परिषद् में संस्थान के प्रतिनिधि हैं । संस्थान के पूर्व अध्यक्ष तथा परिषद् के वर्तमान सदस्य श्री एन. सी. सुंदरराजन् अंतरराष्ट्रीय लेखापरीक्षा पद्धति समिति में इस संस्थान के नामनिर्देशिती हैं ।

2. अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक समिति बोर्ड

अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक समिति बोर्ड के सन् 1973 में गठन के पश्चात् भारत को प्रथम बार इसकी सदस्यता ग्रहण किए जाने के लिए आमंत्रित किया गया । संस्थान के अध्यक्ष श्री एन. पी. शारदा अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक समिति बोर्ड में संस्थान के नामनिर्देशिती के रूप में बने रहे ।

3. एशियाई तथा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के लेखापालों का महासंघ (कन्फेडरेशन) (सी. ए. पी. ए.)

संस्थान सन् 1976 में एशियाई तथा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के लेखापालों के महासंघ के गठन के समय से ही उसका सदस्य है । "अपारचुनिटीज इन ग्लोबलाइज्ड इकोनामी" विषय पर एशियाई तथा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के लेखापालों के महासंघ का 13वां सम्मेलन वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा, में तारीख 26—29 सितम्बर, 1993 तक आयोजित किया गया था । श्री एन. पी. शारदा, अध्यक्ष, श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष और डा. कमल गुप्ता, तकनीकी निदेशक, ने संस्थान का प्रतिनिधित्व किया । सी. ए. पी. ए. सभा के प्रतिनिधियों का भी एक सम्मेलन 28 सितम्बर, 1993 को आयोजित किया गया था । इस अधिवेशन में सी. ए. पी. ए. की एक नई कार्यपालक समिति चुनी गई थी । भारत (आई. सी. डब्ल्यू. ए. आई.) को इस कार्यपालक समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया था ।

4. दक्षिण एशियाई लेखापालों का परिसंघ (एस. ए. एफ. ए.)

संस्थान इस परिसंघ (एस. ए. एफ. ए.) का एक संस्थापक सदस्य है जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी । एस. ए. एफ. ए. सभा का 21वां अधिवेशन और एक दो-दिवसीय सेमिनार 20—22 अक्तूबर, 1993 को चिटगांव, बांग्लादेश में आयोजित किया गया । सार्क देशों में, "पावर्टि एलिविएशन" (गरीबी उन्मूलन) विषय पर एस. ए. एफ. ए. का सेमिनार बांग्लादेश चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स संस्थान तथा बांग्लादेश लागत और प्रबंध लेखापाल संस्थान (इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड मैनेजमेण्ट एकाउन्टेण्ट्स आफ बांग्लादेश) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया । श्री एन. पी. शारदा, अध्यक्ष, श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष, डा. कमल गुप्ता, तकनीकी निदेशक, श्री के. एम. अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष एवम् सलाहकार एस. ए. एफ. ए. और श्री एल. एन. शर्मा, परिषद् सदस्य, ने इसमें भाग लिया ।

22वां एस. ए. एफ. ए. (साफा) सभा अधिवेशन और 9वां साफा सम्मेलन 10-11 जनवरी, 1994 को होटल पर्ल कान्टीनेण्टल, करांची, पाकिस्तान में आयोजित किया गया । "सार्क देशों के आर्थिक विकास में लेखापाल की भूमिका" विषय पर साफा सम्मेलन पाकिस्तान चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट संस्थान तथा इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट एकाउन्टेण्ट्स आफ पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया । तथापि, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, हमारी संस्थान का कोई भी प्रतिनिधि इस अधिवेशन और सम्मेलन में भाग नहीं ले सका । इस अधिवेशन में वर्ष 1994 के लिए निम्नलिखित को साफा (एस. ए. एफ. ए.) के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित किया गया :—

1. पाकिस्तान चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स संस्थान के श्री इब्राहिम सिद्दत को साफा का अध्यक्ष ।

2. बांग्लादेश के श्री जहीर उद्दीन अहमद को उपाध्यक्ष ।

3. श्रीलंका के श्री एन. ए. एल. केब्राल को साफा का सलाहकार ।

4. पाकिस्तान के श्री जावेद हनीफ जूबेरी को कार्यपालक सचिव ।

साफा का स्थायी सचिवालय नई दिल्ली में संस्थान के परिसर में ही स्थित बना रहा ।

परिशिष्ट–5

(संदर्भ: रिपोर्ट का पैरा 5.2)

मृत सदस्यों की सूची (1993–94)

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम	तारीख
1	7	3	4
1.	143	एन० एन० दास	28.9.93
2.	223	आर० वेंकटरामन	6.3.94
3.	322	एच० पी० इटालिया	10.6 93
4.	422	वी० एच० जमशेदजी	11.8.93
5.	745	डी० जी० जोशी	7.6.92
6.	831	वाई० टी० कोर्क	15.12.92
7.	885	जे० एल० भाटिया	9.11.93
8.	954	एच० भट्टाचार्जी	18.1.94
9.	979	स्वराज चण्डोक	25.10.93
10.	1200	पी० आर० मेहता	4.2.94
11.	1302	आर० शंकरन	19.12.93
12.	1704	पी० ए० नायर	19.11.93
13.	1778	एम० एल० भट्ट	17.1.94
14.	1785	के० एस० वी० रमन	21.12.93
15.	2032	ए० के० मित्तल	29.11.93
16.	2144	ए० वेंकटेश्वरन	20.8.93
17.	2151	ए० के० नन्दी	15.1.94
18.	2184	बी० सी० दस्तूर	20.4.93
19.	2212	आर० लहिरी	10.11.93
20.	2313	एल० एस० कृष्णमूर्ति	10.6.93
21.	2323	आर० गुप्ता	6.10.92
22.	2328	रामनाथ दास	14.7.92
23.	2533	मो० एच० मिर्जा	8.1.94
24.	2813	लाल चन्द्र भवानी	4.1.92
25.	3210	एन० डी० चौकसी	8.8.93
26.	3365	के० के० चटर्जी	9.5.93
27.	3425	बी० विश्वनाथन	17.5.93
28.	3449	देवी प्रसाद देव	23.12.92
29.	3501	वी० नगेश्वर राव	23.12.93
30.	3615	माधव जी० भागवत	31.10.92
31.	3821	पी० टी० श्रॉफ	2.10.92
32.	3843	ए० वी० सुब्रह्मण्यम	29.7.93
33.	4105	एस० एस० सेन	23.2.94
34.	4634	बी० पी० कंसल	28.4.93
35.	4879	सी० सुंदराजा राव	12.4.92
36.	5301	वी. डी. बोरकर	2.8.93
37.	5341	जी० वी० प्रभु	18.10.92
38.	5613	टी० आर० जैन	8.12.92
39.	6150	डी० भीमेश्वर राव	25.12.92
40.	6190	टी० वी० सुब्रह्मण्यन	6.4.93
41.	6211	आर० सोमसुन्दरम्	16.3.93
42.	6333	एस० बी० गजरे	20.3.93
43.	6339	बी० जी० देसाई	12.4.93
44.	6633	एम० एस० शास्त्री	25.3.93
45.	6696	अजीत कुमार मित्रा	28.4.93
46.	7224	एस० के० सेत	8.3.94
47.	7315	एस० एफ० शमशुद	19.10.92
48.	7321	आर० आर० जांभेकर	5.4.93
49.	7352	एस० कृष्ण मूर्ति	6.3.94
50.	7735	जे० पी० श्रीवास्तव	18.4.93
51.	7985	टी० आर० श्रीनिवास	19.5.93
52.	8082	चौ जगन्नाथन	8.8.93
53.	8130	एस० गणेशन	18.11.91
54.	8146	एन० एम० गद्रे	6.6.93
55.	8234	एस० के० दत्त	14.9.93
56.	8393	एस० सान्याल	19.9.87
57.	8543	बी० एन० तिरुपलय्या	20.11.93
58.	9206	जी० डी० भूत	5.6.93
59.	9211	जे० के० गुप्ता	12.2.93
60.	9707	वाई० बी० दामले	2.11.93
61.	9723	के० एम० कोठारी	21.1.93
62.	9820	पी० कृष्णास्वामी	4.5.93
63.	10648	टी० एस० वैद्यनाथन	10.10.93
64.	12313	एस० एस० चौधरी	12.5.93
65.	12623	डी० एन० खदरिया	26.2.94
66.	13365	एस० घोष	22.12.93
67	13499	एस० के० जैन	7.9.92

1	2	3	4
68.	13582	आर० बी० विमदलाल	18.2.93
69.	16130	एम० बी० गांधी	27.20.93
70.	16768	मैथ्यू थामस	26.6.93
71.	17884	एस० के० बिलिमोरिया	29.8.93
72.	19370	पी० मुनीकृष्ण राव	8.5.93
73.	20783	एम० बी० जी० राजू	22.2.93
74.	22563	एन० रवि प्रकाश	2.10.93
75.	22785	ए० एम० रामास्वामी	25.1.94
76.	28164	जी० एस० राघवेन्द्रा मैया	5.1.93
77.	30218	एन० वी० गजानन	18.11.92
78.	30220	डी० बी० दवे	3.12.92
79.	30679	के० जी० भण्डारी	7.8.93
80.	31700	के० जे० राडविया	10.7.93
81.	33077	जैड० एम० पूनावाला	3.4.93
82.	36437	एम० स्वामी नाथन	7.5.93
83.	36937	आर० पी० छावड़ा	28.7.93
84.	38975	बी० के० शाह	11.11.92
85.	50103	बी० के० छाछड़िया	13.4.93
86.	50937	पी० जे० बासु	7.1.94
87.	51168	एम० पी० पंडा	20.2.94
88.	51356	एच आर० गुप्ता	18.6.93
89.	53985	बी० के० सरकार	31.12.93
90.	71133	आ० जी० अजमेरा	27.11.92
91.	81228	एन० एस० कृष्णास्वामी राव	1.5.93
92.	81259	आर० के० हजेला	1.2.93
93.	82585	रतन कुमार	5.12.92
94.	87662	राजेश गोयल	30.4.93
95.	89864	राजेश कुमार	25.1.94
96.	90543	ए० एस० साहनी	15.12.92
97.	90702	राजेन्द्र कुमार	15.12.93
98.	200327	एस० कृष्णमूर्ति	16.5.93
99.	200463	आर० वी० रामन राजू	31.10.93
100.	200590	टी० स्वामीनाथन	16.8.93

परिशिष्ट –6

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 6.2)

वर्ष 1993–94 में फाउंडेशन (प्राथमिक) पाठ्यक्रम के लिए रजिस्टर में दर्ज छात्रों की क्षेत्रवार संख्या

पश्चिमी भारत क्षेत्र	8003
दक्षिणी भारत क्षेत्र	4713
पूर्वी भारत क्षेत्र	6574
मध्य भारत क्षेत्र	5378
उत्तरी भारत क्षेत्र	5582
योग :	30250

परिशिष्ट –7

(संदर्भ: रिपोर्ट का पैरा 6.5)

इंटरमीडिएट और अंतिम पाठ्यक्रम के लिए रजिस्टर में दर्ज छात्रों की संख्या

	इंटर	अंतिम	योग
1–4–1993 को रजिस्टर में दर्ज छात्रों की संख्या	79,334	20,101	99,435
वर्ष 1993–94 हु प्रविष्ट किए गए छात्रों की संख्या	14,335	5,865	25,200
योग :	98,669	25,966	1,24,635
वर्ष (मई, 1993 तथा नवम्बर, 1993 में) (इंटरमीडिएट/ अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या (–)	12,030	7,015	19,053
31–3–1994 को प्रविष्ट छात्रों की कुल संख्या	86,641	18,951	1,05,582

परिशिष्ट –8

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 7.2)

1993 में आयोजित संस्थान की परीक्षाओं में बैठे उत्तीर्ण छात्रों के आंकड़े

इंटरमीडिएट और अंतिम परीक्षा, 1993

	इंटरमीडिएट		अंतिम	
	मई	नवम्बर	मई	नवम्बर
समूह–I				
परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या	16,321	18,796	7,796	8,439
उत्तीर्ण घोषित छात्रों की संख्या	5,586	1,672	1,345	1,284
समूह –II				
परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या	20,081	23,672	8,261	7,496
उत्तीर्ण घोषित छात्रों की संख्या	2,190	3,978	3,217	1,882
दोनों समूह :				
परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या	7,015	8,602	3,391	3,493
उत्तीर्ण घोषित छात्रों की संख्या	744	680	494	270

प्रवेश (फाउण्डेशन) परीक्षा –1993

परीक्षा का मास और वर्ष	परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या
जून, 1993	11,687	3,187
सितम्बर, 1993	7,226	959

परिशिष्ट––9

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 7.3)

मई, 1993 और नवम्बर, 1993 में आयोजित संस्थान की परीक्षाओं में पुरस्कार विजेताओं के नाम

अंतिम परीक्षा : मई, 1993

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए गए :––

रैंक, अनुक्रमांक और नाम

1. 11760––कु. दिवेकर वैशाली अनिल (800 में से कुल अंक 547)
2. 5446––सुनील मोदी (800 में से कुल अंक 546)
3. 4416––शर्मा राजेशकुमार मंगतू राम (800 में से कुल अंक 545)

1. जी. पी. कपाड़िया प्रथम अध्यक्ष स्वर्ण पदक जोकि सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाता है, कुमारी दिवेकर वैशाली अनिल, अनुक्रमांक 11760 को दिया जाएगा ।
2. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला जे. एस. लोढ़ा स्वर्ण पदक कुमारी दिवेकर वैशाली अनिल, अनुक्रमांक 11760 को दिया जाएगा ।
3. कुमारी दिवेकर वैशाली अनिल, अनुक्रमांक 11760 को सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को दिए जाने वाले रामचन्द्र सिंघी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा ।
4. सुनील मोदी, अनुक्रमांक 5446 को जयंतीलाल के. ठक्कर स्मारक पुरस्कार से, जोकि द्वितीय सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को दिया जाता है, सम्मानित किया जाएगा ।
5. सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी को दिया जाने वाला आर. शिवभोगम् पुरस्कार कुमारी दिवेकर वैशाली अनिल, अनुक्रमांक 11760 (जिसने 800 अंकों में से कुल अंक 547 प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा ।
6. प्रथम ग्रुप (वर्ग) में सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाला केरल वर्मा पुरस्कार, शर्मा राजेशकुमार मंगतूराम, अनुक्रमांक 4416 (जिसने 400 अंकों में से 280 अंक अर्जित किए) को दिया जाएगा ।

7. वित्तीय ग्रुप (वर्ग) में सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला पी. एन. घोष स्मारक पुरस्कार सुनील मोदी, अनुक्रमांक 5446 (जिसने 400 में से 297 अंक प्राप्त किए) को दिया जाएगा।

8. एकाउंटिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर (पेपर 1 और 2) के लिए दिया जाने वाला श्री शापूर जी बिलिमोरिया पुरस्कार जे. रामदास, अनुक्रमांक 9990 (जिसने 200 अंक में से 156 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा।

9. एडवांस्ड एकाउंटिंग (पेपर 1) में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला के. सी. खन्ना पुरस्कार श्रीश कुमार जैन, अनुक्रमांक 13955 (जिसने 100 अंक में से 72 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा।

10. मैनेजमेण्ट एकाउंटिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला जे. के. चोथी पुरस्कार जे. रामदास, अनुक्रमांक 9990 (जिसने 100 में से 93 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा।

11. लेखा परीक्षा (आडिटिंग) में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किया जाने वाला ए. पी. फर्ग्युसन पुरस्कार और आर. वेंकटेसन स्मारक पुरस्कार शर्मा राजेश कुमार मंगतराम, अनुक्रमांक 4416 (जिसने 100 में से 77 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा।

12. लेखा-परीक्षा (आडिटिंग) के पेपर में सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाली महिला अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला सुखनंदन गुप्त कपूरी देवी पुरस्कार कु. मीनाक्षी सुब्रह्मण्यम, अनुक्रमांक 4264 (जिसने 100 में से 71 अंक अर्जित किए) को दिया जाएगा।

13. कम्पनी विधि में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए यू. सी. मजूमदार पुरस्कार और एस. एम. शाह पुरस्कार गुप्ता लक्ष्मीकान्त सांवरमल, अनुक्रमांक 4259 और नितिन गुप्ता, अनुक्रमांक 6528 (जिन्होंने 100 में से 87 अंक प्राप्त किए) को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा।

14 प्रत्यक्ष कर विधि में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए एन. एम. शाह पुरस्कार, सरी स्मारक पुरस्कार और ए. जे. शाह-अमिता स्मारक पुरस्कार दिनेश वेंकट सुब्रह्मण्यन अनुक्रमांक 4352 (जिसने 100 में से 83 अंक अर्जित किए) को प्रदान किया जाएगा।

15. कारपोरेट-रिसर्च एण्ड स्टैटिस्टीकल एनालिसिस में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किया जाने वाला मनीष गुप्ता स्मारक पुरस्कार नितिन गुप्ता, अनुक्रमांक 6528 (जिसने 100 में से 82 अंक प्राप्त किए) को दिया जाएगा।

16 सिस्टम एनालिसिस एण्ड डाटा प्रोसेसिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए टी. आर. चड्ढा पुरस्कार गुप्ता लक्ष्मीकान्त सांवरमल, अनुक्रमांक 4259 (जिसने 100 में से 86 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा।

17 कास्ट एकाउंटिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए आर. डी. के. उमरजी पुरस्कार दिनेश गोयल अनुक्रमांक 6320 और एस. बालकृष्ण कामथ अनुक्रमांक 9670 (जिन्होंने 100 में से 96 अंक प्राप्त किए) को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा।

टिप्पण : अंतिम (फाइनल) परीक्षा में मैनेजेरियल एकानोमिक्स एण्ड नेशनल एकाउंटिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए वेंकटाचलम् मोहन पुरस्कार दिए जाने के लिए कोई भी अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया।

इण्टरमीडिएट परीक्षा—मई, 1993

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे :—

रैंक, अनुक्रमांक और नाम

1. 27467 गिरीश पी. वनवारी (700 में से कुल अंक 504)

2. 28712 रेणु सोहनराज धनेशा (700 में से कुल अंक 501)

3. 1576 भुवनेश खन्ना (700 में से कुल अंक 491)

1. सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाने वाला जी. पी. कपाडिया प्रथम अध्यक्ष पुरस्कार गिरीश पी. वनवारी (अनुक्रमांक 27467) को प्रदान किया जाएगा।

2. जे. एस. लोढा स्वर्ण पदक, जोकि सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाता है, गिरीश पी. वनवारी, (अनुक्रमांक 27467) को प्रदान किया जाएगा।

3. एकाउन्टिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला प्रोफेसर टी. एस. ग्रेवाल पुरस्कार कु. मीनाक्षी साथी, अनुक्रमांक 25682 (जिसने 100 में से 94 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

4. आय-कर के मूल सिद्धान्त पर सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किए जाने वाला यू. के. भार्गव पुरस्कार, के. सी. गोपाल, अनुक्रमांक 9402 (जिसने 50 में से 45 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

5. आडिटिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला विनोद हिम्मतलाल शाह पुरस्कार और के. सी. खन्ना पुरस्कार कु. आरती अरोड़ा, अनुक्रमांक 20330 (जिसने 100 में से 74 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

6. मर्केन्टाइल विधि, कम्पनी विधि और औद्योगिक विधि के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला सुरेश सी. माथुर पुरस्कार हनुमान प्रसाद रामका, अनुक्रमांक 1947, (जिसने 100 में से 72 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

7. वित्तीय सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए दिया जाने वाला शैलेश कपाडिया पुरस्कार कु. रेणु मोहनराज धनेशा, अनुक्रमांक 28712 (जिसने 700 में से कुल 501 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

फाउण्डेशन परीक्षा—जून 1993

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे :—

रैंक, अनुक्रमांक और नाम .

1. 1523 प्रवीण भण्डारी (400 में से कुल अंक 322)

और

1. 5417 विकास कुमार अग्रवाल (400 में से कुल अंक 322)

2. 1804 खासगीवाला श्रेणिक महेन्द्र (400 में से कुल अंक 321)

3. 2264 उमेश कुमार अग्रवाल (400 में से कुल 314)

1. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को दिया जाने वाला श्री सुलतान चंद स्मारक पुरस्कार प्रवीण भण्डारी, अनुक्रमांक 1523 और विकास कुमार अग्रवाल, अनुक्रमांक 5417 को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा ।

2. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को दिया जाने वाला एस. आर. बाटलीबोई पुरस्कार प्रवीण भण्डारी, अनुक्रमांक 1523 और विकास कुमार अग्रवाल, अनुक्रमांक 5417 को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा ।

3. द्वितीय सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को दिया जाने वाला श्री सुलतान चंद स्मारक पुरस्कार खासगीवाला श्रेणिक महेन्द्र, अनुक्रमांक 1804 को प्रदान किया जाएगा ।

4. तृतीय सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को दिया जाने वाला चंदूलाल कपूरी देवी पूर्त न्यास पुरस्कार उमेश कुमार अग्रवाल, अनुक्रमांक 2264 को प्रदान किया जाएगा ।

5. सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी को दिया जाने वाला पी. एन. शाह पुरस्कार कु. अनिता सुब्रमण्यम् अनुक्रमांक 10468 (जिसने 400 में से कुल अंक 309 प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा ।

6. गणित (मैथेमेटिक्स) (पेपर 3 सेक्शन "ए") में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला के. बी. चन्द्रमौलि स्मारक पुरस्कार चौगले आदित्य विजय अनुक्रमांक 2533, रहमतुल्ली हारुन अनुक्रमांक 3187, समीर पारिख ए. अनुक्रमांक 4526, राजेश अग्रवाल अनुक्रमांक 6003, नीरज भगत अनुक्रमांक 7203, विनीत कुमार अनुक्रमांक 7374, विजय कुमार अग्रवाल अनुक्रमांक 7567, विनोद जयसिंह अनुक्रमांक 8512, तरुण चोपड़ा अनुक्रमांक 8700, दलीप कुमार अनुक्रमांक 8854, भरत कुमार जैन अनुक्रमांक 9916, मनप्रीत सिंह अनुक्रमांक 10543, राकेश बावला अनुक्रमांक 10612, बी. कार्तिक अनुक्रमांक 11021, अग्रवाल अजय के. अनुक्रमांक 11437, के. बी. शिव कुमार अनुक्रमांक 11513, पवन कपूर अनुक्रमांक 11722, शाह विक्रम विनोदचन्द्र अनुक्रमांक 12902 और कु. स्वीटी हेडा अनुक्रमांक 13115 (जिन्होंने 50 में से कुल अंक 50 प्राप्त किए) को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा ।

7. स्टेटिस्टिक्स (सांख्यिकी) (पेपर 3 सेक्शन "बी") में सर्वश्रेष्ठ पेपर के लिए दिया जाने वाला गणेशमल पाटनी स्मारक पुरस्कार कु. शीतल आर. शाह अनुक्रमांक 2182, गोकुल स्वामीनाथन अनुक्रमांक 3342, समीर पारिख ए. अनुक्रमांक 4526 और कु. स्मिता दानी अनुक्रमांक 8901 (जिन्होंने 50 में से 49 कुल अंक प्राप्त किए) को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा ।

अंतिम परीक्षा—नवम्बर 1993

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे :—

रैंक अनुक्रमांक नाम

I. 10409 संदीप नायक के० (800 में से कुल अंक 547)

II. 3177 पारिख ज्वलन्त एम० (800 में से कुल अंक 518)

III. 3590 कु० घरपुरे मेधा परसुराम (800 में से कुल अंक 607)

1. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला जी. पी. कपाड़िया प्रथम अध्यक्ष स्वर्ण पदक, संदीप नायक के., अनुक्रमांक 10409, को दिया जाएगा ।

2. जे. एस. लोढा स्वर्णपदक जोकि सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को दिया जाता है, संदीप नायक के. अनुक्रमांक 10409, को प्रदान किया जाएगा ।

3. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को दिया जाने वाला रामचन्द्र मिधी पुरस्कार संदीप नायक के. (अनुक्रमांक 10409) को प्रदान किया जाएगा ।

4. वर्ष 1993 के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का जी. बसु प्रतिष्ठान पुरस्कार कु. दिवेकर वैशाली अनिल, अनुक्रमांक 11760 को मई, 1993 की परीक्षा तथा संदीप नायक के., अनुक्रमांक 10409 को नवम्बर, 1993 की परीक्षा में (दोनों ने 800 में से 547 अंक प्राप्त किए) । प्रदर्शन के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा ।

5. सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी के लिए दिया जाने वाला आर. शिवभोगम पुरस्कार कु. घरपुरे मेधा परसुराम, अनुक्रमांक 3590, को प्रदान किया जाएगा ।

6. वर्ष 1993 की सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी के लिए दिया जाने वाला एस. विश्वनाथन स्मारक पुरस्कार कु. दिवेकर वैशाली अनिल, अनुक्रमांक 11760 को मई, 1993 की परीक्षा (जिसमें उसने 800 में से कुल अंक 547 प्राप्त किए) में प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किया जाएगा ।

7. द्वितीय सर्वाधिक अंक प्राप्त किए जाने के लिए दिया जाने वाला जयंतीलाल के. ठक्कर स्मारक पुरस्कार पारिख ज्वलंत एम. अनुक्रमांक 3177 को प्रदान किया जाएगा ।

8. वर्ष 1993 के द्वितीय सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में से सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाने वाला हलेश कपाडिया पुरस्कार सुनील मोदी अनुक्रमांक 5446, को मई, 1993 में आयोजित परीक्षा में उनके प्रदर्शन (800 में से कुल प्राप्तांक 546) के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

9. प्रथम ग्रुप (वर्ग) में सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी के लिए केरल वर्मा स्मारक पुरस्कार संदीप नायक के., अनुक्रमांक 10409, (जिसने 400 में से 286 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

10. प्रथम ग्रुप (वर्ग) में वर्ष 1993 के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए एन. एन. दास पुरस्कार संदीप नायक के., अनुक्रमांक 10409 को नवम्बर, 1993 में आयोजित परीक्षा में उसके प्रदर्शन (400 में से 286 अंक) के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

11. द्वितीय ग्रुप (वर्ग) में सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी के लिए पी. एन. घोष स्मारक पुरस्कार कु. नीपा श्रीकान्त बक्षी, अनुक्रमांक 3881 (जिसने 400 में से 293 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

12. द्वितीय ग्रुप (वर्ग) में वर्ष 1993 के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाने वाला बालचन्द्र स्मारक पुरस्कार सुनील मोदी, अनुक्रमांक 5446 को मई, 1993 में आयोजित परीक्षा में उनके प्रदर्शन (400 में से कुल प्राप्तांक 297) को दृष्टिगत करते हुए प्रदान किया जाएगा।

13. एडवांस्ड एकाउन्टिंग के सर्वोत्कृष्ट पेपर 1 के लिए प्रदान किया जाने वाला के. सी. खन्ना पुरस्कार संदीप नायक के., अनुक्रमांक 10409 (जिसने 100 में से 79 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

14. एकाउन्टेंसी (लेखाकर्म) (पेपर 1 और 2) में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला सर शापूरजी बिलिमोरिया पुरस्कार संदीप नायक के., अनुक्रमांक 10409 (जिसने 200 में से 155 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा।

15. मैनेजमेंट एकाउन्टिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला जी. के. दादी पुरस्कार श्याम सुन्दर राठी, अनुक्रमांक 5799 (जिसने 100 में से 88 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

16. आडिटिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिए जाने वाले ए. एफ. फर्ग्युसन पुरस्कार और आर. वेंकटेशन स्मारक पुरस्कार पारिख ज्वलन्त एस. अनुक्रमांक 3177 (जिसने 100 में से 75 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किए जाएंगे।

17. आडिटिंग विषय में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाली महिला अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाला रूपानंदन गुप्त कस्तूरी देवी पुरस्कार कु. शिरिजा श्रीनिवासन, अनुक्रमांक 6932 (जिसने 100 में से 67 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

18. कम्पनी विधि सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किए जाने वाले यू. सी. मजूमदार पुरस्कार और एस. एम. शाह पुरस्कार जानी विमल ए., अनुक्रमांक 4502 तथा कुरियन पाल, अनुक्रमांक 5142 जिन्होंने 100 में से 72 अंक प्राप्त किए) को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा।

19. प्रत्यक्ष कर विधि के विषय में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिए जाने वाले एन. एम. शाह पुरस्कार, सूरी स्मारक पुरस्कार और ए. जे. शाह—अमिता स्मारक पुरस्कार संदीप नायक के., अनुक्रमांक 10409 (जिसने 100 में से 71 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किए जाएंगे।

20. आपरेशंस रिसर्च एण्ड स्टैटिस्टीकल एनालिसिस के विषय में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला मनीश गुप्त स्मारक पुरस्कार गोसर राजेश भवन जी, अनुक्रमांक 3554 (जिसने 100 में से 87 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

21. सिस्टम एनालिसिस एण्ड डाटा प्रोसेसिंग के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला टी. आर. बड़ुवा पुरस्कार संदीप नायक के., अनुक्रमांक 10409 (जिसने 100 में से 78 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

22. कास्ट एकाउन्टिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किया जाने वाला आर. वी. के. उमरजी पुरस्कार कु. नीपा श्रीकान्त बक्षी, अनुक्रमांक 3881 (जिसने 100 में से 78 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

टिप्पण : अंतिम परीक्षा में मैनेजेरियल एकानोमिक्स एण्ड नेशनलएकाउंटिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए सैय्यदा-कलसुम मोहन पुरस्कार दिए जाने के लिए कोई भी अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया।

इंटरमीडिएट परीक्षा—नवम्बर, 1993

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे :—

रैंक	अनुक्रमांक	नाम
1.	28831	शाह जिगनेश रमेश (700 में से 536 अंक)
2.	30376	सोनी प्रमोद ज्ञानचन्द (700 में से 526 अंक)
3.	13250	सुजाता गणपतिरामन (700 में 502 अंक)

1. सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को प्रदान किया जाने वाला जी. पी. कपाडिया प्रथम अध्यक्ष पुरस्कार शाह जिगनेश रमेश (अनुक्रमांक 28831) को प्रदान किया जाएगा।

2. सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाने वाला जे. एस. लोढा पुरस्कार शाह जिगनेश रमेश, अनुक्रमांक 28831 को प्रदान किया जाएगा।

3. वर्ष 1993 के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए सूरी स्मारक पुरस्कार शाह जिगनेश रमेश, अनुक्रमांक 28831

जिसने नवम्बर, 1993 में आयोजित परीक्षा में 700 में से 536 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा ।

4. सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी के लिए दिया जाने वाला सुदर्शन कुमार बलसारिया स्मारक पुरस्कार कु. सुजाता गणपति रामन, अनुक्रमांक 13250 को प्रदान किया जाएगा ।

5. एकाउन्टिंग के पेपर में अद्वितीय प्रदर्शन के लिए प्रोफेसर टी. एस. ग्रेवाल पुरस्कार सोनी प्रमोद ज्ञानचन्द, अनुक्रमांक 30376 (जिसने 100 में से 96 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा ।

6. आयकर के मूल सिद्धान्त पेपर में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला यू. के. भार्गव पुरस्कार तिवरेवाला संजय कुमार ओम प्रकाश, अनुक्रमांक 31313 (जिसने 50 में से 44 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा ।

7. लेखा-परीक्षा (आडिटिंग) पेपर में अद्वितीय प्रदर्शन के लिए दिनेश हिम्मत लाल शाह पुरस्कार और के. सी. खन्ना पुरस्कार विकास तुलिस्यान, अनुक्रमांक 17256 (जिसने 100 में से 89 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किए जाएंगे ।

8. मर्केन्टाइल विधि, कम्पनी विधि और औद्योगिक विधि के पेपर में अद्वितीय प्रदर्शन के लिए सुरेश सी. माथर पुरस्कार प्रकाश रूइया, अनुक्रमांक 22304 तथा सहरवाला आसिफ फखरुद्दीन, अनुक्रमांक 30087 (जिन्होंने 100 में से 70 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा ।

9. द्वितीय सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए दिया जाने वाला धीरेश कपाड़िया पुरस्कार सोनी प्रमोद ज्ञानचन्द, अनुक्रमांक 30376 (जिसने 700 में से 526 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा ।

फाउण्डेशन परीक्षा—दिसम्बर, 1993

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे :—

रैंक	अनुक्रमांक	नाम
1.	4540	कु० सुमिता शर्मा (400 में से कुल अंक 286)
2.	3370	अमित कपूर (400 में से कुल अंक 283)
3.	4611	कु० भावना नन्वा (400 में से कुल अंक 281)

1. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला श्री सुलतान चन्द स्मारक पुरस्कार कु. सुमिता शर्मा, अनुक्रमांक 4540 को दिया जाएगा ।

2. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला एस. जार. बाटलीबोई पुरस्कार कु. सुमिता शर्मा, अनुक्रमांक 4540 को दिया जाएगा ।

3. द्वितीय सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला श्री सुलतान चन्द स्मारक पुरस्कार अमित कपूर, अनुक्रमांक 3370 को दिया जाएगा ।

4. तृतीय सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला चंदूलाल कपूरीदेवी पूर्त न्यास पुरस्कार कु. भावना नन्वा, अनुक्रमांक 4611 को दिया जाएगा ।

5. वर्ष 1993 के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए दिया जाने वाला महावीर राज भण्डारी पुरस्कार प्रवीण भण्डारी अनुक्रमांक 1523 और विकास कुमार अग्रवाल, अनुक्रमांक 5417 (दोनों ने जून, 1993 की परीक्षा में 400 में से कुल अंक 322 प्राप्त किए) को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा ।

6. सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी के लिए दिया जाने वाला पी. एन. शाह पुरस्कार कु. सुमिता शर्मा, अनुक्रमांक 4540 (जिसने 400 में से कुल अंक 286 प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा ।

7. गणित (मैथमेटिक्स) पेपर 3 सेक्शन "ए") में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किया जाने वाला के. सी. चंद्रमौलि स्मारक पुरस्कार संजय अग्रवाल, अनुक्रमांक 4241 (जिसने 50 में से कुल अंक 50 प्राप्त किए) को दिया जाएगा ।

8. स्टैटिस्टिक्स (पेपर 3 सेक्शन "बी") में सर्वश्रेष्ठ पेपर के लिए दिया जाने वाला गणेशमल पाटनी स्मारक पुरस्कार पंकज कुमार राठी, अनुक्रमांक 5671 (जिसने 50 में से कुल अंक 45 प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा ।

परिशिष्ट 10

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 8.1)

प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की सूची

उदयपुर. आई. आर. सी.

1. अहमदाबाद
2. आणद (आनंद)
3. औरंगाबाद
4. बड़ौदा
5. गोवा
6. जलगांव
7. कोल्हापुर
8. नागपुर
9. नासिक
10. पुणे
11. राजकोट
12. सांगली

13. शोलापुर
14. सूरत

एस. आई. आर. सी.

1. अलेप्पी
2. बंगलौर
3. बेलगांव
4. कालीकट
5. कोयम्बटूर
6. इर्नाकुलम
7. इरोड
8. गंटूर
9. हुबली
10. हैदराबाद
11. कोट्टायम
12. कुम्बाकोनम
13. मदुरई
14. मंगलौर
15. मैसूर
16. पालघाट
17. पांडिचेरी
18. क्विलोन
19. सलेम
20. त्रिचिरापल्ली
21. तिरुनेलवेली
22. तिरुपुर
23. त्रिचूर
24. त्रिवेन्द्रम
25. तूतीकोरन
26. वेल्लोर
27. विशाखापटनम
28. विजयवाड़ा

ई. आई. आर. सी.

1. आसनसोल
2. भुवनेश्वर
3. कटक
4. दुर्गापुर
5. गोहाटी
6. सिलीगुड़ी

सी. आई. आर. सी.

1. आगरा
2. अजमेर
3. इलाहाबाद
4. अलवर
5. बरेली
6. भीलवाड़ा
7. भोपाल
8. देहरादून
9. धनबाद
10. गाजियाबाद
11. ग्वालियर
12. हल्द्वानी
13. जयपुर
14. जमशेदपुर
15. जोधपुर
16. कोटा
17. लखनऊ
18. मेरठ
19. नोएडा
20. पटना
21. रायपुर
22. रांची
23. उदयपुर
24. वाराणसी

एन. आई. आर. सी.

1. अमृतसर
2. चण्डीगढ़
3. फरीदाबाद
4. हिसार
5. जालन्धर
6. जम्मू
7. लुधियाना
8. शिमला
9. यमुनानगर

आडिटर (लेखापरीक्षक) की रिपोर्ट

हमने अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा संपरीक्षित भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान के 31 मार्च, 1994 को यथाविद्यमान तुलन-पत्र (बैलेन्स शीट) की और साथ ही उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के उपाबद्ध आय और व्यय लेखा की भी, जिसमें संस्थान के कार्यालय, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के लेखा समाविष्ट हैं, संपरीक्षा की है और यह प्रतिवेदन करते हैं कि :

1. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा संपरीक्षा किए जाने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं;

2. तुलनपत्र तथा आय और व्यय लेखा, जिनके बारे में प्रतिवेदन किया गया है, लेखा बहियों (बुक्स आफ एकाउंट) के अनुसार हैं;

3. हमारे मतानुसार, लेखाओं को चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 की अपेक्षाओं के अनुरूप रखा गया है; तथा

4. हमारे मतानुसार तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, संलग्न अनुसूचियों और उनके साथ पठित एकाउन्टिंग पालिसी (लेखा विधि नीतियों) तथा टिप्पण सहित विवरण निम्नलिखित का सही और ऋजु (उचित) चित्र प्रस्तुत करते हैं :—

(1) तुलन-पत्र की दशा में, 31 मार्च, 1994 को यथा-विद्यमान कार्यकलापों की स्थिति का; तथा

(2) आय और व्यय की लेखा की दशा में, उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के अधिशेष का ।

नई दिल्ली

दिनांक

सी. पी. मेहरा
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

वा. एस. वी. एस. मनिहर
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान, नई दिल्ली

एकाउन्टिंग (लेखा विधि विषयक) नीतियां

अनुसूची—''थ''

1. फैलो मेम्बरों (अध्येताओं) से प्रवेश शुल्क और एसोसिएट सदस्यों से प्रवेश शुल्क के 2/3 (दो तिहाई) भाग को पंजीकृत किया गया है । छात्रों के कियाकलापों से होने वाले अधिशेष के एक यथानिर्धारित भाग को शिक्षा निधि में अंतरित किया गया है और इस सीमा तक इस निधि का पूर्ववर्ती वर्ष में पूंजी आरक्षिति में अंतरित की गई—स्थिर आस्तियों के संबंध में उपयोग किया गया है ।

2. पेपर तथा प्रकाशनों की सूचियों का मूल्य निम्नतर लागत के अनुसार या उनका शुद्ध वसूली योग्य मूल्य रखा गया है तथा अध्ययन-सामग्रियों का मूल्य लागत के अनुसार रखा गया है । इस प्रयोजन के लिए लागत, प्रत्यक्ष लागत पद्धति के आधार पर अभिनिश्चित की गई है ।

3. विनिधान लागत के अनुसार किए गए हैं ।

4. मूल्य-घटना (डिप्रीसिएशन) : स्थिर आस्तियां ऐतिहासिक लागत आधार के अनुसार दिखाई गई हैं तथा उनका अव लिखित मूल्य पद्धति (रिटिन डाउन वैल्यू मैथड) के आधार पर मूल्य घटाया गया है । पुस्तकालय की पुस्तकों का यथास्थिति पद्धति (स्ट्रेटलाइन मैथड) के आधार पर मूल्य घटाया गया है । परिवर्धनों पर मूल्य-ह्रास पूरे वर्ष भर का वसूल किया जाता है ।

5. छात्र-संघ तथा उनकी शाखाओं के लेखाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है तथा उन्हें संदत्त अनुदानों तथा फीसों को राजस्व-व्यय माना गया है ।

ह/. (अपठनीय)

ह/. (अपठनीय)

लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण

अनुसूची—''द''

1. एक प्रादेशिक परिषद् की बाबत अ-संपरीक्षित लेखाओं को लेखा-परीक्षा पूरा होने तक समेकित लेखाओं में सम्मिलित कर दिया गया है ।

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(4) के अधीन छूट की प्रत्याशा में कराधान के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है । ऐसी छूट निर्धारण वर्ष 1989-90 तक के लिए मंजूर की गई है तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में उन्हें लागू किया जाना प्राधिकारियों के विचाराधीन है ।

3. कतिपय अग्रिम/लेनदारों के लेखाओं के संबंध में समाधान (रिकंसीलिएशन)/अतिशेष पुष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए हैं ।

4. पूर्व वर्ष के अंकों को, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पुनः वर्गीकृत किया गया है तथा कटौतियों को कोष्ठकों में दिखाया गया है ।

ह/. (अपठनीय)

ह/. (अपठनीय)

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च, 1994 को यथाविद्यमान तुलन-पत्र

	अनुसूची	रुपये	31-3-94 रुपये	रुपये	31-3-93 रुपये
1	2	3	4	5	6
निधि के स्रोत :					
पूंजी आरक्षितियां	ग		62,028,897		56,165,693
अन्य आरक्षितियां	घ		67,155,348		42,364,547
सुरक्षित निधि	ङ		30,655,696		10,354,446
	योग		159,839,941		108,884,686
निधि का अनुप्रयोग :					
स्थिर आस्तियां					
सकल खण्ड		75,179,234		69,139,932	
घटा : अवमूल्यन		(31,934,805)		(27,470,633)	
शुद्ध खण्ड	च		43,244,429		41,669,299
निर्माणाधीन पूंजीकर्म	छ		23,055,533		17,593,329
सुरक्षित विनिधान			30,655,696		10,354,116
अन्य विनिधान					
(क) बैंकों में सावधि निक्षेप		52,080,331		29,835,980	
(ख) पब्लिक सेक्टर उपक्रमोंके बॉंड		7,398,106		9,821,763	
(ग) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के बाड		300,160		9,821,763 300,160	
(घ) बैंकों में निक्षेप प्रमाण-पत्र				7,500,000	
			59,778,597		47,457,903
चालू आस्तियां, उधार तथा अग्रिम		49,490,897		43,935,011	
घटा : चालू दायित्व तथा प्रावधान		(8,530,669)		16,324,422)	

शुद्ध चालू प्रस्तियां	40,960,228		27,610,589	
घटा : अग्रिम में प्राप्त फीस				
आय	(37,854,542)	3,105,686	(35,800,880)	(8,190,291)
योग		159,839,941		108,884,686

अनुसूची 'क' से 'अ' लेखाओं के अभिन्न भाग हैं।

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

सी० पी० मेहरा
चार्टर्ड एकाउंटेंट
ह०———

के० एस० वी० एस० मनियन
चार्टर्ड एकाउंटेंट
ह०———

ह०———

संजय कपूर
सहायक सचिव

ए० के० मजुमदार
सचिव

वाई० एम० काले
उपाध्यक्ष

वी० पी० राव
अध्यक्ष

नई दिल्ली :
दिनांक 12 सितम्बर, 1994

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान, नई दिल्ली
31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष का
आय—व्यय लेखा

	अनुसूची	1993–94 रु०	1992–93 रु०
1	2	3	4
1. आय	झ		
(क) सदस्य		53,431,250	49,821,391
(ख) छात्र		95,344,383	77,528,188
योग		148,775,633	127,349,579
II. व्यय	ण		
(क) सदस्य		37,092,504	47,201,850
(ख० छात्र		64,616,708	57,846,116
योग		101,709,212	105,047,966

III वर्ष का अधिशेष			
(i) शिक्षा निधि मे अंतरित	ङ	(15,363,838)	(9,841,037)
(ii) साधारण आरक्षिति मे अंतरित	च	(31,702,583)	(12,460,576)
योग		47,066,421	22,301,613
योग		148,775,633	127,349,579

अनुसूची 'क' से 'छ' लेखाओ के अभिन्न भाग है।
संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

सी० पी० मेहरा
चार्टर्ड एकाउंटेंट
ह०————

के० एस० वी० एस० मनियन
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह०————
संजय कपूर
सहायक सचिव

ह०————
ए० के० मजुमदार
सचिव

वाई० एम० काले
उपाध्यक्ष

वी० पी० राव
अध्यक्ष

नई दिल्ली
दिनांक 12 सितम्बर, 1994

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान, नई दिल्ली
अनुसूची 'ग'—पूंजी आरक्षिति

(रकम रुपयो मे)

विवरण		31-3-1994		31-3-1993
1	2	3	4	5
(क) साधारण :				
अंतिम लेखाओ के अनुसार अतिशेष		37,663,514		32,808,963
धन दाखिला फीस तथा आवंटित प्रवेश शुल्क	1,431,400		1,313,400	
धन भवन के लिए दान	2,127,584		3,041,151	
धन सुरक्षित निधि से अंतरित	948,356			
धन अन्य आरक्षिति से अंतरित	—	4,507,340	500,000	
घटा समायोजन	(1,650,000)	(1,650,000)	—	
योग (क)		40,520,854		37,663,514
(ख) शिक्षा				
अंतिम लेखा के अनुसार अतिशेष		18,502,179		13,374,552
धन शिक्षा निधि से अंतरित	3,005,864	3,005,864	5,127,627	5,127,627
योग (ख)		21,508,043		18,502,179
कुल योग (क)+(ख)		62,028,897		56,165,693

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट सस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची 'घ' —अन्य आरक्षितिया

विवरण		31-3-1994		31-3-1993
1	2	3	4	5
(क) साधारण आरक्षिति :				
अंतिम लेखा के अनुसार अतिशेष		32,276,135		19,929,784
धन : आय-व्यय लेखा से अतिशेष	31,702,583		12,460,576	
		31,702,583		12,460,576
घटा/धन : अन्य आरक्षिति में/से अधिशेष	(57,135)		67,968	
घटा : सुरक्षित निधि में अंतरित रकम	(20,600)	(77,735)	(82,193)	(14,225)
योग (क)		63,900,983		32,276,135
(ख) अनुसंधान आरक्षिति :				
अंतिम लेखा के अनुसार अतिशेष		7,204,739		—
धन : सुरक्षित निधि से अंतरित			661,111	—
धन : वर्ष में प्राप्त धन	5,417,618		6,543,628	—
		5,417,618		7,204,739
घटा : आय-व्यय लेखा में अंतरित व्यय	(12,622,357)	(12,622,357)		
योग (ख)				7,204,739
(ग) अन्य : (केवल प्रादेशिक परिषदों एवं शाखाओं के लिए)				
अंतिम लेखा के अनुसार अतिशेष		2,883,673		3,091,898
धन : वर्ष के दौरान शुद्ध अनुवृद्धि / समायोजन	231,363		203,268	
धन : सुरक्षित निधि से/में अंतरित रकम	82,194		156,475	
धन/घटा : साधारण आरक्षिति में/से अंतरित रकम	57,135		(67,968)	
		370,692		291,775
घटा : पूंजी आरक्षिति में अंतरित रकम			(500,000)	
				(500,000)
योग (ग)		3,254,365		2,883,673
कुल योग (क)+(ख)+(ग)		67,155,348		42,364,547

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची 'छ'—सुरक्षित निधि

(रकम रुपयों में)

विवरण	31-3-1994		31-3-1993	
1	2	3	4	
(1) शिक्षा निधि :				
अंतिम लेखा के अनुसार अतिशेष		4,714,990		—
आय-व्यय लेखा से अंतरित	15,363,838		9,841,037	
वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज	471,499		—	
पुराने राइट-आफ के मुद्दये उधार छात्र-वृत्ति का आपन	3,400		1,580	
		15,838,737		9,842,617
घटा : पूंजी आरक्षिति में अंतरित	(3,005,864)	(3,005,864)	(5,127,627)	(5,127,627)
योग (क)		(17,547,863		4,714,990
(2) अनुसंधान निधि :				
अंतिम लेखा के अनुसार अतिशेष		1,401,775		1,898,875
वर्ष के दौरान परिवर्धन	135,637		20,000	
वर्ष के दौरान उपार्जित आय	129,206		152,844	
		264,843		172,844
घटा : वर्ष के दौरान व्यय	(25,000)		(8,833)	
घटा : अनुसंधान आरक्षिति में अंतरित	—	(25,000)	(661,111)	(669,944)
		1,641,618		1,401,775
(3) मेडल तथा पुरस्कार निधि :				
अंतिम लेखा के अनुसार अतिशेष		1,031,222		968,644
वर्ष के दौरान परिवर्धन	157,974		46,000	
अन : वर्ष के दौरान उपार्जित घाटा	107,491		101,452	
		265,465		147,452
समायोजन	—		(14,160)	
घटा : प्रदान किए गए मेडल तथा पुरस्कारों की लागत	(106,890)	(106,890)	(70,714)	(84,874)
		1,189,197	62,578	1,031,222

(4) पेंशन निधि :				
अंतिम लेखा के अनुसार अतिशेष	—		—	—
धन : पेंशन निधि के लिए प्रावधान से अंतरित	5,000,000		—	—
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,588,477		—	—
धन : वर्ष के दौरान उपार्जित आय	651,291		—	—
		8,239,768	—	—
घटा : वर्ष के दौरान व्यय	(739,768)	(739,768)	—	—
		7,500,000	—	—
(5) अन्य निधि				
अंतिम लेखा के अनुसार अतिशेष		3,206,459		3,425,308
वर्ष के दौरान परिवर्धन	594,399		264,599	
धन : साधारण आरक्षिति से अंतरित	20,600		82,193	
धन : वर्ष के दौरान उपार्जित आय	177,665		277,850	
		792,664		624,642
घटा : अन्य आरक्षिति में अंतरित	(82,194)		(156,475)	
घटा : पूंजी आरक्षिति में अंतरित	(948,356)		—	
समायोजन	(62,057)		(37,964)	
घटा : वर्ष के दौरान व्यय	(130,098)	(1,222,705)	(649,052)	(843,491)
		2,776,418		3,206,459
योग (ख)		13,107,833		5,639,456
कुल योग (क)+(ख)		30,655,696		10,354,446

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची 'च'—स्थिर आस्तियां

पृष्ठ—5

(रकम रुपयों में)

आस्तियां	सकल ब्लाक				अवमूल्यन/अवक्षयण				शुद्ध ब्लाक	
	1-4-1993 को यथा-विद्यमान लागत	समायोजन/ अंतरण	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31-3-1994 को यथा विद्यमान लागत	1-4-1993 को यथा-विद्यमान	समायोजन/ अंतरण	वर्ष के दौरान	31-3-1994 यथा-विद्यमान	31-3-1994 को यथा-विद्यमान डब्ल्यू० मु० नी० वी०	31-3-1993 को यथा-विद्यमान डब्ल्यू०डी०वी०
1. भूमि	3,947,193	(7,869)	1,444,803	5,384,136	--	—	—	--	5,384,136	3,947,193
2. भवन	26,498,422	—	1,029,399	27,527,821	6,550,276	--	1,048,877	7,599,153	19,928,668	19,948,146
3. विद्युत इंसटालेशंस तथा फिटिंग्स	4,822,740	(259,524)	77,358	4,640,574	2,103,098	(146,459)	273,446	2,230,085	2,410,489	2,719,642
4. एयर कंडीशनिंग	3,249,113	274,745	--	3,523,858	1,974,498	145,130	210,634	2,330,262	1,193,596	1,274,615
5. फर्नीचर तथा फिक्सचर	9,081,742	126,634	1,103,687	10,312,063	4,225,119	51,523	606,928	4,883,570	5,428.493	4,856,623
6. लिफ्ट	309,911	—	--	309,911	239,224	--	7,069	246,293	63518	70,687
7. कार्यालय उपस्कर	5,818,878	(210,473)	492,489	5,300,894	2,583,161	(68,601)	420,009	2,934,569	2,366,325	2,435,717
8. यान (गाड़ी)	449,460	—	3,874	453,334	218,870	—	46,772	265,642	187,692	230,590
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	7,155,484	(28,410)	605,016	7,732,082	5,658,776	(27,978)	705,851	6,336,649	6,395,433	1,496,708
10. कम्प्यूटर	8,606,989	(24,836)	1,412,408	9,994,561	3.917.611	(16,637)	1,207,608	5,108,602	4,885,979	4,689,378
योग	69,139,932	(129,732)	6,169,034	75,179,234	27,470,633	(63,022)	4,527,194	31,934,805	43,244,429	41,669,299
पूर्व वर्ष	63,128,204	53,827	5,957,901	69,139,932	23,153,782	(110,223)	4,427,074	27,470,633	41,669,299	

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची 'छ'—सुरक्षित विनिधान

पृष्ठ—6

(रकम रुपयों में)

सुरक्षित निधि विनिधान	बैंकों में सावधि निक्षेप/बांड/यूनिट		प्रोद्भूत ब्याज		बैंक खातों में अतिशेष		योग	
	31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	31-3-1993
1. शिक्षा निधि	17,547,863	4,713,410	—	--	1	1,580	17,547,863	4,714,990
योग (क)	17,547,863	4,713,410	--	—		1,580	17,547,863	4,714,990
2. अनुसंधान	1,532,042	1,244,804	58,796	92,720	50,780	64,251	1,641,618	1,401,775
3. मेडल तथा पुरस्कार निधि	1,175,520	963,471	4,442	21,320	9,835	46,431	1,189,797	1,031,222
4. पेंशन निधि	7,500,000	—	—	—	—	—	7,500,000	--
5. अन्य निधि	2,611,841	2,868,285	83,129	140,711	81,448	197,463	2,776,418	3,206,456
योग (ख)	12,819,403	5,076,560	146,367	254,751	142,063	308,145	13,107,833	5,639,456
योग (क)—(ख)	30,367,266	9,789,970	146,367	9254,751	142,063	309,725	30,655,696	10,354,446

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची 'ज' —शुद्ध चालू आस्तियां

पृष्ठ—7

(रकम रुपयों में)

विवरण		31-3-1994		31-3-1993
चालू आस्तियां				
(क) प्रकाशन, अध्ययन-सामग्री, लेखन-सामग्री तथा पेपर (लेख) का स्टाक		6,434,979		5,395,325
(ख) प्राप्य रकम :				
(i) विनिधानों पर प्रोद्भूत ब्याज	4,287,100		2,951,235	
(ii) आवास तथा यान उधारों पर ब्याज	2,349,198		2,042,766	
(iii) प्रतिभूति निक्षेप	411,919		346,919	
(iv) अन्य प्राप्य (इसके अन्तर्गत 6.84 लाख रुपये संदेह पूर्ण माने गए)	2,595,845	9,644,062	3,800,482	9,141,402
(ग) उधार तथा अग्रिम :				
(i) कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) को अग्रिम (आवास, यान तथा अन्य उधार)	9,383,200		8,057,372	
(ii) शाखा भवन के लिए ब्रिज उधार	—		2,722,500	
(iii) अग्रिम तथा पूर्व भुगतान	2,751,673		3,417,743	
		12,134,873		14,197,615
(घ) नकदी तथा बैंक अतिशेष		21,276,983		15,200,669
योग		49,490,897		43,935,011
घटा : चालू दायित्व तथा प्रावधान		5,316,379		6,732,627
(क) व्यय के लेनदार				
(ख) पेंशन निधि के लिए प्रावधान		—		5,000,000
(ग) अन्य दायित्व		3,214,290		4,591,795
योग		8,530,669		16,324,422
शुद्ध चालू आस्तियां		40,960,228		27,610,589

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेन्ट संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय लेखा का उपाबन्ध

अनुसूची 'झ'

(रकम रुपये में)

आय	कुल योग		सदस्य		छात्र			
			विधिवत्		व्यावसायिक (वृत्तिक) विकास तथा अनुसंधान			
	31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	31-3-1993
1. प्रवेश शुल्क	400,400	387,000	400,400	387,000	--	--	--	--
2. सदस्यता शुल्क	37,945,525	34,633,044	37,945,525	34,633,044	--	--	--	--
3. छात्र रजिस्ट्रीकरण शुल्क	2,262,500	1,753,535	--	--	--	--	2,262,500	1,753,535
4. छात्र संघ शुल्क	476,750	355,375	--	--	--	--	476 750	355,375
5. कोचिंग शुल्क	48,779,207	46,699,090	--	--	--	--	48,779,207	46,699,090
6 परीक्षा शुल्क	33,167,064	19,685,644	--	--	--	22,205	33,167,064	19,663,439
7. जर्नल तथा न्यूज लैटर	2,363,539	1,770,943	--	--	1,062,300	989,700	1,301,239	781,243
8. प्रकाशनों का विक्रय	6,312,892	5,223,836	--	--	1,988,895	1,419,299	4,323,997	3,804,537
9. कम्प्यूटर केन्द्रों से आय	1,934,081	1,758,539	--	--	1,450,561	1,318,905	483,520	439,634
10. सेमिनारों से आय	4,918,235	5,730,515	--	--	4,806,945	5,730,515	111,290	--
11. अन्य आय	2,196,438	2,364,073	4,197	2,110	947,153	1,044,016	1,245,088	1,317,947
12. प्रावधान, जिनका प्रावधान अब अपेक्षित नहीं है	--	6,584,159	--	302,762	--	569,650	--	711,747
अनुयोग	140,756,631	121,945,753	38,350,122	35,324,916	10,255,854	11,094,290	92,150,655	75,526,547
13. विनिधानों पर ब्याज	7,756,597	5,157,702	3,897,761	2,382,465	796,310	903,300	3,062,526	1,871,937
अनुयोग	148,513,228	127,103,455	42,247,883	37,707,381	11,052,164	11,997,590	95,213,181	77,398,484
14. पूर्व कालावधि की आय	262,405	624,124	--	2,067	131,203	114,353	131,202	129,704
योग	148,775,633	127,349,579	42,247,883	37,709,448	16,183,367	12,111,943	95,344,383	77,528,188

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान, नई दिल्ली
31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के
आय-व्यय लेखा का उपाबन्ध

अनुसूची 'ञ'
(रकम रुपयों में)

	व्यय	कुल		सदस्य विधिवत्		व्यावसायिक विकास तथा अनुसंधान		छात्र	
		31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	31-3-1993
1.	वेतन तथा स्टाफ व्यय	37,640,753	35,411,704	11,270,591	10,777,732	4,875,984	5,051,795	21,494,178	19,582,177
2.	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	3,361,478	2,822,188	1,360,554	1,080,027	544,390	543,240	1,456,534	1,198,921
3.	प्रकाशन (प्रकाशित पुस्तकें)	3,103,634	2,896,142	565,859	467,575	1,029,814	874,449	1,507,961	1,554,118
4.	जनरल तथा न्यूज लेटर	57,164,028	6,704,945			5,731,223	5,363,956	1,432,805	1,340,989
5.	कोचिंग व्यय	10,986,554	10,191,862					10,986,554	10,191,862
6.	परीक्षा व्यय	15,961,789	13,161,283					15,961,789	13,161,283
7.	डाक व्यय, टेलीफोन तथा टेलीग्राम	3,780,865	3,348,898	1,512,346	1,339,559	378,086	334,890	1,890,433	1,674,449
8.	किराया, उपकर तथा कर	4,356,300	3,528,623	1,742,520	1,411,449	435,630	352,862	2,178,150	1,764,449
9.	मरम्मत तथा अनुरक्षण	2,119,,914	1,734,320	847,965	693,728	211,992	173,432	1,059,957	867,160
10.	यात्रा और भत्ता								
	(क) परिषद् के सदस्य	4,308,565	3,660,623	1,134,841	897,322	1,936,306	1,788,607	237,418	974,649
	(ख) स्टाफ और अन्य	2,399,781	2,143,131	997,923	20895,870	306,050	244,147	1,095,809	100,311
11.	पुस्तकालय अनुरक्षण	300,479	220,112			75,119	55,028	225,360	165,084
12.	विदेश संबंध	4,054,831	3,318,557			4,054,831	3,318,557	225,360	
13.	व्यावसायिक शुल्क	704,331	662,621	456,150	207,385	67,181	342,027	181,000	113,209
14.	छात्रसंघों को अनुदान का फीस	120,450	129,450					120,450	129,450
15.	कम्प्यूटर केन्द्रों के खर्चे	636,393	640,381			477,295	480,286	159,098	160,095
16.	सेमीनार के व्यय	5,807,479	6,274,186			5,637,986	6,274,186	169,493	
17.	अन्य व्यय	2,895,798	2,988,234	610,097	691,570	1,140,055	1,065,816	1,145,646	123,848
18.	अवक्षय	4,527,194	4,427,074	1,810,877	1,770,830	452,720	442,707	2,263,597	2,213,537
	अनुयोग	114,230,616	104,264,334	22,309,722	20,233,047	27,354,662	26,705,985	64,566,232	57,325,302
19.	पूर्व कालावधि के व्यय	100,953	783,632		56,328	50,477	206,490	50,476	520,814
	अनुयोग	114,331,569	105,047,966	22,309,722	20,289,375	27,405,139	26,912,475	64,616,708	57,846,116
	घटा : अनुसंधान आरक्षिती से पूरे किए गए	(12,622,357)				(12,622,357)			
	योग	101,709,121	105,047,966	22,309,722	20,289,375	14,782,782	26,912,475	64,616,708	57,846,116

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण

पृष्ठ—10

(रुपये लाख में)

		1993–94	1992–93
निधि के स्रोत :			
विनिधानो से शुद्ध आय		77.58	51.58
पूंजी प्राप्तियां		38.92	111.84
अग्रिम में प्राप्त शुल्क/आय		20.55	117.12
		137.05	280.54
परिचालन–अधिशेष	अनु-योग	438.35	215.71
	योग	575.40	496.25
निधियों का अनुप्रयोग :			
कामकाज पूंजी मे वृद्धि		133.49	16 98
स्थिर आस्तियो का अर्जन		115.64	171.70
विनिधानों का अर्जन		326.27	307.57
	योग	575.40	496.25

कामकाज–पूंजी में परिवर्तन का विवरण

(रुपये लाख में)

	1993–94	1992–93
चालू आस्तियां :		
क) प्रकाशन, लेख, अध्ययन सामग्री तथा लेखन सामग्री आदि	10 40	(13.85)
ख) प्राप्त रकम		
(i) विनिधानों पर प्रोद्भूत ब्याज	13.36	5.71
(ii) आवास उधारों आदि पर ब्याज	3.06	2.48
(iii) प्रतिभूति निक्षेप	0.65	(2.95)
(iv) अन्य	(12.04)	20.01
ग) उधार तथा अग्रिम :		
(i) स्टाफ को अग्रिम	13.26	1.09
(ii) शाखा भवन हेतु ब्रिज लोन	(27.23)	26.50
(iii) अग्रिम तथा पूर्व भुगतान	(6.66)	2.92
(घ) नकदी तथा बैंक अतिशेष	60.76	(2.57)
योग	55.56	39.34
चालू दायित्व :		
क) व्यय के लेनदार	(14.16)	(22.65)
ख) अन्य दायित्व	(13.77)	15.01
ग) पेंशन निधि के लिए प्रावधान	(50.00)	30.00
योग	(77.93)	22.36
कामकाज पूंजी में शुद्ध वृद्धि	133.49	16.98

ए० के० मजुमदार
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 1994

सं०-य०-16/53/94-चि०2 (पश्चिमी बंगाल)-- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम को शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में मैं इसके द्वारा (ले० कर्नल) डा० पी० के० भटटाचार्य को कलकत्ता क्षेत्र (क्षेत्रों का आबंटन उप चिकित्सा आयुक्त) (पूर्वी जोन) द्वारा किया जाएगा के लिए बीमाकृत व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए 1-9-94 से 31-8-1995 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशो के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक की अदायगी पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

एल० बी० परियार
महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 1994

शुद्धि-पत्र

सं० एन-12/13/2/92-यो० एवं वि०--कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अधिसूचना संख्या : एस०-12/13/2/92-यो० एवं वि० दिनांक 22 अप्रैल, 1994 जो कि भारत के राजपत्र संख्या 21 में भाग 3, अनुभाग-4, दिनांक 21 मई, 1994 को पृष्ठ 2641 से 2643 पर प्रकाशित हुआ है, में निम्नलिखित शुद्धि की जाए :--

क्र० सं०	पृष्ठ सं०	कालम	लाईन	के स्थान पर	पढ़ा जाए
1	2642	2	39 (महत्वपूर्ण अनुदेश क्रम सं०-7 की तीसरी लाईन)	जी	की
2	2643	टेबल का कालम -7		औसत दैनिक मजदूरी (5/4)	औसत दैनिक मजदूरी (15/4)

ओ० अब्दुल हमीद
निदेशक (यो० एव वि०)

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर 1994

संख्या : ए 12/11/14/89-स्था० 1 (क)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1648 (1989 के 29 द्वारा यथा संशोधित 1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2) और उपधारा (2क) के साथ पठित धारा 97 की उप धारा (1) धारा 16 और धारा 17 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा आयुक्त) भर्ती विनियम, 1991 के अतिक्रमण में, ऐसे अतिक्रमण से पहले जिसके संबंध में कार्य किया गया है अथवा करने का वचन दिया गया था को छोड़कर, निगम, एतद् द्वारा चिकित्सा आयुक्त के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए नीचे दिए अनुसार निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(i) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा आयुक्त) (संशोधन) भर्ती नियमम, 1994 कहें जाएंगे ।

(ii) ये भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगें ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :

उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबंधित वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं आदि :

उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा अन्य संबंधित मामलें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे ।

4. अयोग्यता :

ऐसा कोई व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,

अथवा

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है ,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/ होगी ।

परन्तु यदि निगम के महानिदेशक इस बात से सन्तुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू "वैयक्तिक कानून" के अन्तर्गत अनुमेय है या ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकता है ।

5. ढील देने की शक्ति :

जहां निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना अनिवार्य है या कालोचित है तो वह कारणों को लेखबद्ध करके तथा केन्द्रीय सरकार का विनिर्दिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध मे इन विनियमों के किसी उपबन्ध में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं :

अवशिष्ट शक्तियां :

इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, ग्रुप "क" पदों पर लागू समय समय पर यथा संशोधित क० रा० बी० निगम (भर्ती) विनियम, 1965 में यथा उल्लिखित सभी विनियम तथा शर्तें इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगी ।

7. अपवाद:

इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में ढील तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

क० रा० बी० निगम में चिकित्सा आयुक्त के लिए भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
चिकित्सा आयुक्त	1* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	ग्रुप "क" (अलिपिकीय)	5900–200–6700 रु० तथा केन्द्रीय सरकार के अधीन समान पदों के लिए स्वीकार्य प्रैक्टिसबन्दी भत्ता।

क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
5	6	7
चयन पद	केवल सीधी भर्ती के लिए लागू	50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों तथा क० रा० बी० निगम के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक ढील। टिप्पणी : आयुसीमा निश्चित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीती जिला और चम्बा जिले का पंगी उप प्रभाग अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी।
8	9
(1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की पहली या दूसरी अनुसूची में अथवा तीसरी अनुसूची के भाग–2 में मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताएं (लाइसेंस प्राप्त योग्यताओं के अलावा) तीसरी अनुसूची के भाग–2 में शामिल शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले व्यक्तियों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट शर्तें भी पूरी करनी चाहिएं। (2) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा) (3) गहन व्यावहारिक तथा प्रशासनिक अनुभव सहित व्यवसाय में कम से कम 16 वर्ष का अनुभव। टिप्पणी–1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यताओं में ढील दी जा सकती है।	लागू नहीं

8	9
टिप्पणी–2 : यदि चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि अनुसूचित जातियो या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध नही है तो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार इन समुदायों से संबधित उम्मीदवारो के मामले मे अनुभव सबंधी योग्यताओ मे ढील दी जा सकती है ।	

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—क्या सीधी भर्ती द्वारा/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानतरण द्वारा भर्ती के मामले मे वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानातरण किया जाएगा ।
10	11	12
1 वर्ष (सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियो के लिए)	स्थानातरण द्वारा जिसके न होने पर पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण (अल्पकालीन सविदा सहित) द्वारा तथा दोनो के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	(क) सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसवर्ग मे वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के तथा विशेषज्ञता उप संवर्ग में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड मे नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्तियो के स्थानातरण द्वारा उपर्युक्त (क) के न होने पर (ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण द्वारा केन्द्रीय /राज्य सरकार सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के अन्तर्गत सदृश पद पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी टिप्पणी–1. इस नियुक्ति के तुरन्त पूर्व किसी दूसरे संवर्ग-बाह्य पद पर उसी या अन्य संगठन/केन्द्रीय सरकार के विभाग मे प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पणी–2 अधिकारियो की पात्रता सूची अधिकारियो द्वारा संबधित ग्रेड मे निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के अनुसार तैयार की जाएगी ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है	परिस्थितिया जिनमे भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
13	14
कोई विभागीय पदोन्नति समिति नहीं है	महानिदेशक क० रा० बी० निगम द्वारा क० रा० बी० निगम के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से चयन समिति गठित की जाएगी ।	लागू नही

स्थायीकरण पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (सीधे भर्ती)

1	सचिव, श्रम मत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, क० रा० बी० निगम	सदस्य

ललित परियार
महानिदेशक

क्षेत्रीय कार्यालय, उड़ीसा

भुवनेश्वर-751007, दिनांक 25 अगस्त 1994

विषय : क०रा०बी० अधिनियम के अन्तर्गत आई० डी० एल० केमिकल्स लिमिटेड, राउरकेला क्षेत्र में स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं० 44-बी०-34/12/15/82-हितलाभ --एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10-ए के अन्तर्गत सुन्दरगढ़ जिले में आई० डी० एल० केमिकल्स लि०, राउरकेला क्षेत्र के लिए गठित स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया गया है जो अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

1. विनियम 10 ए (1) (ए) के अन्तर्गत
अतिरिक्त जिलाधीश, राउरकेला -- अध्यक्ष

2. विनियम 10 ए (1) (बी) के अन्तर्गत
जिला श्रम अधिकारी, राउरकेला -- सदस्य सरकारी (नामिती)

3. विनियम 10 ए (1) (सी) के अन्तर्गत
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,
क०रा०बी० औषधालय, आई० डी० एल०,
केमिकल्स लि०, राउरकेला -- पदेन सदस्य

4. विनियम 10 ए (1) (डी) के अन्तर्गत
नियोजकों के प्रतिनिधि

1. श्री आर०के०दास, एक्जीक्यूटिव (आई० आर०) --सदस्य
मैसर्स आई०डी०एल० केमिकल्स, लि०,
राउरकेला

2. श्री डी०बी० पाढी, एक्जीक्यूटिव (एफ०एम०) -- सदस्य
मैसर्स आई० डी० एल० केमिकल्स लि०,
राउरकेला

5. विनियम 10 ए (1) (ई) के अन्तर्गत
कर्मचारियों के प्रतिनिधि

1. श्री बी०बी० साहू, -- सदस्य
इंडियन डेटोनेटर्स मजदूर सभा, राउरकेला

2. श्री के० सी० सुतार, -- सदस्य
आई०डी०एल० केमिकल्स वर्कर्स यूनियन,
बालीजोडी, राउरकेला।

6. विनियम 10 ए (1) (एफ) के अन्तर्गत
प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय, क०रा०बी० निगम,
राउरकेला। --सदस्य व पदेन सचिव

ए० के० सिन्हा
क्षेत्रीय निदेशक

विषय :-- स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं० : 44-बी०-34/12/17/82-हितलाभ --एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि क० रा० बी० (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10 (ए) के अन्तर्गत गठित स्थानीय समिति का पुनर्गठन (बड़बिल क्षेत्र) के लिए किया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह पुनर्गठन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

1. विनियम 10-ए (1) (ए) के अन्तर्गत
उप समाहर्ता, चम्पुआ --अध्यक्ष

2. विनियम 10-ए (1) (बी) के अन्तर्गत
जिला श्रम अधिकारी, केऊंझर -- सदस्य

3. विनियम 10-ए (1) (सी) के अन्तर्गत
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी, - सदस्य
क०रा०बी० औषधालय, बड़बील

4. विनियम 10-ए (1) (डी) के अन्तर्गत
(नियोजकों के प्रतिनिधि)

1. श्री इन्दु भूषण मिश्र, उप प्रबंधक - सदस्य
(पी०एन०एल०)
कलिंग आयरन वर्क्स एण्ड स्पन
पाइप डिवीजन, बड़बिल

2. श्रीमति स्नेहलता सामन्तराय,
सहायक प्रबंधक,
(पी०एन०एल०) कलिंग आइरन, वर्क्स -- सदस्य
एण्ड स्पन पाइप डिवीजन, बड़बिल

5. विनियम 10-ए (1) (ई) के अन्तर्गत
(कर्मचारियों के प्रतिनिधि)

1. श्री यू०के० पुष्टि, जैनेरल सेक्रेटरी, -- सदस्य
कलिंग आइरन वर्क्स, वर्क्स यूनियन,
माटकामबेड़ा, केऊंझर

2. श्री पी०के० पंडा, जायण्ट सेक्रेटरी,
कलिंग आयरन वर्क्स यूनियन, -- सदस्य
माटकामबेड़ा, केऊंझर।

6. विनियम 10-ए (1) (एफ) के अन्तर्गत
प्रबंधक स्थानीय कार्यालय, क०रा०बी० -- सदस्य पदेन
निगम, व सचिव
बड़बिल।

ए० के० सिन्हा,
क्षेत्रीय निदेशक

विषय :-- स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं० 44-बी०-34/12/23/83-हितलाभ--एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि क० रा०बी० (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10 (ए) के अन्तर्गत गठित स्थानीय समिति, जगतपुर क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह पुनर्गठन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

1. विनियम 10-ए (1) (ए) के अन्तर्गत
उप समाहर्ता, कटक -- अध्यक्ष

2. विनियम 10-ए (1) (बी) के अन्तर्गत
जिला श्रम अधिकारी, कटक -- सदस्य

3. विनियम 10-ए (1) (सी) के अन्तर्गत
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी, --सदस्य
क०रा०बी० औषधालय, जगतपुर

4. विनियम 10-ए (1) (डी) के अन्तर्गत
(नियोजकों के प्रतिनिधि)

1. श्री जे०एस० पिलाई, वरिष्ठ प्रबंधक -- सदस्य
(आपरेशन)
(उड़ीसा पालीटेक्स इण्डस्ट्रीज (प्रा० लि०)
जगतपुर, कटक

2. श्री दया निधि बिस्वाल, प्रबंधक,
कसबोर्ड इण्डस्ट्रीज लि०, -- सदस्य
न्यू इण्डस्ट्रियल इस्टेट, फेज-41,
जगतपुर, कटक

3. श्री बी०सी० महान्ति, प्रबंध निदेशक, ओरी बी०एन० (प्रा० लि०), डी-2/8, न्यू इण्डस्ट्रियल इस्टेट, जगतपुर, कटक — सदस्य

5. विनियम 10-ए (1) (ई) के अन्तर्गत (कर्मचारियों के प्रतिनिधि)

1. श्री नरोतम परीड़ा, आशुलिपिक पारादीप आक्सीजन प्रा० लि०, न्यू इण्डस्ट्रियल इस्टेट, जगतपुर, कटक — सदस्य

2. श्री पूर्ण चन्द्र दास, सभापति सृष्टि ड्रिंक वर्क्स यूनियन, जगतपुर, कटक — सदस्य

3. श्री बसन्त कुमार साहू, जनरल सेक्रेटरी जगतपुर, शिल्पांचल श्रमिक संघ, जाउं-लियापटि, कटक — सदस्य

6. विनियम 10-ए (1) (एफ) के अन्तर्गत प्रबंधक, स्थानीय कार्यालय, क०रा०बी० निगम, कल्याण नगर, कटक — पदेन सदस्य व सचिव

ए० के० सिन्हा,
क्षेत्रीय निदेशक

विषय : स्थानीय समिति का पुनर्गठन ।

सं० 44-बी०-34/12-29/89-हितलाभ--एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि क० रा० बी० (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10 (ए) के अन्तर्गत गठित स्थानीय समिति, कलुन्गा क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह पुनर्गठन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा ।

1. विनियम 10 (ए) (1) (ए) के अन्तर्गत उप समाहर्ता, पानपोष — अध्यक्ष

2. विनियम 10-ए (1) (बी) के अन्तर्गत जिला श्रम अधिकारी, राउरकेला — सदस्य

3. विनियम 10-ए (1) (सी) के अन्तर्गत प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी, क०रा०बी० औषधालय, कलुन्गा — सदस्य

4. विनियम 10 ए (1) (डी) के अन्तर्गत (नियोजकों के प्रतिनिधि)

1. श्री राजेश शर्मा, एक्जीक्यूटिव आफीसर, मैसर्स चारिअट सीमेंट कम्पनी, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, कलुन्गा-31 — सदस्य

2. श्री आर० आर० मिज, कार्मिक अधिकारी मैसर्स इन्डो-फ्लेगेट्स लि०, कलुन्गा — सदस्य

5. विनियम 10-ए (1) (ई) के अन्तर्गत (कर्मचारियों के प्रतिनिधि)

1. श्री विष्णु महान्ति, जनरल सेक्रेटरी, सुन्दरगढ़ इण्डस्ट्रियल मजदूर यूनियन, राउरकेला — सदस्य

2. श्री एच० राउल, सभापति इन्डोफ्लेगेट श्रमिक संघ, राउरकेला — सदस्य

6. विनियम 10-ए (1) (एफ) के अन्तर्गत प्रबंधक, स्थानीय कार्यालय, क०रा०बी० निगम, राउरकेला । — पदेन सदस्य व सचिव

ए० के० सिन्हा
क्षेत्रीय निदेशक

क्षेत्रीय कार्यालय पटना, बिहार

पटना, दिनांक 24 अगस्त 1994

सं० 42-बी०-34/11/1/78-स्थापना-1--द्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि बिहार सरकार के अनुमोदन से पटना क्षेत्र के लिए कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम-1950 के विनियम 10 (क) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों से स्थानीय समिति पटना का पुनर्गठन किया गया है । यह अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा ।

विनियम 10-क-1 (क) के अधीन	पदनाम
1. उप श्रमायुक्त, पटना	अध्यक्ष
विनियम 10-क-1 (ग) के अधीन	
2. प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, जमाल रोड, पटना	सदस्य
विनियम 10 (क) (1) के अधीन	
3. महाप्रबंधक, मसर्स वैद्यनाथ आयुर्वेद, चिरैया टांड, पटना	सदस्य
4. मुख्य कार्मिक पदाधिकारी, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन भवन, बीरचन्द पटेल पथ, पटना	सदस्य
5. निदेशक, कार्मिक, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बेली रोड, पटना	सदस्य
विनियम 10 (क) (1) (ड) के अधीन	
6 श्री अशोक कुमार त्रिवेदी, महामंत्री, बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन कर्मचारी यूनियन, एनीबीसेंट रोड, पटना	सदस्य
7. श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, संगठन मंत्री, आई०एन० टी०यू०सी०, कदमकुंआ, पटना	सदस्य
8. श्री अमरेन्द्र मिश्र, महामंत्री, बिहार राज्य विद्युत परिषद, फील्ड कामगार यूनियन, जहतजी कोठी ककड़बाग, पटना	सदस्य
विनियम 10 (क) (1) (च) के अधीन	
9 प्रबंधक, स्थानीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना,	सदस्य-सचिव

के० मिश्र
क्षेत्रीय निदेशक

सं०-42-बी०-34/11/1/78-स्थापना-1--द्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि बिहार सरकार के अनुमोदन से रांची क्षेत्र के लिए कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 के विनियम 10 (क) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों से स्थानीय समिति, रांची का पुनर्गठन किया गया । यह अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा ।

विनियम 10 क-1 (क) के अधीन	पदनाम
1. उप श्रमायुक्त, राची	अध्यक्ष
विनियम 10 क-1 (ग) के अधीन	
2. प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय कोकर, राची	सदस्य
विनियम 10 क-1 (घ) के अधीन	
3. श्री बी० एन० सिन्हा, जनरल मैनेजर (पी० एण्ड आई० आर०) उषा मार्टिन इण्डस्ट्रीज लि०, टाटी सिलवे, रांची	सदस्य.

4 श्री आर० एम० बी० वर्मा डिवीजनल मैनेजर (एडमिनिस्ट्रेशन) श्री राम बियरिंग्स लि०, रात् रोड, रांची	सदस्य
5. श्री एल० डी० पाण्डेय प्रबन्धक (कार्मिक) बैक्सपोल इण्डस्ट्रीज लि० टाटी सिलवे रांची विनियम 10 (क)-1 (ङ) के अधीन	सदस्य
6. श्री गुलशन लाल अजमानी, विधायक कार्यकारी अध्यक्ष, इंजीनियरिंग मजदूर सभा टाटी सिलवे, रांची	सदस्य
7. श्री जीतेश्वर मुण्डा, महामंत्री भारत बॉल बियरिंग कर्मचारी संघ रात् रोड, रांची	सदस्य
8. श्री डी०के० शर्मा, महामंत्री बैक्सपोल इण्डस्ट्रीज वर्क्स यूनियन टाटी सिलवे रांची विनियम 10 (क)-1 (च) के अधीन	सदस्य
9 प्रबंधक, स्थानीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम राँची	सदस्य - सचिव

के० मिश्रा
क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

बम्बई दिनांक 25 अगस्त 1994

सं० यु० टी०/डी० बी० डी० एम०/195ए/एस० पी० डी० 68/94-95—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 19 (1) (8) (सी) के अन्तर्गत निर्मित गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान 1994 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अन्तर्गत बनाई गई गृहलक्ष्मी यूनिट योजना 1994 के उपबंधो मे किए गए संशोधन जो 17 अगस्त 1994 को हुई बैठक में कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किए गए है, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते है।

जी० प्रदीप कुमार,
उप प्रबंधक
व्यवसाय विकास और विपणन विभाग

गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान 1994 के उपबंधों में संशोधन

प्लान के उपबंधों में "आय वितरण का पुनर्निवेश" पर नए खण्ड XIX के रूप में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है।

XIX. आय वितरण का पुनर्निवेश

सदस्य को यूनिट के लिए आवेदन करते समय या उसके बाद धारित यूनिटों के संबंध में प्राप्त आय को अतिरिक्त यूनिटो मे पुनर्निवेश करने का विकल्प होगा। ऐसे विकल्प के प्रयोग की स्थिति में खण्ड XVIII में दर्शाए गए तरीके के अनुसार सदस्य को भुगतान करने के बजाए पूर्ण वितरणीय आय, कर कटौती के बाद, यदि कोई हो, ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर अतिरिक्त यूनिटो में पुनर्निवेश की जायेगी। वितरणीय लाभांश, कर कटौती, यदि कोई हो और उसके स्थान पर आबंटित यूनिटों की एक विस्तृत विवरणी सदस्य को भेज दी जाएगी। इस प्रकार आबंटित यूनिटों की एक विस्तृत विवरणी सदस्यों को भेज दी जाएगी। इस प्रकार आबंटित की गई यूनिटों के संबंध में सदस्यता सूचना जारी करने संबंधी मांग करने हेतु किसी सदस्य को हक नही होगा। सदस्य जिसने पूर्वोक्तानुसार पुनर्निवेश सुविधा का विकल्प चुना हो, उसके द्वारा लिखित आवेदन तथा अन्तिम जारी विवरणी को अभ्यार्पित करने पर पुनर्खरीद की अनुमति प्रदान करने वाले खण्ड की शर्तों के अनुसार उसे तात्कालिक पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद की अनुमति दी जा सकती है। मूल यूनिटो के पुनर्खरीद पर, इस सुविधा के अन्तर्गत जारी यूनिटों की पुनर्खरीद अपने आप हो जाएगी।

इस खण्ड के अन्तर्गत पुनर्निवेश सुविधा के अधीन आबंटित यूनिटें, मूल यूनिटो को न्यूनतम धारित करने के संबंध में नियंत्रित करने वाली शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन नहीं होंगी।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 5th August 1994

CORRIGENDUM

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3NCA(5)/7/93-94—In notification No. 3NCA(4)/92/93-94 dated 7-3-94 delete the name of under mentioned member appearing at Sl. No. 9.

Sl. No,	Membership No.	Name & Address
1.	11393	Shri Prem Bandhu Kapil 27 Shoot Field Crescent Scarborough Ontario M1S 4E1, CANADA.

(A.K. MAJUMDAR) Secy.

The 9th August 1994

CORRIGENDUM

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3NCA(5)/1/94-95—In notification No. 3NCA/(5)5/93 94 dt. 30-5-94 the date of restoration may be read as 10-11-93 instead of 8-2-94 for the under-mentiond Member whose name is appearing at Sl. No. 46

Sl. No.	M. No.	Name & Address
1.	86530	Shri Kushal Kumar Das ACA Chartered Accountant J-101 NDSE Part-I, New Delhi-110049.

A.K. MAJUMDAR Secy.

Bombay-400 005 the 15th July 1994

No. 3WCA(5)6/94-95—with reference to the Institutes Notifications 3WCA(4)15/89-90 dated 20/12/89 3WCA(4) 11/91-92 dated 27/01/92 3WCA(4) 5/92-93 dated 01/12/92 3WCA(4) 3/93-94 dated 31/12/93, it is herey notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulation 1988 that in exercise of the power conferred by Regulation 19 of the Said Regulation the Council of the Institute of Chartered Accountant of India has restored to the Register

of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following persons :—

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Rest. Date
1.	016738	Mr. Chhajed Prem chand Fulchand ACA 8 J. Jamata Co-Op-HGG. SOC. Nehru Nagar Kurla Bombay 400 024.	04-01-94
2.	032653	Mr. Merchant Inayat Husein Mohomed ACA 46/138 Yorkland St. Richmond Hall Ont Canada LYS [J]	30-06-94
3.	035055	Mr. Shah Jitendrakumar Kantilal ACA D/16 Vanashree I.T. Road Bombay 400 092.	24-06-94
4.	036112	Mr. Mistry, Hresh Dharamshi, ACA 826/27 Budhwar Peth Sonya Maruti Chowk Above Punjab National Bank III Floor Pune 411 002.	09-05
5.	037579	Mr. Raghuram Venkatesh, ACA 3 Usha Apts S. Navghar Cross Rd. Mulund East, Bombay 400 081.	17-06-94
6	037935	Mr. Goiporia Maneek Nadirshaw ACA Bldg. No. 17 Flat 24 UTI Staff Querters Bandra Reclamation West Bombay 400 050.	07-07-94
7.	039512	Mr. Chheda Ramesh Damji ACA Ramesh D. Chheda & Co., Radha Apt Gr Fl. Office No. 1 Barve Marg Nr. Kurla Bus Depot Bombay 400 070.	27-04-94
8.	042476	Mr. Chandrasekar R. ACA 2-C Court Chambers 35 New Marine Lines Bombay 400 020.	23-6-94
9.	042590	Mr. Thakurdesai Suren Shri krishna ACA, 3 Ashirwad M. K. arve Road Naupada Thane 400 602.	20-06-94

A.K. MAJUMDAR, Secy.

CORRIGENDUM

No. 3WCA (5)5/94-95—In Notification No. 3WCA(5) 11/93-94 dated 20th April, 1994 restoring the name of Shri Chhajed Premchand Fulchand 8, Jijamata Co-Op. Hsg. Society Ltd. Kurla (East), Bombay-400 024, w.e.f. 01/10/1993, Included at serial number 157 be treated as deleted.

His membership number is 016738.

A.K. MAJUMDAR, Secy.

Madras-600034, the 22nd July 1994

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA(5)/16/93-94—with reference to this Institute's Notification Nos. 3WCA(4)/11/87-88 dated 5th January 1988, 3NCA (4)/2/90-91 dated 12th November, 1990 3SCA (4)/3/92-93 dated 27th November 1992 3SCA(4)/3/93-94 dated 11th January 1994 and 3SCA(4)/5/93-94 dated 5th May 1994, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names the names of the following persons:—

S No.	MRN	Member Name & Address	Rest. Date
1.	034352	Mr. Ganesan S.V. ACA C-89 Second Main Road T V. Nagar Ambattur Madras-600053	16-2-94
2.	05738	Mr. Rajesh Agarwal ACA Chartered Accountant 28-2-4 (2nd Floor) Prakash Rao Peta Visakhapatnam-530 002.	
3.	087199	Mr. Anil Kumar Gandhi, ACA 6 II Floor Kanakasri Nagar Near Music Academy Off Catedral Road Madras-600086.	31-3-94
4.	201312	Mr. Ramkumar R. ACA BMMI Travel Centre P.O. Box No. 828 Manama BAHRAIN.	1-10-93
5.	200341	Mr. Gopala Krishna Addanki ACA Chartered Accountant B ox No. 275 Gaborone S. Africa, Botswana	1-10-93
6.	018897	Mr. Chandrasekaran K. ACA Plot 211 Sr. Aiyappa Nagar Madras-600111.	1-10-93
7.	029013	Mr. Sundararajan C.G., ACA 110 7th Cross 5th Main Srinivasa Nagar, B S K 1st Stage Bangalore-560050.	1-10-93
8.	018778	Mr. Raghunathan, R., ACA 1-C Eden Apartment Kilpauk Garden Road I Street Madras-600010.	1-10-93
9.	028746	Mr. Unnikrishnan P.C., ACA Sunatha Thaikkallukara P.O. Alwaye-683 106.	1-10-93
10.	025321	Mr. Ravindran S., ACA C/o S.E.B. IV Floor 498 Anna Salai, Nandanam Madras-600035.	1-10-93

A.K. MAJUMDAR, Secy.

Kanpur-20800, the 15th October 1993

(CHARTERED ACCOUNTANT)

No. 3CCA(8)(2)/93-94—In persuance of Regulation 10(1) (iii) of Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following member has been cancelled with effect from the date mentioned against his name as he does not desire to hold the same.

S. No.	M. No.	Member Name & Address	Canc. Date
1.	70125	Mr. V.R. Singhania Chartered Accountant 111/134, Harsh Nagar Kanpur-208 012.	01-07-92

A.K. MAJUMDAR, Secy.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 13th September 1994

NOTIFICATION

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 1-CA(7)/5/45/94—In pursuance of sub-section (5) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Report and the audited accounts of the Council for the year ended 31st March, 1994 is hereby published for general information :—

(Please incorporate the material enclosed herewith).

A. K. MAJUMDAR,
Secretary

45TH ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1994

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India has great pleasure in presenting its 45th Annual Report for the period 1st April, 1993 to 31st March, 1994. The report highlights the important activities of the Council and its various Committees. The report also covers the seminars and conferences held, training programmes conducted and the relevant statistics relating to members and students and accounts of the Institute for the year 1993-94. However, the important activities of the Institute upto the first week of September, 1994 have also been briefly mentioned.

1. THE COUNCIL

1.1 Members of the Council and its various Committees

The fifteenth Council, consisting of 24 members elected from the five regional constituencies and six persons nominated by the Central Government was constituted on 18th January, 1992 for a period of three years. During the period under report, Dr. Dharmendra Bhandari, a member of the Council from Central Regional Constituency resigned from the membership of the Council and, as a result, a vacancy in the Council arose effective from 21st May, 1994. In order to fill the vacancy in the Council arising from the resignation of the said member, a by-election from the Central Regional Constituency is scheduled to be held on 2nd December 1994 alongwith the elections to the sixteenth Council and fifteenth Regional Councils. The composition of the Council is given in APPENDIX I to the report.

1.2 President and Vice-President

Shri N. P. Sarda, FCA, Bombay, and Shri B. P. Rao, FCA, Bangalore continued to function as President and Vice-President respectively of the Institute till 17th January, 1994. The Council wishes to place on record its gratitude and sincere appreciation of the valuable services rendered by both of them.

The Council at its 166th meeting held on 16th, 17th and 18th January, 1994 unanimously elected Shri B. P. Rao, FCA, Bangalore, as President and Shri Y. M. Kale, FCA, Bombay as Vice-President of the Institute for a period of one year w. e. f. 18th January, 1994 to 17th January, 1995.

1.3 Secretary

Shri A. K. Majumdar continued as Secretary of the Institute.

1.4 Committees of the Council

The Council at its 166th meeting held in in January, 1994 constitued three Standing and various Non-Standing Committees to deal with various matters concerning the profession. A list of these Standing and Non-Standing Committees together with their composition is given in APPENDIX II to the report.

1.5 Meetings of the Council

During the year the Council held 7 meetings.

1.6 Auditors

While Shri C. P. Mehra was re-appointed as auditor of the Institute, Shri K. S. V. S. Manian was appointed as joint auditor in place of Shri M. R. Venkataraman for the year under report. The Council wishes to place on record its appreciation of the service rendered by them.

2 RESEARCH AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

As in the past, the Council laid greater emphasis on research, professional development, continuing professional education of members and education and training of student through its various non-standing committees. While a number of new research activities have been undertaken, a fairly good number of publications on accounting standards, auditing standards, expert opinions, background material for use in Chain Seminars and research studies have been brought out by the Institute through its various non-standing Committees during the year. These activities *inter alia* include the following :—

(a) ACCOUNTING STANDARDS

Realising the increasing reliance placed on the Accounting Standards of the Institute, by the Government and other agencies and recognising the urgency and importance of the matter, the Accounting Standards Board of the Institute continued to undertake a number of steps to formulate and implement accounting standards on priority subjects/areas. As a result, a new Accounting Standard 14 (AS-14), Accounting for Amalgamations has been finalised. The existing Accounting Standard 4 (AS-4), Contingencies and Events Occurring after the Balance Sheet Date has been revised and finalised. Both are expected to be issued shortly. The Revised Accounting Standard 11 (AS-11), Accounting for the Effects of Changes in Foreign Exchange Rates' and another new Accounting Standard 15 (AS-15), Accounting for Retirement Benefits in the Financial Statements of Employers' have also been finalised and will be issued shortly. Following the insertion of Schedule XIV in the Companies Act, 1956, certain changes in existing Accounting Standard 6 (AS-6), 'Depreciation Accounting' have been made and the revised accounting standard has been issued. The task of formulation of Accounting Standards on Accounting for Financing Costs, Accounting for Current Assets and Current Liabilities, Financial Instruments, Accounting and Disclosure by Banks and Financial Institutions and Cash Flow Statements has been taken up. In addition, a review of the existing Accounting Standard 5 (AS-5), 'Prior Period and Extraordinary Items and Changes in Accounting Policies' and preparation of a 'Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements' have also been undertaken.

Accounting Standards 1, 7, 8, 9 and 10 were made mandatory for corporate bodies in respect of accounting periods beginning on or after 1-4-1991. During the year, the Council decided to extend the mandatory application of these Accounting Standards to non-corporate bodies/individuals. Accordingly, the aforesaid Accounting Standards have been made mandatory for specified non-corporate bodies and the

individual in respect of accounts for periods beginning on or after 1-4-1993.

In the process of formulation of Accounting Standards, the views of various interest groups are duly considered. The composition of the Accounting Standards Board is such that due representation is given to industry, associations, banks, company law authorities, taxation authorities and the Comptroller and Auditor General of India. The Board now also has representatives from financial institutions, SEBI, office of the Controller General of Accounts, management institutes and universities. In order to make the Accounting Standards Board further broad-based, the representatives of the Central Board of Direct Taxes and the Central Board of Excise and Customs have also been invited to join the Board.

(b) AUDITING STANDARDS

Recognising the need and importance of guidance to the members in the context of significant developments in the area of bank audit, the Auditing Practices Committee has finalised the revised edition of the existing publication dealing with "Audit of Banks". The revised publication seeks to incorporate up-to-date information on various issues/areas. Keeping in view the importance of banking sector in the economy and the need to ensure effective audit of banks the revised edition of the publication is being issued as a Guidance Note rather than as a Study. The Committee continued to maintain its interaction with the RBI and other institutions. As a result, the RBI revised the formats of Long Form Audit Reports (LFAR) in the case of banks in the light of the suggestions made by this Committee.

Based on the revised formats of LFAR, the existing guidance note on the subject has been revised by the Committee. The Committee also undertook the task of preparation of a detailed background material to serve as the basis for discussion at the various seminars conducted by the Continuing Professional Education Committee in the context of significant developments that have taken place in the area of bank audit. In its drive to formulate and upgrade auditing standards in the country, the Committee has undertaken the task of issuing statemnets on standard auditing Practice in the following subjects:

(a) Using the work an Other Auditor.

(b) Responsibility of Joint Auditors.

(c) Audit Materiality.

(d) Representations by Management.

(e) Audit Sampling.

(f) Subsequent events

(g) Audit of Accounting Estimates, and

(h) Going Concern.

These standards are at various stages of formulation.

Guidance Notes on Audit of Debtors, Loans and Advances and Audit of Inventories have been issued by the Committee, while a Guidance Note on Audit of Investments is under finalisation. Similarly, Guidance Notes on Audit of Cash and Bank Balances, Audit of Miscellaneous Expenditure, Audit of Capital and Reserves, Audit of Liabilities, Audit of Revenue and Audit of Expenses are at various stages of formulation. The Committee is also engaged in the preparation of a Study on Auditing in an EDP Environment,

(c) OTHER RESEARCH STUDIES

As in the past, research in accounting and allied fields continued to be on the top of the Council agenda. Realising its importance, the Research Committee geared up its activities further. In view of the recent amendments notified by the Government, in Schedule XIV to the Companies Act, 1956, in the rates of depreciation, the Research Committee has issued a Guidance Note on some Important Issue arising from Amendments in Schedule XIV to the Companies Act, 1956, for the guidance of members and others. In addition to this, the Committee brought out such important publications as revised editions of Compendium of Statements and Standards on Accounting (3rd edition), Compendium of Statements and Standards on Auditing (3rd edition), Compendium of Guidance Notes-Volume-I (4th edition), Compendium of Guidance Notes-Volume-II (3rd edition); Revised Guidance Note on Treatment of Expenditure during Construction Period; Revised Statement on Treatment of Retirement Gratuity in Accounts; Revised edition of Technical Guide to Audit of Educational Institutions; Guidelines on Internal Audit-Cement Industry; and Project Appraisal-Requirements of Indian Financial Institutions. Apart from the above, it is expected that at least five more publications namely, Guidelines on Internal Audit-Tyre Industry, revised edition of the Study on Share Valuation, revised edition of the Trends in published Accounts, revised edition of the Accountant's Guide to Law of Central Exises, and Study on Transfer Pricing would be published in the near future, following by another set of at least four publications. The Committee also proposes to issue shortly a Guidance Note on Utilisation of Revaluation Reserve for Issue of Bonus Shares. In addition, another 22 projects in accounting and allied areas are in progress.

Over and above, many new projects have been taken up for research which include three new thrust areas, namely, Management/Operations Audit: Accounting and Auditing for Infrastructure Industry and Financial Services Area.

In the field of Corporate Laws, apart from submission of a detailed memorandum to the Government regarding various provisions of the Companies Bill, 1993, the Institute has responded to a number of technical issues relating to the recodification exercise of the Companies Act on reference from the Department of Company Affairs. A Guidance Note on "Certification of Documents for Registration of Charges" was published. In the area of taxation, the "Guidance Note on Sections 80HHB and 80HHC of the Income Tax Act (3rd edition) has been published. While a Monograph on Compulsory Maintenance of Accounts has already been finalised, the existing Study on Taxation of Charitable and Religious Trusts and Institutions is being revised.

(d) EXPERT OPINIONS

During the year also, a large number of fresh queries were received from various members and opinions released. The Thirteenth Volume of the Compendium of Opinions, is expected to be published shortly.

(e) CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

Recognising the significance of continuing professional education for its members, the Council has decided that members in practice be required in due course to compulsorily undergo 25 hous of continuing professional education programmes in a block period of 5 years. For this purpose a separate Directorate was set up. Through its Chain Seminars Scheme, it has been decided to hold three series of Seminars in the areas of Bank Audit, Taxation and Corporate Finance & International Lending Institutions. These Seminars would be conducted through out the country on the basis of a uniform course design and discussion material. A number of other programmes were organised during the year with a view to provide a forum to members and others to update their knowledge and discuss matters of interest. The syllabi of the post-qualification courses are under revision so as to make the courses more effective and practical oriented. The five Computer Centres of the Institute continued to provide practical orientation through its specially designed courses to members and students. In addition, the Centres have also conducted special programmes for officers and managers of government and public sector undertakings.

(f) PROFESSIONAL DEVELOPMENT

The Institute continued to play an active role in projecting views of the profession at various fora and responded positively to the changes that have taken place in areas affecting the profession as whole. The comments of the Institutet in the pre-budget and post-budget memoranda and the view-points expressed in the various discussions held in this connection found considiable support with the authorities and

the latter responded favourably to many of the Institute's views/suggestions. The Institute continued to maintain a close contact with the RBI, SEBI and other regulatory bodies and submitted its views/comments on various technical issues. As a result of the concerned efforts taken by the Institute, the Governments of Kerala, Pondicherry and Karnataka have introduced sales-tax audit in their respective States. Efforts are on to persuade the other State Governments to follow the path paved by the said lead States.

The details of activities of various non-standing committees of the Council during this period are given in the APPENDIX-III to this report.

3. INTERNATIONAL RELATIONS

The Inistitute is actively associated with various international bodies of professional accountants. A brief report of international relations is enclosed as APPENDIX-IV to this report.

4. OTHER MATTERS

4.1 Annual Meeting of the Institute

The 44th Annual Meeting of the Institute was held on 17th January, 1994 at New Delhi. Dr. Raja J. Chelliah, Fiscal Adviser to the Government of India, Ministry of Finance was the Chief Guest at the function. He presented shields and plaques to the companies and financial institutions which had won the Institute's prestigious awards for the best presented accounts and distributed prizes and medals to the meritorius students in the examinations conducted by the Institute. The Hon'ble Chief Guest also gave away prizes for the best articles published in the Institute's Journal and presented shields and certificates to the outstanding Regional Council and Branches of the Institute. The function was attended by a large number of invitees including members and students.

4.2 Amendments in the Chartered Accountants Act, 1949 and the Regulations, 1988

In keeping with the changing needs, the Institute has proposed a number of amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1988 which are under consideration of the Central Government. A further consolidated proposal for amendments to the C.A. Act, 1949 has also been submitted to the Central Government for its consideration.

4.3 Central Council Library

The Central Council Library provides books, journals and newspapers facilities to the members and students. Library also provides the articles collected from various journals and newspapers, a list of which is published periodically in the Institute's Journal under the title - "Professional News and Views Published Elsewhere." A Reference Service is also being provided to the researchers and Foundation Course students as a special case. Noida office of Institute, has also been provided with library facilities by the Central Council Library.

Besides, library facilities are also provided at the Regional Centres and Branches throughout the country. Grants are given to Associations and Study Circle recognised by the Institute for development of the Libraries.

4.4 Journal

The Institute's official medium 'The Chartered Accountant' continued to enjoy popularity and maintain high professional standards throughout the year under report, with the circulation figure crossing 80,000 mark. The Journal has been re-designed to enhance readability, with different types of layouts, visuals, etc., which has been widely welcomed by members and other readers.

As in the past, Prizes will be awarded to the authors of the best articles published in the journal during the period July 1993 to June 1994 at the annual meeting of the Institute.

4.5 Chartered Accountants Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Funds provides financial assistance to needy persons who are/or have been members of the Institute and their dependents. The assistance is provided for maintenance of the dependents, their education needs, meeting medical expenses etc. The fund has also been giving loans upto Rs. 20,000 to the members who are displaced from disturbed areas in the country. The number of life members of the Fund increased from 9511 on 31-8-1993 to 10514 on 31-8-1994. A sum of Rs. 444,900.00 was disbursed during the year to deserving persons. The balance in the Fund as on 31-3-94 was Rs. 68,00,997.98 as against a sum of Rs. 60,02,235.77 as on 31-3-1993.

4.6 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

During the year 1993-94, 28 scholarships of the value of Rs. 100/- each per month were given to the students undergoing the Chartered Accountancy Course. The membership of the Fund was 209 as on 31-8-1994. The balance in the credit of the Fund was Rs. 1,21,109.90 as on 31-3-1994 as against Rs. 1,05,329.40 as on 31-3-1993.

4.7 Recognition of CA Course

The Institute has been in touch with the universities to get the chartered accountancy course recognised for Ph. D. programme. At present 39 universities besides the Association of Indian Universities and Indian Institutes of Management (Ahmedabad and Calcutta) recognise the C. A. Course as equivalent to M. Com for registration for Ph. D. A list of universities which have recognised the C.A. Course for the purpose is given in para 11.3 of APPENDIX III to this report.

4.8 Committee on Capital Market and Investors' Protection

Keeping in view the growing importance of capital market in the changed socio-economic scenario of the country and the consequent need to protect the interest of the Investors, the Council of the Institute decided to constitute a separate Committee, namely. "Committee on Capital Market and Investors' Protection" for the purpose. The main objectives of the Committee are to educate the members and the public at large in the area of capital market. In pursuance of the above, the Committee has interacted with the authorities of Securities and Exchange Board of India (SEBI) and offered its suggestions/views on various technical matters. Many of the suggestions of this Committee have been found useful by the SEBI authorities. The composition of the Committee is given in Appendix II.

5. MEMBERS

5.1 Membership

During the year 4061 new members were enrolled by the Institute bringing the total membership to 68388 as on 1-4-1994.

During the year 3173 associates were admitted as fellows, compared to the figure of 2697 in the previous year. Details of membership are given below :—

Statistics of members as on 1.4.1994

Category of Members	Fellows (1)	Associates (2)	Total of Columns (1) & (2)
In Full time practice	24777	16652	41429
In part time practice	2397	4959	7356
Not in practice	2692	16911	19603
Grand Total	29866	38522	68388

5.2 Deceased Members

The Council records with deep regret the sad demise of Shri H. R. Gupta, the then Chairman, EIRC. The Council also records with a deep sense of sorrow the passing away of several other members during the year. The names of the deceased members are listed APPENDIX-V to this report.

5.3 Disciplinary Committee

The details of cases placed before the Council and the Disciplinary Committee during the period from 1-4-1993 to 31-3-1994 are given below :—

1	Number of cases considered by the Council for *prima facie* opinion u/s 21 . . .	98
	(a) Out of the above number of cases referred to Disciplinary Commite for enquiry . .	42
2.	Number of cases heard by the Disciplinary Committee out of total cases pending till, 31.3 1994	47
3.	Number of reports of Diciplinary Committee considered by the Council (incuding reports of the cases heard during the earlier period) .	46
4.	Number of cases heard u/s 21 (4) in respect the the Respondents who were found guilty under the First Schedule	07
5.	Number of cases filled in the High Courts u/s 21 (5).	—
6.	Number of cases disposed of by the High Courts u/s 21(6) & 21(7).	-

6. STUDENTS

6.1 The Board of Studies continued its activities for preparing, updating and providing coaching material to the students of pre-professional Foundation Course and the students of the professional course of Chartered Accountancy (Intermediate and Final).

6.2 The Total Number of students registered for Foundation Course during the year ending 31-3-1994 in different regions was 30250. The region-wise break-up is given in Appendix-VI.

6.3 Classes for the benefit of December 1993 and June 1994 batches of Foundation Course students were organised by 57 and 129 accredited institutions respectively.

6.4 The number of students enrolled for the Intermediate and Final Courses during the years ended 31st March, 1993 and 31st March, 1994 are as under :—

Course	1993-94	1992-93
Intermediate	19335	14205
Final	5865	7441

6.5 The total number of students on the rolls of Board of Studies as on 31st March, 1994 (excluding those students who are registered for the Foundation Course) was 105582 as against 99,435 as on 31st March, 1993. The details are given in APPENDIX-VII.

6.6 Panels of Reviewers for reviewing study materials and for assisting in the preparation of study materials in different subjects of Foundation/Intermediate/Final Course have been drawn up and study materials are being sent to the Reviewers from time to time for their review.

6.7 During the year ended 31st March, 1994, scholarships were granted to 244 students from out of the funds of the Institute (Need-Based Scholarships - 171, Partial Freeship - 49 and Merit Scholarships - 24) and 42 from the income from various endowments created for the purpose.

6.8 The 9th All India CA Students Conference took place at Nagpur on 8th and 9th January, 1994. About 625 delegates including 215 outstation delegates from different parts of the country attended the Confernce. Dr. Shrikant Jichkar, Member of Parliament inaugurated the Conference. Mr. D. N. S. Sinha, Commissioner of Income-Tax Nagpur was the Chief Guest at the Inaugural Session. The technical sessions on Accounts and Auditing, Taxation, Corporate Laws and Education and Training were chaired respectively by Sarvashri Dipankar Chatterji, R. Balakrishnan, S. C. Vasudeva and G. B. Doshi. 19 papers on 11 technical topics, contributed by students from different regions, were discussed. There was wide participation of students in the discussions. Hon'ble Justice Dharmadhikari, retired Judge of the Bombay High Court delivered the valedictory address at the Concluding Session.

6.9 The Board has formulated a scheme of one-day seminars for students to be organised by Branches subject to certain guidelines. While such seminars should generally be self-supporting, reimbursement of cost of printing of the paper book and the travel expenses of two faculty members will be made in appropriate cases subject to specified limits.

6.10 Regional Monitoring Committees have been set up in different regions for monitoring the performance of accredited institutions on a continuous basis and to consider requests for accreditation and other related matters.

6.11 The Board has framed a scheme for oral classes for Intermediate students. Such classes may be organised by colleges affiliated to the Universities or other bodies satisfying certain criteria evolved for the purpose and specifically accredited by the Board for this purpose. The classes are to be organised in accordance with any of the 3 alternative modules suggested by the Board in the guidelines framed for the purpose. Modules 'A' and 'B' involve classes spread over 3-4 months organised on week days/Saturdays and Sundays, while Module 'C' involves crash course of 1 month's duration. Regional Councils and their branches may also organise classes as per the guidelines after getting specific permission from the Board.

7. EXAMINATION

7.1 The Chartered Accountants Final and Intermediate Examinations were held in May, 1993 and November, 1993 in 47 centres and 48 centres respectively. The first Foundation Examination was held in June, 1993 in 28 places/45 centres The next Foundation Examination was held in December, 1993 in 28 centres.

7.2 The total number of candidates who appeared in the Final, Intedmediate and Foundation Examinations held in May/June, 1993 and November/December, 1993 were 53,740 and 53,534 respectively. The summary of results of these examinations indicating the number of candidates who appeared in the said examinations and the number of candidates declared successful is given in Appendix-VII.

7.3 The names of the candidates who were awarded prizes and certificates of merit in the examinations held in May/June, 1993 and November/December, 1993 are given in Appendix-IX to this report.

8. REGIONAL COUNCILS AND BRANCHES OF REGIONAL COUNCILS

8.1 Branches :

The Institute has five Regional Councils, namely Western India Regional Council Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council having their headquarters at Bombay, Madras, Calcutta, Kanpur and New Delhi, respectively. The total number of branches of Regional Councils throughout the country stood at 81. The list of the branches is given in APPENDIX-X to this report.

8.2 Building :

There has been an upward revision of grants payable to branches for construction of building. The then President Shri N. P. Sarda laid the foundation stone in respect of build-

ing for Udaipur Branch. He also inaugurated the premises of the Indore Branch of Central India Regional Council. A number of branches are in the proces of acquiring land to construct their own premises or purchasing constructed flats. Some branches have undertaken expension of existing buildings to meet growing needs for space. The President Shri B. P. Rao laid the foundation stone of building for Quilon Branch of Southern India Regional Council. He also inaugurated the premises of the Siliguri Branch of Eastern India Regional Council.

The Central Council has envisaged a greate role for Regional Councils and branches in implementing the scheme of continuing professional education of members, which was proposed to be made mandatory for members in practice in near future.

8.3 Rotating Shields for best Regional Council and best Branch of Regional Council.

Since 1986-87, the Institute awards Rotating Shield to the best Regional Council. The award is given on the basis of overall performance of the Regional Council. For the year 1993-94 the Shield will be awarded to the Eastern India Regional Council. In order to encourage branches of Regional Council to be more active and to render effective service to the members and students, the Institute also awards a Rotating Shield every year to the best Branch. The activities of Branches are evaluated on the basis of established norms. For the year 1993-94 Bangalore Branch of Southern India Regional Council has been selected for the award of Shield. The certificates for highly commended performance will be awarded to the Branches at Goa, Pune and Jaipur.

9. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as at 31st March, 1994 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date as aproved by the Council are enclosed.

10. APPRECIATION

10.1 The Council is grateful to all members of the Institute who functioned as co-opted members on the Institute's Committees and to the non-members who assisted the Council during the year in the conduct of its educational, technical and other activities and in its examinations.

10.2. The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Government and its nominees on the Council during the year.

10.3. The Council would also like to acknowledge its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year by all officers and staff of the Institute.

APPENDICES TO THE ANNUAL REPORT

APPENDIX I

(Ref. Para 1.1 of the Report)

Members of the Council

Shri Agrawal, R.K.	Calcutta
*Shri Ananthan, U.N. (20-7-93 to 13-1-94)	New Delhi
Bhadari (Dr.) Dharmendra (Upto 20-5-94)	Jaipur
Shri Birla C.M.	Kota
Shri Chakraborty, A.K.	Calcutta
Shri Chatterji, Dipankar	Calcutta
Shri Chhajed, S.P.	Bombay
Shri Chitale, M.M.	Bombay
Shri Doshi G.B.	Bombay
*Shri Gulati Sunil	New Delhi
*Shri Gupta Arun Kumar	New Delhi
Shri Gupta N.D.	New Delhi
Shri Gupta N.K.	Kanpur
Shri Iyer N.V.	Bombay
Shri Joseph C.K. (w.e.f 14-1-94)	New Delhi
Shri Joshi R.D (w.e.f. 23-6-93)	New Delhi
Shri Kale Y.M.	Bombay
Shri Koteswara Rao S.S.R	Hyderabad
*Shri Krishnamurthy Ch. G.	New Delhi
Shri Laxminiwas Sharma	Hyderabad
Shri Mehta K.S.	New Delhi
*Pillai (Mrs.) Sudha (upto 22-6-93)	New Delhi
Shri Rao B.P.	Bangalore
Shri Sarda N.P.	Bombay
Shri Sha A.C.	Ahmedabad
Shri Sitharaman G.	Madras
*Shri Sivasubramanian N. (4-9-92 to 19-7-93)	New Delhi
*Shri Soli Yash Pal	New Delhi
Shri Sundararajan N.C.	Madras
Shri Upadhyaya P.P. Gururaja	Madras
Shri Vasudeva S.C.	New Delhi
Shri Vikamsey S.K.	Bombay
Shri Vishwanath T.S.	New Delhi.

*Nominated by the Central Government

APPENDIX II

(Ref. Para 1.4 of the Report)

Composition of the Standing and Non-Standing Commttees for the year 1994-95

A. STANDING COMMITTEES

EXECUTIVE COMMITTEE

Shri B.P. Rao President	Bangalore
Shri Y.M. Kale Vice-President	Bombay
Shri R.K. Agrawal	Calcutta
Shri M.M. Chitale	Bombay
Shri N.K. Gupta	Kanpur

EXAMINATION COMMITTEE

Shri B.P. Rao President	Bangalore
Shri Y.M. Kale Vice-President	Bombay
Dr. Dharmendra Bhandari (upto 20-5-1994)	Jaipur
Shri C. M. Birla (w.e.f. 14-7-1994)	Kota
Shri G Sitharaman	Madras
Shri T.S. Vishwanath	New Delhi

DISCIPLINARY COMMITTEE

Shri B.P. Rao President	Bangalore
Shri Y.M. Kale Vice-President	Bombay
Shri A.K. Chakraborty	Calcutta
Shri R.D. Joshi	New Delhi
Shri N.C. Sundararajan	Madras

B. NON—STANDING COMMITTEES

ACCOUNTING STANDARDS BOARD

Shri N.P. Sarda Chairman	Bombay
Shri K.S. Mehta Vice-Chairman	New Delhi

Shri B.P. Rao President (Ex-officio)	. .	Bangalore
Shri Y.M. Kale Vice-President (Ex-officio)		Bombay
Shri M.M. Chitale	. . . .	Bombay
Shri C.K. Joseph	. . . . .	New Delhi
Shri R.D Joshi	. . . . .	New Delhi
Shri Ch. G. Krishnamurthy	. . . .	New Delhi
Shri G. Sitharaman	. . . .	Madras
Shri Y.H. Malegam	Co-opted	Bombay
Prof. S. Sundararajan	Co-opted	Bangalore

AUDITING PRACTICES COMMITTEE

Shri Dipankar Chatterji Chairman	. .	Calcutta
Shri M.M. Chetale Vice-Chairman	. .	Bombay
Shri B.P. Rao, President (Ex-officio)	. .	Bangalore
ShrY.M. Kale Vice-President (Ex-officio)		Bombay
Shr. A.K. Chakraborty	. . . .	Calcutta
Shri N.V Iyer	. . . . .	Bombay
Shri C.K Joseph	. . . .	New Delhi
Shri P.R Ramesh	. . .	Calcutta
Shri K A. Elavia	Co-opted	Bombay
Shri Sanjiv K. Chaudhary	. . .	New Delhi

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION COMMITTEE

Shri Laxminiwas Sharma, Chairman	.	Hyderabad
Shri G.B. Doshi, Vice-Chairman	.	Bombay
Shri B.P. Rao, President (Ex-officio)	.	Bangalore
Shri Dipakar Chatterji	. . . .	Calcutta
Shri N.D. Gupta	. . . . .	New Delhi
Shri N.K. Gupta	. . . . .	Kanpur
Shri Y.P. Soli	. . . . .	New Delhi
Shri M. Bhcema Bhat	. . .	Madras
Shri R.P Varshney	Co-opted	New Delhi
Shri H.M. Damania	. . .	Bombay

COMMITTEE FOR MEMBERS IN INDUSTRY

Shri S.K. Vikamsey, Chairman	. .	Bombay
Shri Sunil Gulati Vice-Chairman	. .	New Delhi
Shri Y.M. Kale Vice-President (Ex-officio)		Bombay
Shri N.K Gupta	. . . . .	Kanpur
Shri K.S. Mehta	. . . . .	New Delhi
Shri A.C Shah	. . . . .	Ahmedabad
Shri U Vishnumurthy	. . .	Bangalore
Shri Satish C. Taparia	Co-opted	Bombay
Shri H.C. Daga	. . .	Rishra

FISCAL LAWS COMMITTEE

Shri S.C Vasudeva, Chairman	. . .	New Delhi
Shri S.P. Chhajed Vice-Chairman	. .	Bombay
Shri B.P. Rao, President (Ex-officio)	. .	Bangalore
Shri C.M. Birla	. . . . .	Kota
Shri P.P. Gururaja Upadhyaya	. .	Madras
Shri Ch. G. Krishnamurthy	. . .	New Delhi
Shri A.C Shah	. . . . .	Ahmedabad
Shri P.D. Desai	. . . .	Bombay
Shri C.L. Jhanwar	Co-opted	Jaipur
Shri B Shankar	. . . .	Secunderabad

CORPORATE LAWS COMMITTEE

Shri N V. Iyer, Chairman	. . .	Bombay
Shri N. D. Gupta, Vice-Chairman	. .	New Delhi
Shri Y.M. Kale, Vice-President (Ex-officio)		Bombay
Shri S.P. Chhajed	. . . . .	Bombay
Shri R D. Joshi	. . . . .	New Delhi
Shri S.S.R. Koteswara Rao	. . .	Hyderabad
Shri T.S Vishwanath	. . . .	New Delhi
Shri R.N. Bansal	. . . .	New Delhi
Shri S.R R.K. Sharma	Co-opted	Bangalore
Shri Narendra Ancja	. . . .	Bombay

COMMITTEE ON ETHICAL STANDARDS / UNJUSTIFIED REMOVAL OF AUDITORS

Shri S.P. Chhajed, Chairman	. . .	Bombay
Shri S.C Vasudeva, Vice-Chairman	. .	New Delhi
Shri B.P. Rao, President (Ex-officio)	. .	Bangalore
Shri Laxminiwas Sharma	. . .	Hyderabad
Shri Y.P. Soli	. . . . .	New Delhi
Shri S.K. Vikamsey	. . . . .	Bombay
Shri V.N. Krishandas	. . .	Bombay
Shri T.G. Singhal	Co-opted	Bombay
Shri Brij Kumar	. . .	Hyderabad

EXPERT ADVISORY COMMITTEE

Shri A.C. Shah, Chairman	. . .	Ahmedabad
Shri R K. Agrawal, Vice-Chairman	. .	Calcutta
Shri Y.M. Kale, Vice-President (Ex-officio)		Bombay
Shri C.M. Birla	. . . . .	Kota
Shri A.K. Gupta	. . . . .	New Delhi
Shri P.P Gururaja Upadhyaya	. . .	Madras
Shri Laxminiwas Sharma	. . .	Hyderabad
Shri K C Desai	. . .	Ahmedabad
Shri G.S. Agrawal	Co-opted	Raipur
Shri M.K. Agarwal	. . .	New Delhi

BOARD OF STUDIES

Shri G.B. Doshi, Chairman	. . .	Bombay
Shri N.K. Gupta, Vice-Chairman	. .	Kanpur
Shri B.P. Rao, President (Ex-officio)	.	Bangalore
Shri Y.M. Kale, Vice-President (Ex-officio)		Bombay
Shri R.K. Agrawal	. . . .	Calcutta
Shri N.D. Gupta	. . . . .	New Delhi
Shri G. Sitharaman	. . . .	Madras
Shri R. Balakrishnan	. . .	Madras
Shri S.V Dadbhawala	Co-opted	Bombay
Shri Sharad Kohli	. . .	Ghaziabad

UNIVERSITY / HIGHER SECONDARY BOARDS LIAISON COMMITTEE

Shri P.P. Gururaja Upadhyaya, Chairman		Madras
Shri T.S Vishwanath, Vice-Chairman	.	New Delhi
Shri Y.M Kale, Vice-President (Ex-officio)		Bombay
Shri S.P. Chhajed	. . . . .	Bombay
Shri S.S.R. Koteswara Rao	. . .	Hyderabad
Shri Y.P. Soli	. . . . .	New Delhi
Shri S N.Kulkarni	. . .	Nashik
Shri Ashwini Kumar	Co-opted	Ludhiana
Shrr John Mathew	. . .	Madras

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COMMITTEE

Shri N.D. Gupta, Chairman		New Delhi
Shri Dipankar Chatterji, Vice-Chairman		Calcutta
Shri B.P. Rao, President (Ex-officio)		Bangalore
Shri Y.M Kale, Vice-President (Ex-officio)		Bombay
Dr. Dharmendra Bhandari (Upto 20-5-1994)		Jaipur
Shri A K. Chakraborty		Calcutta
Shri Sunil Gulati		New Delhi
Shri N.K. Gupta (w.e.f. 14-7-1994)		Kanpur
Shri H.V. Lodha	Co-opted	Calcutta
Shri P.C. Ghadiali	Co-opted	Bombay
Shri I.C. Jain	Co-opted	Bombay

PUBLIC RELATIONS COMMITTEE

Shri C.M. Birla, Chairman		Kota
Shri T.S. Vishwanath, Vice-Chairman		New Delhi
Shri B.P. Rao, President (Ex-officio)		Bangalore
Shri Y.M. Kale, Vice-President (Ex-officio)		Bombay
Dr. Dharmendra Bhandari (Upto 20-5-1994)		Jaipur
Shri Dipankar Chatterji (w.e.f. 14-7-1994)		Calcutta
Shri A.K. Gupta		New Delhi
Shri Rudra Dev M.	Co-opted	Bangalore
Shri S K. Jain	Co-opted	Hyderabad
Shri R.C. Ghiya	Co-opted	Jaipur

RESEARCH COMMITTEE

Shri K. S. Mehta, Chairman		New Delhi
Shri G. Sitharaman, Vice-Chairman		Madras
Shri B.P. Rao, President (Ex-officio)		Bangalore
Dr. Dharmendra Bhandari (Upto 20-5-1994)		Jaipur
Shri G.B Doshi (w. e.f. 14-7-1994)		Bombay
Shri S.C. Vasudeva		New Delhi
Shri S.K. Vikamsey		Bombay
Shri M.G.Patel		Ahmedabad
Shri Ketan Arvind Dalal	Co-opted	Bombay
Shri R.N. Roy	Co-opted	Calcutta
Shri S.L. Daga	Co-opted	Hyderabad

INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE

Shri B.P. Rao, Chairman		Bangalore
Shri Y.M. Kale, Vice-Chairman		Bombay
Shri A.K. Chakraborty		Calcutta
Shri N.P. Sarda		Bombay
Shri N.C. Sundararajan		Madras
Shri K.M. Agarwal	Co-opted	New Delhi
Shri S.K. Das Gupta	Co-opted	Calcutta

ICAI-ICWAI-ICSI COORDINATION COMMITTEE

Shri B.P. Rao, Leader		Bangalore
Shri Y.M. Kale, Deputy Leader		Bombay
Shri Sunil Gulati		New Delhi
Shri N.P. Sarda		Bombay
Shri N.C. Sundararajan		Madras

EDITORIAL BOARD

Shri B.P. Rao, Editor-in-Chief		Bangalore
Shri Y.M. Kale, Joint Editor		Bombay
Shri Dipankar Chatterji		Calcutta
Shri M M. Chitale		Bombay
Shri G B. Doshi		Bombay
Shri Y.P. Soli		New Delhi
Shri S.C. Vasudeva		New Delhi
Shr S.K. Bansal	Co-opted	New Delhi
Shri J.E. Dastur	Co-opted	Bombay
Shri T. Naganathan	Co-opted	Madras

GENERAL PURPOSES COMMITTEE

Shri B P. Rao, Chairman		Bangalore
Shri R.K. Agrawal		Calcutta
Shri M.M. Chitale		Bombay
Shri N.K. Gupta		Kanpur

COMMITTEE ON CAPITAL MARKET / INVESTORS PROTECTION

Shri S S R. Koteswara Rao, Chairman		Hyderabad
Shri A K. Gupta, Vice-Chairman		New Delhi
Shri B P. Rao, President (Ex-officio)		Bangalore
Shri Y.M. Kale, Vice-President (Ex-officio)		Bombay
Shri G.B. Doshi		Bombay
Shri N.C. Sundararajan		Madras
Shri Mohandas Pai	Co-opted	Bangalore
Shri D.A. Gadgil	Co-opted	Bombay
Shri Anantharama	Co-opted	Ernakulam

NATIONAL ACADEMY COMMITTEE

Shri B P. Rao, President		Bangalore
Shri Y.M. Kale, Vice-President		Bombay
Shri Laxminiwas Sharma		Hyderabad
Shri K.S. Mehta		New Delhi
Shri S.C. Vasudeva		New Delhi
Shri G.B. Doshi		Bombay
Shri A.K. Chakraborty		Calcutta
Shri Sunil Gulati		New Delhi
Dr. Dharmendra Bhandari (Upto 20-5-1994)		Jaipur
Shri N K. Gupta (w.e.f. 14-7-1994)		Kanpur

APPENDIX III

(Ref. Para 2 of the Report)

RESEARCH AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Given below is a resume of activities of various Non-Stanting Committees of the Council :—

1. ACCOUNTING STANDARDS BOARD

1. During the period under report, the Board finalised the following Accounting Standards :

(a) Accounting Standard 14, Accounting for Amalgamations.

(b) Accounting Standard 15, Accounting for Retirement Benefits in the Financial Statements of Employers.

(c) Revised Accounting Standard 4, Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet Date.

(d) Revised Accounting Standard 11, Accounting for the Effects of changes in Foreign Exchange Rates.

The above Standards are being given the final shape and will be issued shortly.

2. The Board recommended to the Council certain changes in existing Accounting Standard (AS) 6, Depreciation Accounting. The recommendations of the Board have been accepted. Appropriate changes in AS 6 have accordingly been made and published in the Institute's Journal.

3. The Board has taken up the work of formulating new Accounting Standards on the following subjects :

(a) Accounting for Financing Costs.

(b) Accounting for Current Assets and Current Liabilities.

(c) Financial Instruments.

(d) Accounting and Disclosure by Banks and Financial Institutions.

(e) Cash Flow Statements.

A Framework for the Preparation and Presentation of Financial statements is also being prepared by the Board.

4. The Board is reviewing the existing Accounting Standard 5, Prior Period and Extraordinary Items and Changes in Accounting Policies.

5. It has been decided to make the Board further broad-based by inviting representatives of the following :

(a) Controller General of Accounts;

(b) Central Board of Direct Taxes; and

(c) Central Board of Excise and Customs.

2. AUDITING PRACTICES COMMITTEE

1. During 1993, the Reserve Bank of India had revised the formats of long form audit reports in case of banks on the basis of the suggestions made by the Committee in this behalf. The Committee has accordingly revised its Guidance Note on the subject. The revised Guidance Note is being processed for publication.

2. In the context of significant developments in the area of bank audit, the Committee decided that a series of seminars be held throughout the country on this subject. Accordingly, a detailed background material was prepared to serve as the basis for discussion at the seminars. The actual conduct of the seminars was done by the Continuing Professional Education Committee.

3. The Committee has finalised the revised edition of publication dealing with *Audit of Banks*. Keeping in view the importance of banking sector in the economy and the need to ensure effective audit of banks, the revised edition of the publication is being issued as a Guidance Note rather than as a Study. The revised edition seeks to incorporate up-to-date information on various areas.

4. A Guideance Note on Audit of Investments has also been finalised.

5. Guidance Notes on the following subjects are at various stages of formulation :

(a) Audit of Cash and Bank Balance;

(b) Audit of Miscellaneous Expenditure;

(c) Audit of Revenue;

(d) Audit of Expenses;

(e) Audit of Capital and Reserves; and

(f) Audit of Liabilities.

6. Proposed Statements on Standard Auditing Practices (SAPs) on the following subjects are at various stages of formulation :

(a) Using the Work of An Other Auditor.

(b) Responsibility of Joint Auditors.

(c) Audit Materiality.

(d) Representations by Management.

(e) Audit Risk.

(f) Audit Sampling.

(g) Date of the Auditor's Report; Events After the Balance Sheet Date; Discovery of Facts after the Financial Statements have been issued.

(h) Audit of Accounting Estimates.

(i) Going Concern.

7. The Committee is also engaged in preparing a Study on Auditing in an EDP Environment.

3. RESEARCH COMMITTEE

Following publications were released for sale :

(a) *Project Appraisal—Requirements of Indian Financial Institutions* (Revision of the existing publication) Project Evaluation in the Context of the Requirements of Indian Financial Institutions).

(b) Compendium of Statements and Standards on Accounting (3rd Edition).

(c) Compendium of Statements and Standards on Auditing (3rd Edition).

(d) Compendium of Guidance Notes—Volume I (4th Edition).

(e) Compendium of Guidance Notes—Volume II (3rd Edition).

(f) Revised Guidance Note on Treatment of Expenditure during Construction Period.

(g) Technical Guide to Audit of Educational Institutions (Revised Edition).

(h) Revised Statement on Treatment of Retirement Gratuity in Accounts.

(i) Guidelines on Internal Audit—Cement Industry.

A Guidance Note on Some Important Issues arising from amendments to Schedule XIV to the Companies Act, 1956 has also been published in the Institute's journal.

Following publications are expected to be released shortly :

(a) Study on Share Valuation.

(b) Management Control System in Non-profit Organisations with special reference to Hospitals (under Research Fellowship Scheme which was granted to commemorate 40th Anniversary of India's Independence).

(c) Guidelines on Internal Audit—Tyre Industry.

Apart from the above, various projects nearing completion are :—

(a) Revision of the publication on "Trends in Published Accounts".

(b) Accounting for Chit Funds.

(c) Accountant's Guide to Foreign Exchange Regulation Act.

(d) Accountant's Guide to Law of Central Excise (Revised Edition).

(e) Transfer Pricing.

Various Projects under consideration of the Committee.

(a) Internal Control in Banks.

(b) Accounting and Auditing Technical Guides on :

(i) Automobile Industry; and

(ii) Fertiliser Industry.

(c) Guidelines on Internal Audit—Sugar Industry.

(d) Accounting for Forestries.

(e) Gidelines on Internal Audit in Organizations carrving on Foodgrains Trading Activities.

(f) Accounting in Film Industry.

(g) Inspection Audit in Banks.

Projects in Progress :

(a) Accounting and Auditing Technical Guide—Hotel Industry.

(b) Accountant's Guide to Law of Customs Duty.

(c) Accounting and Auditing Technical Guide : Drugs & Pharmaceuticals Industry.

(d) Research Project on the Accountability of Public Expenditure in Government departments and similar Non-profit Institutions

(e) Study on Amalgamations and Mergers.

(f) Accounting and Audit of Provident Fund.

(g) Fundamental & Technical Analysis.

(h) Introduction of Commercial Accounting in Municipal Corporations.

(i) Interim Financial Reporting : "A comparative Study of India and France" under the P. G. Bhagwat Research Fellowship Scheme.

(j) Demergers & Divisions.

(k) Study on Reporting Segment-wise Information

(l) Computer Based Budgeting System.

(m) Accounting for Breeder Seed Production.

(n) Technical Guide on Accounting and Auditing of Entities carrying on Acquaculture/Pisciculture/Marine Culture.

(o) Guidance Note on Accounting for Factored Debts.

New Projects recently taken up :

(a) Accounting for off-Balance Sheet Items;

(b) Financial Strategies : Working Capital Management;

(c) Financial Strategies : Long Term Funds Management;

(d) Winding up of Companies;

(e) Accounting and Auditing for Non-Government Development Organisations;

(f) Technical Guide to Accounting and Auditing in Aluminium Industry;

(g) Technical Guide to Accounting & Auditing in Civil Aviation Industry;

(h) Study on Audit of Entities carrying on Newspapers Publishing Activity.

Existing Publications under Revision :

(i) Technical Guide for Audit of Co-Operative Socities; (ii) Guidance Note on Audit of Accounts of Members of Stock Exchanges.

New Thrust areas for Research in the Year 1994-95 :

Following new thrust areas have been identified for the research during the current year :—

(1) Management/Operations Audit;

(2) Accounting and Auditing for Infrastructure Industry;

(3) Financial Services Area.

A number of research projects relating to the above areas have been identified and expected to be taken up during the course of the current year.

SHIELD PANEL

As in the past, Prizes will be awarded at the annual meeting, to the winners of competition for the best presented accounts in the categories of (i) Public/Joint Sector Companies and Non-Financial Statutory Corporations; (ii) Non-Financial Private Sector Companies; (iii) Banks and Financial Institutions; and (iv) Other entities for the year 1992-93.

4. PROFESSIONAL DEVELOPMENT COMMITTEE

1. As in the past, the committee invited applications from members/firms for empanelment of statutory branch auditors of 28 public sector banks and statutory central auditors and branch auditors of regional rural banks for the year 1993-94. After processing the applications, a panel was prepared and submitted to the authorities to facilitate appointment of auditors by various banks. The Committee has also invited applications for empanelment for the year 1994-95.

2. The Committee has been constantly making efforts for increase in the audit fees in the case of banks as also in the case of other institutions. As a result of these effotrs, the audit fees payable to statutory central and statutory branch auditors of public sector banks were raised during 1993-94.

3. The revised edition of the publication titled "Professional Opportunities for Members : An Appraisal" was released during the year.

4. The Committee has been vigorously pursuing the matter of introduction of sales-tax audit in various states. As a result of these efforts, the Governments of Pondicherry and Karnataka have introduced sales-tax audit in their respective states, besides Kerala which was the first state to introduce this concent. It is understood that the Governments of several other states are also considering the proposal.

5. The Committee set up a special group to formulate an action plan regarding creation of greater professional opportunities for members. The recommendations of the group will be examined by the committee and suitable follow-up action thereon will be taken.

5. COMMITTEE FOR MEMBERS IN INDUSTRY

1. As decided by the Committee, WIRC and SIRC organised a programme for members in industry in their respective regions in the year 1993-94. In the year 1994-95 also, the Committee decided that one programme for members in Industry would be organised by the Regional Council and five larger branches.

2. The Institute made its representations to the high-level Committee set up under the Chairmanship of Shri D R Mehta, Deputy Governor, RBI to look into the recruitment methods and practices in public sector banks so as to improve the prospects of employment of Chartered Accountants in public sector banks, as also remove certain hardships faced by members.

3. The Committee organised a residential programme on Corporate Financial Management at Kathmandu (Nepal) on 16—19 June.

6. CORPORATE LAWS COMMITTEE

1. The Committee organised the 25th All India Seminar on Fiscal and Corporate Laws in collaboration with the Fiscal Laws Committee at Bangalore on 2-4 December, 1993. A large number of delegates from various private and public sector organisations participated in the seminar.

2. A Guidance Note on Certification of Documents for Registration of Charges was brought out by the Committee.

3. A detailed memorandum was submitted to the Government regarding various provisions of the Companies Bill, 1993. The Department of Company Affairs has responded favourably to most of the suggestions made in the memo

randum. As the recodification exercise of the Companies Act is still under way, the Committee is constantly in touch with the authorities, and has responded to a number of technical issues on reference from the Department of Company Affairs.

4. The Committee also submitted its views/comments on various technical issues to other authorities, i.e., the Reserve Bank of India, SEBI, Malhotra Committee on Reforms in Insurance Sector, etc.

7. FISCAL LAWS COMMITTEE

1. Central Budget

The Institute submitted its Pre-Budget Memorandum-1994 to the Union Finance Minister, Minister of State for Finance, CBDT and other relevant authorities. The Post-Budget Memorandum containing comments and suggestions on Finance Bill, 1994 was also submitted to the aforesaid authorities. A number of meetings were held with CBDT and other Finance Ministry officials with reference to the Pre-Budget Memorandum and Post-Budget Memorandum.

2. All India Seminar on Fiscal and Corporate Laws

The Committee jointly with Corporate Laws Committee organised the 25th All India Seminar on Fiscal and Corporate Laws in Bangalore from 2nd December to 4th December, 1993. The theme of the seminar was "Fiscal and Corporate Laws in the liberalised Economic Scenario". The seminar was attended by around 2000 participants from all over the country.

3. Representations to Government

A number of meetings were held with the Chairman, CBDT on various administrative and procedural problems. The Committee also submitted a representation on Circular No. 681 issued by CBDT. It was represented that either the said circular should be withdrawn or suitably amended so as to exclude the professional services from the scope of section 194C.

4. Publications

The Committee finalised the third edition of "Guidance Note on Sections 80HHB and 80HHC of the Income-tax Act". The said publication has been released for sale. The Committee has also finalised the Monograph on Compulsory Maintenance of Accounts. The Study on "Taxation of Charitable and Religious Trusts and Institutions" is under revision.

8. CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION COMMITTEE

1 Mandatory Continuing Professional Education (CPE)

Since its inception in 1949, the Institute has always recognised the significance of continuing professional education for its members and pursued it as one of the avowed objectives so as to ensure that its members maintain the quality of service and knowledge expected of them. In this context the Council resolved that members in practice should be required in due course to compulsorily undergo 25 hours of CPE programmes in a block period of 5 years. To achieve aforesaid objectives, a separate directorate namely C P E Directorate comprising of adequate technical staff would be set up.

2. Chain Seminars

The Chain Seminars Scheme of the Institute involves identifying thrust areas of contemporary relevance every year and organising seminars thereon through co ordinated efforts of the Central Council, Regional Councils and Branches. For the year 1994 three series of seminars have been planned as follows :

(a) Chain Seminars on Bank Audit.

Banking is a dynamic activity which is constantly undergoing a change. In recent years, there has been a remarkable change in the volume and spread of transactions of banks. Apart from this, the non-traditional functions of banks, e.g., foreign exchange activities, merchant banking, portfolio management, investment, etc., have acquired a considerable importance during this period. Considering these developments it was decided to conduct a series of seminars on bank audit with the objective of familiarising the auditors of banks with the latest developments so that they may continue to perform effective audits in a changing environment.

A uniform background material was compiled so as to provide basis for discussion at the seminars on bank audit. The seminars were conducted throughout the country during the period March to June 1994.

(b) Chain Seminars on Taxation.

Keeping in view the continued importance of taxation in the professional work of members, it was decided to hold a series of chain seminars on taxation during the period August to October, 1994. A uniform background material for distribution to the participants at the seminars is being prepared by a study group constituted by the Continuing Professional Education Committee.

(c) Chain Seminars on Corporate Finance and International Lending Institutions.

Recognising the increasing role of Chartered Accountants in formulating the finance strategies of corporate bodies in the context of economic liberalisation, it was felt that a series of chain seminars should be conducted on Corporate Finance and International Lending Institutions. A uniform background material for the seminars is under preparation by a study group constituted by the Continuing Professional Education Committee.

3. Computer Courses

The Courses organised by Computer Training Centres at Delhi, Bombay, Calcutta, Madras and Kanpur have been specifically designed to cater to the needs of the members and students of the Institute. The courses are planned to form two stages. The first stage is the Orientation Course designed to provide practical orientation and use of computers for different accounting applications; the second stage consists of Computer Application Modules, which are advanced courses capsuled into various modules.

In addition to these courses for members and students, the Centres also conduct a limited number of programme for officers and managers in government and public sector undertakings.

A programme on Financial Management and Management Accounting sponsored by the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Government of India, was conducted during the year.

4. Other Programmes

The following other programmes were held during the year :—

(i) Joint ICAI-ICWAI programme on Aspects of Management Accounting was held at Madras in December, 1993.

(ii) Joint ICAI-ICSI programme on Corporate Finance and Law was held at Indore in February, 1994.

5. Post-Qualification Courses

Examinations were held in May, 1993 for all the three Post-Qualification Courses, viz., Management Accountancy Course Corporate Management Course and Tax Management Course and in November, 1993 for Management Accountancy Course.

The slyvabi of post-qualification courses are being revised so as to make the courses effective and practical oriented. With the growing importance of financial services, more emphasis has been laid on financial services in the proposed syllabus of Post-Qualification Course in Management Accountancy (Proposed to be renamed as Post-Qualification Course in Management Accounting and Financial Services).

6. Merit Scholarships

Under the Incentive Scheme of the Post-Qualification Courses, during the year 1993-94, the Committee awarded

4 merit schoalrships for Management Accountancy Course 4 merit scholarships for Tax Management Course and 2 merit scholarships for Corporate Management Course.

7. Management and Economic Digest

The Institute publised four issues of the quarterly Management and Economic Digest during the year 1993-94 which contains abstracts of important articles on contemporary issues in the disciplines of Management and Economics.

8. EXPERT ADVISORY COMMITTEE.

During the year, the Committee considered and disposed of a large number of queries. The Compendium of Opinions Volume XII was released for sale. The Compendium of Opinions, Volume XIII, containing the opinions of the Committee issued between the period January, 1993 and January, 1994 has been processed and is likely to published shortly. Revision of the previous volumes of the Compendium of Opinions is in progress.

9. COMMITTEE ON ETHICAL STANDARDS AND UNJUSTIFIED REMOVAL OF AUDITORS.

During the year, the Committee examined and disposed of a large number of queries relating to professional conduct of the members and allegations concerning unjustified removal of auditors. The scope and functions of the Committee having been extended by the Council to include the cases of unjustified removal of auditors by the government, a few such cases were also examined by the Committee and reports were submit ed to the Council

The Council on recommendation of the Committee approved that the members may be permitted to have their names published in the directories being brought out by non-government agencies subject to restrictions/safeguards which were published in November, 1993 issue of the Institute's Journal. Under the ausnices of the Committee, a series of seminars on the subject of Code of Conduct and Professional Ethics were held at Madras, Bangalore, Hubli, Belgaum and Ahmedabad The Committee considered various issue relating to professional ethics arising out of the recommendations of the perspective Planning Group. The Committee is engaged in up-dation of the "Code of Conduct" and "Professional Ethics" published by the Institute.

10 UNIVERSITY AND HIGHER SECONDARY BOARDS LIAISON COMMITTEE.

1. Joint Seminars with Universities

In its efforts of strengthening coordination of the Institute with various Universities and Higher Secondary Boards in the country, the Committee organised a seminar jointly with the University of Kalyani, Kalyani (West Bengal) on 30th April, 1994.

2. Award of ICAI Prize/Gold Medal by Universities

The Institute has created endowments in 25 universities for awarding ICAI Gold Medal/Prize to the students securing the highest marks in Accountancy at B.Com examination A list of universities having endowment from the Institute is given below :

S. No	Name of the University	Nature of Prize
1	2	3
1.	Allahabad University	Prize
2.	Banaras Hindu University	Prize
3.	Bangalore University	Gold Medal
4.	Bombay University	Gold Medal
5.	Calcutta University	Prize
6.	Calicut University	Prize
7	Delhi University	Prize
8.	Gujarat University Ahemdabad	Prize
9.	Guru Nanak Dev University Amritsar	Prize
10.	Jammu University	Prize
11.	Jodhpur University	Prize
12.	Kurukshetra University	Prize
13.	Lucknow University	Prize
14.	Madras University	Gold Medal
15.	Maharshi Dayanand University Rohtak	Prize
16.	Marathwada University Aurangabad	Prize
17.	Mohanlal Sukhadia University Udaipur	Prize
18.	Nagarjuna University Guntur	Gold Medal
19.	North Bengal University Raja Rammohan pur, (Darjeeling)	Prize
20.	Osmania University, Hyderabad	Gold Medal
21.	Poona University	Prize
22.	Punjab University, Chandigarh	Prize
23	Ravishankar University Raipur	Prize
24.	Shivaji Universty, Kolhapur	Prize
25	Vikram University Ujjain	Prize

Recognition of CA Course

The Institute has been in touch with the universities to get the chartered accountancy course recognised for Ph.D. progarramme. At present 39 universities besides the Association of Indian Universities and Indian Institute of Management (Ahmedabad and Calcutta) recognise the C.A. Course as equivalent to M.Com for registration for Ph.D. A list of universities which have recognised the C.A. Course for the purpose is given hereunder :—

I. Association

1. Association of Indian Universities, New Delhi.

II. Institutes

1. Indian Institute of Management, Ahmedabad.
2. Indian Institute of Managament, Calcutta.

III. Universities

1. Agra University, Agra
2. Alagappa University, Alagappa Nagar, Karaikudi
3. Aligarh Muslim University, Aligarh
4. Banaras Hindu University, Varanasi
5. Bangalore University, Bangalore
6. Bharathidasan University, Tiruchirappali
7. Bombay University, Bombay
8. Calicut University, Calicut
9. Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore
10. Gandhiji University, Kottayam
11. Gujarat University, Ahmedabad
12. Himachal Pradesh University, Simla
13. Jiwaji University, Gwalior
14. Kanpur University, Kanpur
15. Kashmir University, Srinagar
16. Kerala University, Trivandrum
17. Kurukshetra University, Kurukshetra
18. Lucknow University, Lucknow
19. M. S. University of Baroda, Baroda
20. Maharshi Dayanand University, Rohtak
21. Mangalore University, Mangalore
22. Marathwada University, Aurangabad
23 Meerut University, Meerut
24. Mohanlal Sukhadia University, Udaipur
25. Mysore University, Mysore
26. North Bengal University, Raja Rammohanpur (Darjeeling)
27. Osmania University, Hyderabad
28 Pondicherry University, Pondicherry
29. Poona University, Pune
30. Punjab University, Chandigarh
31. Punjabi University, Patiala
32. Ranchi University, Ranchi
33. Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar
34. Saurashtra University, Rajkot
35. Shivaji University, Kolhapur
36. Sri Venkateshwara University, Tirupati
37. Vikram University, Ujjain

38. Kashi Vidyapith, Varanasi

39. Karnatak University, Dharwad.

4. Popularisation of C.A. Course

The Committee continued to arrange talks in various colleges/schools on "Career as a Chartered Accountant" for the popularisation of C.A. Course and made use of the pamphlet "We Care For You If You Are Career Conscious".

APPENDIX IV

(Ref. Para 3 of the Report)

INTERNATIONAL RELATIONS

1. International Federation of Accountants (IFAC)

Since 1977, India has been a member of the International Federation of Accountants. During this period, the Institute has had the distinction of serving on the Council of IFAC and some of its Committees.

SHRI K. M. AGARWAL past President of the Institute is the representative of the Institute on the Council of IFAC. Shri N. C. Sundararajan, past President of the Institute and currently a member of the Council is the nominee of the Institute on the International Auditing Practices Committee.

2. Board of International Accounting Standards Committee

India was invited to join the Board of International Accounting Standards Committee for the first time since its inception in 1973. Shri N. P. Sarda, President of the Institute continued as the nominee of the Institute on the Board of International Accounting Standards Committee.

3. Confederation of Asian and Pacific Accountatns (CAPA).

The Institute is also a member of the Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) since its inception in 1976. The XIIIth Confederation of Asian and Pacific Accountatns Conference on "Opportunities in Globalized Economy" was held from 26-29, September, 1993 at Vancouver, British Columbia, Canada. Shri N.P. Sarda, President, Shri B.P. Rao Vice-President and Dr. Kamal Gupta Technical Director, represented the Institute. A meeting of the delegates of the CAPA Assembly was also held on September, 28 1993. In this meeting, the new Executive Committee of the CAPA was elected. India (I.C.W.A.I.) was elected as one of the members of the Executive Committee.

4. South Asian Federation of Accountants (SAFA).

The Instiute is one of the founder members of SAFA which was established in 1984. The 21st SAFA assembly meeting and a two-day seminars were held on 20-22, October, 1993 at Chittagong, Bangladesh. The SAFA Seminar on 'Poverty Alleviation' in SAARC Countries' was jointly hosted by the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh and the Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh. Shri N. P. Sarda, President, Shri B. P. Rao, Vice-President, Dr. Kamal Gupta, Technical Director, Shri K. M. Agarwal, Past President & Adviser SAFA and Shri L. N. Sharma, Council Member attended the same.

The 22nd SAFA Assembly Meeting and the 9th SAFA Conference was held from 10th-11th January, 1994 at Hotel Pearl Continental, Karachi, Pakistan. The SAFA Conference on "Accountatnts' Role in the Economic Development of SAARC Countries" was jointly hosted by the Institute of Chartered Acountants of Pakistan and the Institute of Cost and Management Accountatn's of Pakistan. However, due to unavoidable circumstances, no delegation of our Institute could attend the Assembly and the Conference. In this meeting the following were elected as office bearers of SAFA for the year 1994

1. Mr. Ebrahim Sidat of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan as President of SAFA.

2. Mr. Zahir Uddin Ahmed of Bangladesh as Vice-President.

3. Mr. N. A. L. Cabraal of Sri Lanka as Advisor SAFA.

4. Shri Javid Hanif Zuberi of Pakistan as Executive Secretary.

The permanent secretariat of SAFA continues to be located at the Institute's premises at New Delhi

APPENDIX V

(Ref. Para 5.2 of the Report)

List of Deceased Members (1993-94)

S. No	M. No.	Name	Date
1.	143	N.N. Das	28-9-93
2.	223	R. Venkataraman	6-3-94
3.	322	H.P. Italia	10-6-93
4.	422	V.H. Jamshedji	11-8-93
5.	745	D.G. Joshi	7-6-92
6.	831	Y.T. Korke	15-12-92
7.	885	J.L. Bhatia	9-11-93
8.	954	H. Bhattacharjee	18-1-94
9.	979	Swaraj Chandiok	25-10-93
10.	1200	P.R. Mehta	4-2-94
11.	1302	R. Sankaran	19-12-93
12	1704	P.A. Nair	19-11-93
13.	1778	M.I. Bhatt	17-1-94
14.	1785	K.S.V. Raman	21-12-93
15.	2032	A.K. Mittal	29-11-93
16.	2144	A. Venkateswaran	20-8-93
17.	2151	A.K. Nandy	15-1-94
18.	2184	B.C. Dastur	20-4-93
19.	2212	R. Lahiri	10-11-93
20	2313	L.S. Krishna Moorthy	10-6-93
21.	2323	R. Gupta	6-10-92
22.	2328	Ramanath Das	14-7-92
23.	2533	Mohd. H. Mirza	8-1-94
24.	2813	Lal Chand Bhadani	4-1-92
25.	3210	N.D. Chokshi	8-8-93
26.	3365	K.K. Chatterjee	9-5-93
27.	3425	B. Vishwanathan	17-5-93
28.	3449	Debi Prosad Deb	23-12-92
29.	3501	V. Nageshwara Rao	23-12-93
30.	3615	Madhav G. Bhagwat	31-10-92
31.	3821	P.T. Shroff	2-10-92
32	3843	A.V. Subramanian	29-7-93
33.	4105	S.S. Sen	23-2-94
34.	4634	B.P. Kansal	28-4-93
35.	4879	C. Sunderraja Rao	12-4-92
36.	5301	V.D. Borkar	2-8-93
37.	5341	G.V. Prabhu	18-10-92
38.	5613	T.R. Jain	8-12-92
39.	6150	D. Bhimeswara Rao	25-12-92
40	6190	T.V. Subramanian	6-4-93
41.	6211	R. Somasundram	16-3-93
42.	6333	S.B. Gajare	20-3-93
43.	6339	B.G. Desai	12-4-93
44.	6633	M.S. Sastry	25-3-93
45.	6696	Ajit Kumar Mitra	28-4-93
46.	7224	S.K. Set	8-3-94

1	2	3	4
47.	7315	S.F. Shamsud	19-10-92
48.	7321	R.R. Jambhekar	5-4-93
49.	7352	S. Krishna Moorthy	6-3-94
50.	7735	J.P. Shreevastava	18-4-93
51.	7985	T.R. Srinivasa	19-5-93
52.	8082	Ch. Jaganathan	8-8-93
53.	8130	S. Ganesan	18-11-91
54.	8146	N.M. Gadre	6-6-93
55.	8234	S.K. Dutta	14-9-93
56.	8393	S. Sanyal	19-9-87
57.	8543	B.N. Thirupalayya	20-11-93
58.	9206	G.D. Bhoot	5-6-93
59.	9211	J.K. Gupta	12-2-93
60.	9707	Y. V. Damle	2-11-93
61.	9723	K. M. Kothari	21-1-93
62.	9820	P. Krishnaswamy	4-5-93
63.	10648	T.S. Vidyanathan	10-10-93
64.	12313	S. S. Choudhary	12-5-93
65.	12623	D.N. Khadria	26-2-94
66.	13365	S. Ghosh	22-12-93
67.	13499	S. K. Jain	7-9-92
68.	13582	R. V. Vimadalal	18-2-93
69.	16130	M.B Gandhi	27-10-93
70.	16768	Mathew Thomas	26-6-93
71.	17884	S. K. Billimoria	29-8-93
72.	19370	P. Munikrishna Rao	8-5-93
73.	20783	M. B. G. Raju	22-2-93
74.	22563	N Ravi Prakash	2-10-93
75.	22785	A. M. Ramaswamy	25-1-94
76.	28164	G. S. Raghavendra Maiya	5-1-93
77.	30218	N. V. Gajanan	18-11-92
78.	30220	D.B. Dave	3-12-92
79.	30679	K G Bhandari	7-8-93
80.	31700	K. J. Radadiya	10-7-93
81.	33077	Z.M. Poonawala	3-4-93
82.	36437	M. Swaminathan	7-5-93
83.	36937	R.P. Chhabra	28-7-93
84.	38975	B. K. Shah	11-11-92
85.	50103	V.K. Chhawchharia	13-4-93
86.	50937	P. J. Basu	7-1-94
87.	51168	M.P. Panda	20-2-94
88.	51356	H. R. Gupta	18-6-93
89.	53985	B. K. Sircar	31-12-93
90.	71133	R. G. Ajmera	27-11-92
91.	81228	N. S. Krishnasway Rao	1-5-93
92.	81259	R. A. Hajela	1-2-93
93.	82585	Rattan Kumar	5-12-92
94.	87662	Rajesh Goyal	30-4-93
95.	89864	Rajesh Kumar	25-1-94
96.	90543	A.S. Sahni	15-12-92
97.	90702	Rajinder Kumar	15-12-93
98.	200327	S. Krishna Moorthy	16-5-93
99.	200463	R. V. Ramana Raju	31-10-93
100.	200590	T. Swaminathan	16-8-93

APPENDIX VI

(Ref Para 6.2 of the Report)

Region-wise Number of Students Regist Foundation Course during the 1993-94.

Western India Region	8003
Southern India Region	4713
Eastern India Region	6574
Central India Region	5378
Northern India Region	5582
Total	30250

APPENDIX VII

(Ref. Para 6.5 of the Report)

Number of Students on rolls for Intermediate & Final Courses

	Inter	Final	Total
No. of candidates who were en rolled as on 1-4-1993	79334	20101	99435
Enrolled during the year 1993-94	19335	5865	25200
	98669	25966	124635
No. of students who have passed Intermediate/Final Examination in the year (May 1993 & Nov. 1993)	(-) 12038	7015	19053
Total number of students on roll as on 31-3-1994	86631	18951	105582

APPENDIX VIII

(Ref. Para 7.2 of the Report)

Statistics of students appeared, passed in the examination of the Institute held in 1993.

INTERMEDIATE AND FINAL EXAMINATIONS-1993

	Intermediate		Final	
	May	November	May	November
1	2	3	4	5
GROUP I				
No of candidates appeared	16321	18796	7796	8439
No. of candidates declared successful	5586	1672	1345	1284
GROUP II				
No. of candidates appeared	20081	23672	8261	7496
No. of candidates declared successful	2190	3978	3217	1882

1	2	3	4	5
BOTH GROUPS:				
No. of candidates appeared . .	7015	8602	3391	3493
No. of candidates declared successful	744	680	494	270

FOUNDATION EXAMINATION—1993

Month and Year of examination	No. of candidates appeared	No of candidates Passed
June 1993 . . .	11687	3187
December 1993 . .	7226	959

APPENDIX IX

(Ref. Para 7.3 of the Report)

The Names of Prize Winners in the Institute's Examinations held in May and November, 1993.

Final Examination : May, 1993

The fololwing candidates were awarded certificates of merit :—

Rank	Roll No.	Name
I	11760	Miss Divekar Vaishali Anil Total 547 Marks out of 800)
II	5446	Sunil Modi (Total 546 Marks out of 800)
III	4416	Sharma Rajesh Kumar Mangturam (Total 545 Marks out of 800)

1. The G. P. Kapadia First President Gold Medal to the best candidate will be awarded to MISS DIVEKAR VAISHALI ANIL, Roll No. 11760.

2. The J. S LODHA Gold Medal to the best candidate will be awarded to MISS DIVEKAR VAISHALI ANIL, Roll No. 11760.

3. The RAMACHANDRA SINGHI Prize for the best candidate will be awarded to MISS DIVEKAR VAISHALI ANIL, Roll No. 11760.

4. The JAYANTILAL K. THAKKAR Memorial Prize for the second best candidate will be awarded to SUNIL MODI, Roll No. 5446.

5. The R. SIVABHOGAM Prize for the best lady candidate will be awarded to MISS DIVEKAR VAISHALI ANIL, Roll No. 11760 (Total 547 marks out of 800).

6. The Kerala Verma Prize for the best candidate in Group I will be awarded to SHARMA RAJESHKUMAR MANGTURAM, Roll No. 4416 (280 marks out of 400).

7. The P. N Ghosh Memorial Prize for the best candidate in Group II will be awarded to SUNIL MODI, Roll No. 5446 (297 marks out of 400).

8. The Sir Shapoorji Billimoria Prize for the best paper on Accounting (Papers 1 & 2) will be awarded to J. Ramdas Roll No. 9990 (156 marks out of 200).

9. The K. C. Khanna Prize for the best paper on Advanced Accounting (Paper 1) will be awarded to SHIRISH KUMAR JAIN, Roll No. 13955 (72 marks out of 100).

10. The J. K. Doshi Prize for the best papers on Management Accounting will be awarded to J. Ramdas, Roll No. 9990 (93 marks out of 100).

11. The A. F. Ferguson Prize and the R. Venkatesan Memorial Prize for the best paper on Auditing will be awarded to SHARMA RAJESHKUMAR MANGTURAM, Roll No. 4416 (77 marks out of 100).

12. The Sukh Nandan Gupta Kapoori Devi Prize to the lady candidate who secured the highest marks in the paper on Auditing will be awarded to MISS MEENAKSHI SUBRAMANIAN, Roll No. 4264 (71 marks out of 100).

13. The U. C. Majumdar Prize and the S. M. Shah Prize for the best paper on Company Law will be awarded to GUPTA LAXMIKANT SANWARMAL, Roll No. 4259 jointly with NITIN GUPTA, Roll No. 6528 (73 marks out of 100).

14. The N. M. Shah Prize, Suri Memorial Prize and A. J. Shah-Amita Memorial Prize for the best paper on Direct Tax Laws will be awarded to DINESH VENKATASUBRAMANIAN, Roll No. 4352 (83 marks out of 100).

15. The Manish Gupta Memorial Prize for the best paper on Operations Research and Statistical Analysis will be awarded to NITIN GUPTA, Roll No. 6528, (82 marks out of 100).

16. The T. R. Chadha Prize for the best paper on Systems Analysis and Data Processing will be awarded to GUPTA LAXMIKANT SANWARMAL, Roll No. 4259 (86 marks out of 100).

17. The R. V. K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Accounting will be awarded to DINESH GOEL, Roll No. 6320 jointly with S. BALAKRISHNA KAMATH, Roll No. 9670 (96 marks out of 100).

NOTE : No candiate has qualified for the award of the Venkatachalam Mohan Prize for the best paper of Managerial Economics and National Accounting of the Final Examination.

INTERMEDIATE EXAMINATION—MAY 1993

The following candidates were awarded Certificates of Merit :

Rank	Roll No.	Name
I	27467	Girish P. Vanvari (504 marks out of 700).
II	28712	Renu Sohanraj Dhanesha (501 out of 700).
III	1576	Bhuvresh Khanna (491 marks out of 700).

1. The G. P. Kapadia First President Prize to the best candidate will be awarded to Gidish P. Vanvari. Roll No. 27467.

2. The J. S. Lodha Gold Medal to the Best candidate will be awarded to Girish P. Vanvari, Roll No. 27467.

3. Prof. T. S. Grewal Award for the best paper on Accounting will be awarded to Miss Meenakshi Sathy, Roll No. 25682 (94 marks out of 100).

4. The U. K. Bhargava Prize for the best paper on Elements of Income Tax will be awarded to K. C. Gopal, Roll No. 9402 (45 marks out of 50).

5. The Dinesh Himatlal Shah Prize and the K. C. Khanna Prize for the best paper on Auditing will be awarded to Miss Arti Arora, Roll No. 20330 (74 marks out of 100).

6. The Suresh C. Mathur Prize for the best paper on Mercantile Law, Company Law and Industrial Law will be awarded to Hanuman Prasad Ramuka, Roll No. 1497 (70 marks out of 100).

7. The Shailesh Kapadia Award for the second best candidate will be awarded to Miss Renu Sohanraj Dhanesha, Roll No. 28712 (501 marks out of 700).

FOUNDATION EAMINATION—JUNE 1993

The folowing candiates were awarded Certificates of Merit:

Rank	Roll No.	Name
I	1523	Praveen Bhandari (322 marks out of 400) and
I	5417	Vikas Kumar Agarwala (322 marks out of 400)
II	1804	Khasgiwala Shrenik Mahendra (321 marks out of 400)
III	2264	Umesh Kumar Agrawal (314 marks out of 400)

1. Shri Sultan Chand Memorial Prize for the best candidate will be awrded to Praveen Bhandari, Roll No. 1523 jointly with Vikas Kumar Agarwala, Roll No. 5417.

2. S. R. Batliboi Prize for the best candiate will be awarded to Praveen Bhandari, Roll No. 1523 jointly with Vikas Kumar Agarwalla, Roll No. 5417.

3. Shri Sultan Chand Memorial Prize for the second best candidate will be awarded to Khasgiwala Shrenik Marendra, Roll No. 1804.

4. Chandulal Kapuri Devi Charitable Trust Prize for the third best candidate will be awarded to Umesh Kumar Agarwal, Roll No. 2264.

5. P. N. Shah Prize for best lady candidate will be awarded to Mr. Anita Subramanyam, Roll No. 160468 (309 marks out of 400).

6. K. V. Chandramouli Memorial Prize for the best paper on Mathematics (Paper 3 Section 'A') will be awarded to Chaugule Aditya Vijay, Roll No. 2533 jointly with Rahmathulla Haroon, Roll No. 3187, Samir Parekh A., Roll No. 4526, Rajesh Agarwal, Roll No. 6003, Neeraj Bhagat, Roll No. 7203, Veneet Kumar, Roll No. 7374, Vijay Kumar Agarwal, Roll No. 7567, Vinod Jaisingh, Roll No. 8512, Tarun Chopra, Roll No. 8700, Dalip Kumar Roll No. 8854, Bharat Kumar Jain, Roll No. 9916, Manpreet Singh, Roll No. 10543, Rakesh Chavan, Roll No. 10612, B. Karthik, Roll No. 11021, Agarwal Ajay K., Roll No. 11437, K. B. Sivakumar, Roll No. 11513, Pawan Kapur, Roll No. 11772, Shah Vikram Vinodchandra, Roll No. 12902 and Ms. Sweety Heda, Roll No., 13115 (50 marks out of 50).

7. Ganeshmal Patni Memorial Prize for the best paper on Statistics (Paper 3 Section 'B') will be awarded to Ms. Shital R. Shah, Roll No. 2182 jointly with Kokul Swaminathan, Roll No. 3542, Sumil Parekh A., Roll No. 4526 and Ms. Smita Dani, Roll No. 8901 (49 marks out of 50).

Final Examination : November, 1993

The following candidates were awarded certificates of merit :—

Rank	Roll No.	Name
I	10409	Sandeep Nayak K. (Total 547 marks out of 800)
II	3177	Parikh Jwalant S. (Total 518 marks out of 800).
III	3590	Miss Gharpure Medha Parashuram (Totall 507 marks out of 800).

1. The G. P. Kapadia First President Gold Medal for the best candidate will be awarded to Sandeep Nayak K., Roll No. 10409.

2. The J. S. Lodha Gold Medal for the best candidate will be awarded to Sandeep Nayak K. Roll No. 10409.

3. The Ramachandra Singhi Prize for the best candidate will be awarded to Sandeep Nayak K. Roll No. 10409.

4. The G. Basu Foundation Award for the best student of the year 1993 will be awarded to Miss Divekar Vaishali Anil, Roll No. 11760, May, 1993 examination jointly with Sandeep Nayak K., Roll No. 10409 November, 1993 examination (both securing 547 marks out of 800).

5. The R. Sivabhogam Prize for the best lady candidate will be awarded to Miss Gharpure Medha Parshuram, Roll No. 3590.

6. The S. Vishwanathan Memorial Prize for the best lady candidate of the year 1993 will be awarded to Miss Divekar Vaishali Anil, Roll No. 11760, May, 1993 examination (547 marks out of 800).

7. The Jayantilal K. Thakkar Memorial Prize for the candidate who secured the second highest marks will be awarded to Pareikh Jwalant S., Roll No. 3177.

8. The Shailesh Kapadia award for the best student among the second best students of the year 1993 will be awarded to Sunil Modi, Roll No. 5446, May, 1993 examination (516 marks out of 800).

9. The Kerala Verma Memorial Prize for the best candidate in Group I will be awarded to Sandeep Nayak K., Roll No. 10409 (286 marks out of 400).
pathiraman, Roll No. 13250.

10. The N. N. Das Prize for the best student of the year 1993 in Group I will be awarded to Sandeep Nayak K., Roll No. 10409, November, 1993 examination (286 marks out of 400).

11.1 The P. N. Ghosh Memorial Prize for the best candidate in Group II will be awarded to Miss Nipa Shrikant Vasa, Roll No. 3881 (293 marks out of 400).

12. The Balachander Memorial Prize for the best student of the year 1993 in Group II will be awarded to Sunil Modi, Roll No. 5446, May 1993 examination (297 marks out of 400).

13. The K. C. Khanna Prize for the best paper on Advanced Accounting (Paper I) will awarded to Sandeep Nayak K., Roll No. 10409. (79 marks out of 100).

14 The Sir Shapoorji Billimoria Prize for the best paper on Accountancy (Papers 1 & 2) will be awarded to Sandeep Nayak K., Roll No. 10409 (155 marks out of 200).

15. The J. K. Doshi Prize for the best paper on Management Accounting will be awarded to Shyam Sundar Rathi, Roll No 5799 (88 marks out of 100).

16. The A. F. Ferguson Prize and the R. Venkatesan Memorial Prize for the best paper on Auditing will be awarded to Pakikh Jwalant S., Roll No. 3177 (75 marks out of 100).

17. The Sukh Nandan Gupta Kapoori Devi Prize to the lady candidate who secured the highest marks in the paper on Auditing will be awarded to Miss Girija Srinivasan, Roll No. 6932 (67 marks out of 100).

18. The U. C. Majumdar Prize and the S. M. Shah Prize for the best paper on Company Law will be awarded to Jani Bimal A., Roll No. 4502 jointly with Kurien Paul, Roll No. 5142 (72 marks out of 100).

19. The N. M. Shah Prize, Suri Memorial Prize and A. J. Shah Amita Memorial Prize for the best paper on Direct Tax Laws will be awarded to Sandeep Nayak K., Roll No. 10409 (71 marks out of 100).

20. The Manish Gupta Memorial Prize for the best paper on Operations Research and Statistical Analysis will be awarded to Gosar Rajesh Bhavanji, Roll No. 3554, (87 marks out of 100).

21. The T. R. Chadha Prize for the best paper on Systems Analysis and Data Processing will be awarded to Sandeep Nayak K., Roll No. 10409 (78 marks out of 100).

22. The R. V. K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Accounting will be awarded to Miss Nipa Shrikant Vasa, Roll No. 3881 (78 marks out of 100).

NOTE : No candidate has qualified for the award of the Venkatachalam Mohan Prize for the best paper on Managerial Economics and National Accounting of the Final Examination.

INTERMEDIATE EXAMINATION — NOVEMBER 1993

The following candidates were awarded Certificates of Merit :

Rank	Roll No.	Name
I	28831	Shah Jignesh Ramesh (536 marks out of 700).
II	30376	Soni Pramod Gyanchand (525 marks out of 700).
III	13250	Sujatha Gnapathiraman (502 marks out of 700).

1. The G. P. Kapadia First President Prize for the best candidate will be awarded to Shah Jignesh Ramesh, Roll No. 28831.

2. The J. S. Lodha Gold Medal for the best candidate will be awarded to Shah Jignesh Ramesh, Roll No. 28831.

3. The Suri Memorial Prize for the best candidate of the year 1993 will be awarded to Shah Jignesh Ramesh Roll No. 28831, November, 1993 examination (536 marks out of 700).

4. The Sudershan Kumar Balsaria Memorial Prize for the best lady candidate will be awarded to Ms. Sujatha Ganapathiraman, Roll No. 13250.

5. Prof. T. S. Grewal, Award for the best paper on Accounting will be awarded to Sni Pramod Gyanchand, Roll No. 30376 (96 marks out of 100).

6. The U. K. Bhargava Prize for the best paper on Elements of Income Tax will be awarded to Tibrewala Sanjay Kumar Omprakash, Roll No. 31313 (44 marks out of 50).

7. The Dinesh Himatlal Shah Prize and the K. C. Khanna Prize for the best paper on Auditing will be awarded to Vikash Tulsian, Roll No. 17256 (89 marks out of 100).

8. The Suresh C. Mathur Prize for the best paper on Mercantile Law, Company Law and Industrial Law will be jointly awarded to Prakash Ruia, Roll No. 22304 and Saherwala Asif Fakhruddin, Roll No. 30087 (70 marks out of 100).

9. The Shailesh Kapadia award for the second best candidate will be awarded to Soni Pramod Gyanchand, Roll No. 30376 (526 marks out of 700).

FOUNDATION EXAMINATION— DECEMBER 1993

The following candidates were awarded certificates of Merit :

RANK, ROLL NO. and NAME

I 4540, Ms. Sumita Sarma (286 marks out of 400).

II 3370, Amit Kapoor (283 marks out of 400).

III. 4611, Ms. Bhavna Nanda (281 marks out of 400).

1. Shri Sultan Chand Memorial Prize for the best candidate will be awarded to Ms. Sumita Sarma, Roll No. 4540.

2. S. R. Batliboi Prize for the best candidate will be awarded to Ms. Sumita Sarma, Roll No. 4540.

3. Shri Sultan Chand Memorial Prize for the second best candidate will be awarded to Amit Kapoor, Roll No. 3370.

4. Chandulal Kapuri Devi Charitable Trust Prize for the third best candidate will be awarded to Ms. Bhavna Nanda, Roll No. 4611.

5. The Mahaveer Raj Bhandari Prize for the best student of the year 1993 will be awarded jointly to Praveen Bhandari, Roll No. 1523 and Vikas Kumar Agarwalla, Roll No. 5417 (both securing 322 marks out of 400)—June, 1993 examination.

6. P. N. Shah Prize for the best lady candidate will be awarded to Ms. Sumita Sarma, Roll No. 4540 (286 marks out of 400).

7. K. V. Chandramouli Memorial Prize for the best paper on Mathematics (Paper 3 Section 'A') will be awarded to Sanjay Agarwal, Roll No. 4241, (50 marks out of 50).

8. Ganeshmal Patni Memorial Prize for the best paper on Statistics (Paper 3 Section 'B') will be awarded to Pankaj Kumar Rathi, Roll No. 5671 (45 marks out of 50).

APPENDIX X

(Ref. Para 8.1 of the Report)

List of Branches of Regional Councils

W.I.R.C.

1. Ahmedabad
2. Anand
3. Aurangabad
4. Baroda
5. Goa
6. Jalgaon
7. Kolhapur
8. Nagpur
9. Nasik
10. Pune
11. Rajkot
12. Sangli
13. Sholapur
14. Surat

S.I.R.C.

1. Alleppey
2. Bangalore
3. Belgaum
4. Calicut
5. Coimbatore
6. Ernakulam
7. Erode
8. Guntur
9. Hubli
10. Hyderabad
11. Kottayam
12. Kumbakonam
13. Madurai
14. Mangalore
15. Mysore
16. Palghat
17. Pondicherry
18. Quilon
19. Salem
20. Tiruchirapalli
21. Tirunelveli
22. Tirupur
23. Trichur
24. Trivandrum
25. Tuticorin
26. Vellore
27. Visakhapatnam
28. Vijayawada

E.I.R.C.

1. Asansol
2. Bhubaneswar
3. Cuttack
4. Durgapur
5. Gauhati
6. Siliguri

C.I.R.C.

1. Agra
2. Ajmer
3. Allahabad
4. Alwar
5. Bareilly
6. Bhilwara
7. Bhopal
8. Dehradun
9. Dhanbad
10. Ghaziabad
11. Gwalior
12. Indore
13. Jaipur
14. Jamshedpur
15. Jodhpur
16. Kota
17. Lucknow
18. Meerut
19. Noida

20. Patna
21. Raipur
22 Ranchi
23. Udaipur
24. Varanasi

N.I.R.C.

1. Amritsar
2. Chandigarh
3. Faridabad
4. Hissar
5. Jalandhar
6. Jammu
7. Ludhiana
8. Shimla
9. Yamunanagar

AUDITORS' REPORT

We have audited the Balance Sheet of the Institute of Chartered Accountants of India, as at 31st March, 1994 and also the annexed Income & Expenditure Account for the year ended on that date incorporating the accounts of the Institute's Office, Regional Councils and their Branches audited by other auditors and report that :

1 We have obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

2. The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by the report are in agreement with the books of accounts;

3 In our opinion, the accounts are maintained in conformity with the requirements of the Chartered Accountants Act, 1949.

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statement together with the schedules attached and read with Accounting Policies and notes give a true and fair view :

(i) in the case of Balance Sheet, of the state of affairs as at March 31, 1994; and

(ii) in the case of the Income & Expenditure Accounts, of the Surplus for the year ended on that date.

New Delhi

Dated : 12th September, 1994.

Sd/-
C. P. MEHRA
Chartered Accountant

Sd/-
K.S.V.S. MANIAN
Chartered Accountant

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

Accounting Policies

Schedule—'A'

1. The admission fee from fellow members and 2/3rd portion of the entrance fee from associate members are capitalised An appropriate portion of the surplus arising out of students' activities is transferred to Education Fund and to the extent this fund is utilised on fixed assets in the preceding year, transferred to Capital Reserve.

2. Inventories of paper and publications are valued at lower of cost or net realisable value and study materials are valued at cost. For this purpose, cost is ascertained on the basis of direct cost method.

3. Investments are carried at cost.

4. Depreciation : Fixed assets are shown on historical cost basis and have been depreciated on written down value method. Library books have been depreciated on the straightline method. Depreciation on additions is charged for full year.

5. Accounts of Students' Associations and their branches are not incorporated, and grants and fees paid to them are treated as revenue expenses.

Notes forming part of the Accounts

Schedule—'B'

1. In respect of one Regional Council unaudited accounts have been incorporated in the consolidation pending completion of audit.

2 No provision for taxation has been made in anticipation of exemption under Section 10(23C) (iv) of the Income-Tax Act 1961. Such exemption have been granted up to the assessment year 1989-90 and application for subsequent years are pending with the authorities.

3. Reconciliations/Balance confirmation have not been obtained in respect of certain Advance/Creditors accounts.

4. Previous year figures have been regrouped wherever considered necessary and deductions are shown in brackets.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 1994

	Schedule	Rs	31-3-94 Rs	Rs.	31-3-93 Rs.
1	2	3	4	5	6
SOURCES OF FUNDS :					
Capital Reserves	C		62,028,897		56,165,693
Other Reserves	D		67,155,348		42,364,547
Earmarked Funds	E		30,655,696		10,354,446
TOTAL			159,839,941		108,884,686
APPLICATION OF FUNDS :					
Fixed Assets :					
Gross Block		75,179,234		69,139,932	
Less : Depreciation		(31,934 805)		(27,470,633)	

1	2	3	4	5	6
Net Block	F		43,244,429		41,669,299
Capital Work in Progress			23,055,533		17,593,329
Earmarked Investments	G		30,655,696		10,354,446
Other Investments :					
(a) Fixed Deposits with Banks		52,080,331		29,835,980	
(b) Bonds of Public Sector Undertakings		7,398,106		9,821,763	
(c) Units of U.T.I		300,160		300,160	
(d) Certificate of Deposits with Banks				7,500,000	
			59,778,597		47,457,903
Current Assets Loans & Advances	H	49,490,897		43 935,011	
Less: Current Liabilities & Provisions		(8,530,669)		(16,324,422)	
Net Current Assets		40 960,28		27,610,589	
Less : Fees/Income Received in Advance		(37,854,542)	3,105,686	(35,800,880)	(8,190,291
TOTAL			159,839,941		108,884,686

Schedule 'A' to 'J' form integral part of Accounts :
As per our Report of even date attached.

Sd/-
C.P. MEHRA
Chartered Accountant

Sd/-
K.S.V.S. MANIAN
Chartered Accountant

Sd/-
SANJAY KAPOOR
Assistant Secretary

Sd/-
A.K. MAJUMDAR
Secretary

Sd/-
Y.M. KALE
Vice-President

Sd/-
B.P. RAO
President

New Delhi :
Dated 12th Sept. 1994

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1994

	Schedule	1993-94 Rs.	1992-93 Rs.
I. INCOME	I		
(a) Members		53,431,250	49,821,391
(b) Students		95,344,383	77,528,188
TOTAL		148,775,633	127,349,579
II. EXPENDITURE	J		
(a) Members		37,092,504	47,201,850
(b) Students		64,616,708	57,846, 16
TOTAL		101,709,212	105,047,966
III. SURPLUS FOR THE YEAR			
(i) Transferred to Education Fund	E	(15,363,838)	(9,841,037)
(ii) Transferred to General Reserves	D	(31,702,583)	(12,460,576)
TOTAL		47,066,421	22,301,613
TOTAL		148,775,633	127,349,579

Schedule 'A' to 'J' form integral part of Accounts :
As per our Report of even date attached.

Sd/-
C P. MEHRA
Chartered Accountant

Sd/-
K S.V.S. MANIAN
Chartered Accountant

Sd/-
SANJAY KAPOOR
Assistant Secretary

Sd/-
A. K. MAJUMDAR
Secretary

Sd/-
Y.M KALE
Vice-President

Sd/-
B.P. RAO
President

Now Delhi :
Dated 12th Sept. 1994.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'C'—CAPITAL RESERVES

(Amount in Rupees)

Particulars			31-3-1994		31-3-1993
(A)	GENERAL:				
	Balance as per last account		37,663,514		32,808,963
	Add : Admission Fees & Allocated Entrance Fee	1,431,400		1,313,400	
	Add : Donations for Buildings	2,127,584		3,041,151	
	Add : Transferred from Earmarked Funds	948,356		—	
	Add : Transferred from Other Reserves	—		500,000	
			4,507,340		4,854,551
	Less: Adjustments	(1,650,000)	(1,650,000)	—	
	TOTAL (A)		40,520,854		37,663,514
(B)	EDUCATION :				
	Balance as per last account		18,502,179		13,374,552
	Add : Transferred from Education Fund	3,005,864	3,005,864	5,127,627	5,127,627
	TOTAL (B)		21,508,043		18,502,179
	GRAND TOTAL (A) + (B)		62,028,897		56,165,693

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'D'—OTHER RESERVES

Particulars			31-3-1994		31-3-1993
(A)	GENERAL RESERVE:				
	Balance as per last account		32,276,135		19,829,784
	Add: Surplus from Income and Expenditure Account	31,702,583	31,702,583	12,460,576	12,460,576
	Less/Add : Amount transferred to/from Other Reserve	(57,135)		67,968	
	Less : Amount transferred to Earmarked Funds	(20,600)	(77,735)	(82,193)	(14,225)
	TOTAL (A)		63,900,983		32,276,135
(B)	RESEARCH RESERVE :				
	Balance as per last account		7,204,739	—	—
	Add: Transferred from Earmarked Funds			661,111	—
	Add: Donations received during the year	5,417,618		6,543,628	—
			5,417,618		7,204,739
	Less : Expenses transferred from Income & Expenditure Account	(12,622,357)	(12,622,357)		
	TOTAL (B)		0		7,204,039
(C)	OTHERS (For Regional Councils & Branches only) :				
	Balance as per last account		2,883,673		3,091,898
	Add : Net Accretion/Adjustments duing the year	23,363		203,268	
	Add: Amount transferred from Earmarked Funds	82,194		156,475	
	Add/Less : Amount transferred from/to General Reserve	57,135		(67,968)	
			370,692		291,775
	Less : Amount transferred to Capital Reserve			(500,000)	
					(500,000)
	TOTAL (C)		3,254,365		2,883,673
	GRAND TOTAL (A)+(B)+(C)		67,155,348		42,364,547

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'E'—EARMARKED FUNDS

(Amount in Rupees)

Particulars			31-3-1994		31-3-1993
(1)	EDUCATION FUNDS :				
	Balance as per last account		4,714,990	—	—
	Transferred from Income & Expenditure Account	15 363,838		9,841,037	
	Interest earned during the year	471,499		—	
	Recovery of Loan Scholarship against old w/o	3,400		1,580	
			15,838,737		9,842,617
	Less: Transferred to Capital Reserve	(3,005,864)	(3,005,864)	(5,127,627)	(5,127,627)
	TOTAL (A)		17,547,863		4,714,990
(2)	RESEARCH FUNDS :				
	Balance as per last account		1,401,775		1,898 875
	Additions during the year	135,637		20,000	
	Income earned during the year	129,206		152,844	
			264,843		172,844
	Less : Expenditure during the year	(25,000)		(8,833)	
	Less : Transferred to Research Reserve	—	(25,000)	(661,111)	(669,944)
			1,641,618		1,401,775
(3)	MEDALS & PRIZES FUND :				
	Balance as per last account		1,031,222		968,644
	Additions during the year	157,974		46,000	
	Add : Income earned during the year	107,491		101,452	
			265,465		147,452
	Adjustments	—		(14,160)	
	Less : Cost of Medals & Prizes awarded	106.890	(106,890)	(70,714	(84,874)
			1,189,797	62,578	1,031,222
(4)	PENSION FUNDS :				
	Balance as per last account	—		—	—
	Add : Transferred from Provision for Pension Fund	5,000,000		—	—
	Additions during the year	2,588,477		—	—
	Add : Income earned during the year	651,291		—	—
			8,239,768	—	—
	Less : Expenditure during the year	(739,768)	(739,768)	—	—
			7,500,000	—	—
(5)	OTHERS FUNDS :				
	Balance as per last account		3,206,459		3,425,308
	Additions during the year	594,399		264,599	
	Add : Transferred from General Reserve	20,600		82,193	
	Add : Income earned during the year	177,665		277,850	
			792,664		624,642
	Less : Transferred to Other Reserves	(82,194)		(156,475)	
	Less : Transferred to Capital Reserves	(948,356)		—	
	Adjustments	(62,057)		(37,964)	
	Less : Expenditure during the year	(130,098)	(1,222,705)	(649,052)	(843,491)
			2,776,418		3,206,459
	TOTAL (B)		13,107,833		5,639,456
	GRAND TOTAL (A)+(B)		30,655,696		10,354,446

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA NEW DELHI
SCHEDULE 'F'—FIXED ASSETS

(Amount in Rupees)

ASSETS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Cost as at 1-4-1993	Adjustment/ Transfers	Additions during the year	Cost as at 31-3-1994	As at 1-4-1993	Adjustment/ Transfers	During the year	As at 31-3-1994	M.D.V. as at 31-3-1994	M.D.D. as at 31-3-1993
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Land	3,947,193	(7.860)	1.444.803	5,384,136	—	—	—	—	5,384,136	3,947,193
2. Buildings	26,498,422	—	1.029.399	27,527,821	6,550,276	—	1,048,877	7,599,153	19,928,668	1,9948,146
3. Electric Instalations & Fittings	4,822,740	(259,524)	77,358	4,640,574	2,103,098	(146,459)	273,446	2,230,085	2,410,489	2,719,642
4. Air Conditioners	3,249,113	274.745	—	3,523.858	1,974,498	145,130	210,634	2,338,262	1,193,596	1,274,615
5. Furniture & Fixtures	9,081,742	126,634	1.103.687	10,312,063	4,225,119	51,523	606,928	4,083,570	5,428,493	4,856,623
6. Lifts	309,911	—	—	309,911	239,224	—	7,069	246,293	63,618	70,687
7. Office Equipments	5,018,878	(210,473)	492,489	5.300,094	2,583,161	(68,681)	420,009	2,934,569	2,366,325	2,435,717
8. Vehicles	449,460	—	3,874	453,334	218,870	—	46,772	265,642	187,692	230,598
9. Library Books	7,155,484	(28,418	505,016	7,732,882	5,658,776	(27,978)	705,851	6,336,649	1,395,433	1,496,788
10. Computers	8,606,989	(24,836)	1,412,408	9,994,561	3,917,611	(16,637)	1,207,608	5,108,582	4,885,979	4,689,378
TOTAL	69,139,932	(129,732)	6,169,034	75,179,234	27,470,633	(63,022)	4,527,194	31,934,805	43,244,429	41,669,299
Previous year	63,128,204	53,827	5,957,901	69,139,932	23,153,782	(110,223)	4,427,074	27,470,633	41,669,299	—

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA NEW DELHI
SCHEDULE 'G'—EARMARKED INVESTMENTS

(Amount in Rupees)

EARMARKED FUND INVESTMENTS	Fixed Deposits with Banks/ Bonds/Units		Interest Accrued		Balance in Bank Accounts		TOTAL	
	31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	32-3-1993	31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	31-3-1993
1. Education Fund	17,547,863	4,713,410	—	—	—	1,580	17,547,863	4,714,990
TOTAL (A)	17,547,863	4,713,410	—	—	0	1,580	17,547,863	4,714,990
2. Research Funds	1,532,042	1,244,804	58,796	92,720	50,780	64,251	1,641,618	1,401,775
3 Medals and Prizes Fund	1,175,520	963,471	4,442	21,320	9,835	46,431	1,189,797	1,031,222
4. Pension Fund	7,500,000	—	—	—	—	—	7,500,000	0
5. Other Funds	2,611,841	2,868,285	83,129	140,711	81,448	197,463	2,776,418	3,206,459
TOTAL (B)	12,819,403	5,076,560	146,367	254,751	142,063	308,145	13,107,833	5,639,456
TOTAL (A+B)	30,367,266	9,789,970	146,367	254,751	142,063	309,725	30,655,696	10,354,446

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'H'—NET CURRENT ASSETS

(Amount in Rupees)

Particulars	—	31-3-1994		31-3-1994
Current Assets		6,434,97		5,3953,25
(a) Stock of Publications, Study Materials, Stationery and Paper				
(b) Amount Receivable :				
(i) Interest Accrued on Investments	4,287,100		2,951,235	
(ii) Interest on Housing & Vehicle Loans	2,349,198		2,042,766	
(iii) Security Deposits	411,919			
(iv) Other Receivables (include Rs. 6.84 lacs considered doubtful)	2,595,845	9,644,062	346,919 3,800,482	9,141,402
(c) Loans & Advances :				
(i) Advances to Staff (Housing Vehicles & Other Loans)	9,383,200		8,057,372	
(ii) Bridge Loans for Branch Bldgs	—		2,722,500	
(iii) Advances & Prepayments		2,751,673	3,417,743	
		12,134,873		14,197,615
(d) Cash & Bank Balances		21,276,983		15,200,669
Total		49,490,987		43,935,011
Less : Current Liabilities & Provisions :				
(a) Creditors for Expenses		5,316,379		6,732,627
(b) Provision for Pension Fund				5,000,000
(c) Other Liabilities		3,214,290		4,591,795
Total		8,530,669		16,324,422
Net Current Assets		40,960,228		27,610,589

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
ANNEXURE TO INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1994

[SCHEDULE 'I
(Amount in Rupees)

INCOME	TOTAL		MEMBERS				STUDENTS	
			Regulatory		Professional Development & Research			
	31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	31-3-1993
1. Entrance Fee (Allocated)	400,400	387,000	400,400	387,000	—	—	—	—
2. Membership Fee	37,945,525	34,633,044	37,945,525	34,633,044	—	—	—	—
3. Students' Registration Fee	2,262,500	1,753,535	—	—	—	—	2262,500	1,753,535
4. Students Association Fee	476,750	355,375	—	—	—	—	476,750	355,375
5. Coaching Fee	48,779,207	46,699,090	—	—	—	—	48,779,207	46,699,090
6. Examination Fee	33,167,064	19,685,644	—	—	—	22,205	33,167,064	19,663,439
7. Journal & News Letters	2,363,539	1,770,943	—	—	1,062,300	989,700	1,301,239	781,243
8. Sale of Publications	6,312,892	5,223,836	—	—	1,988,895	1,419,299	4,323,997	3,804,537
9. Computer Centres Income	1 934 081	1,758,539	—	—	1,450,561	1,318,905	483,520	439,634
10. Seminars Income	4,918,235	5,730,515	—	—	4,806,945	5,730,515	111,290	—
11. Other Income	2,196,438	2,364 073	4,197	2,110	947,153	1,044,016	1,245,088	1,317,947
12. Provisions no longer required written back	—	1·584,159	—	302,762	—	569,650	—	711,747
SUB-TOTAL	140,756,631	121,945,753	38,350,122	35,324,916	10,255,854	11,094,290	92,150,655	75,526,547
13. Interest on Investments	7,756,597	5,157,702	3,897,761	2,382,465	796,310	903,300	3,062,526	1,871,937
SUB-TOTAL	48,513,228	127,103,455	42,247,883	37,707,381	11,052,164	11,997,590	95,213,181	77,39,484
14. Prior Period Income	262,405	246,124	—	2,067	131,203	114,353	131,202	129,704
TOTAL	148,775,633	127,349,579	42,247,883	37,709,448	11,183,367	12,111,943	95,344,383	77,528,188

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
ANNEXURE TO INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1994

SCHEDULE 'J'
(Amount in Rupees)

EXPENDITURE	TOTAL		MEMBERS				STUDENTS	
			Regulatory		Professional Development & Research			
	31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	31-3-1993	31-3-1994	31 3 1993
1. Salaries & Staff Expenses	37,640,753	35,411,704	11,270,591	10,777,732	4,875,984	5,051,795	21,494,178	19,582,177
2. Printing & Stationery	3,361,478	2,822,188	1,360,554	1,080,027	544,390	543,240	1,456,534	1,98,921
3. Publications	3,103,634	2,896,142	565,859	467,575	1,029,814	874,449	1,507,961	1,554, 18
4. Journal & News Letters	7,164,028	6,704,945	—	—	5,731,223	5,363,956	1,432,805	1,340,989
5 Coaching Expenses	10,986,554	10,191,862	—	—	—	—	10,986,554	10,191,862
6. Examinations Expenses	15961,789	13,161,283	—	—	—	—	15,961,789	13,161,283
7. Postage Telephones & Telegrams	7,80,865	3,348,898	1,512,346	1,339,559	378,886	334,890	1,890,433	1,674,449
8. Rent, Rates & Taxes	4,356,300	3,528,623	1,742,520	1,411,449	435,630	352,862	2,178,150	1,764,312
9. Repairs & Maintenance	2,119,914	1,734,320	847,965	693,728	211,992	173,432	1,059,957	867,160
10 Travelling & Conveyance								
(a) Council Members	4,308,565	3,660,623	1,134,841	897,322	1,936,306	1,788,607	1,237,418	974,694
(b) Staff & Others	2,399,781	2,143,131	997,922	895,670	306,650	244,147	1,095,809	1,003,114
11. Library Maintenance	300,479	220,112	—	—	75,119	55,028	225,360	165,084
12. Overseas Relations	4,054,831	3,318,557	—	—	4,054,831	3,318,557	—	—
13. Professional Fees	784,331	662,621	456,150	207,385	67,181	342,027	181,000	113,209
14. Grants & Fees to Stds Assns.	120,450	129,450	—	—	—	—	120,450	129,450
15. Computer Centres Expenses	636,393	640,381	—	—	477,295	480,286	159,098	160,095
16. Seminars Expenses	5,807,479	6,274,186	—	—	5,637,986	6 274,186	169,493	—
17. Other Expenditures	2,895,798	2,988,234	610,097	691,570	1,140,055	1,065,816	1,145,646	1,230,848
18 Depreciation	4,527,194	4,427,074	1,810,877	1,770,830	452,720	442,707	2,263,597	2,213,537
SUB TOTAL	114,230,616	104,264,334	22,309,722	20,233,047	27,354,662	26,705,985	64,566,232	57,325,302
19. Prior Period Expenditure	100,953	783,632	—	56,328	50,477	206,490	50,476	520,814
SUB TOTAL	114,331,569	105,047,966	22,309,722	20,289,375	27,405,139	26,912,475	64,616,708	57,846,116
Less: Met out of Research Reserve	12,622,357				12,622,357			
TOTAL	101,709,212	105,047,966	22,309,722	20,289,375	14,782,782	26,912,475	64,616,708	57,846,116

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1994

(Rs. in lakhs)

	1993—94	1992—93
SOURCES OF FUNDS :		
Net Income from Investments	77.58	51.58
Capital Receipts	38.92	111.84
Fees/ Income Received in Advance	20.55	117.12
Sub-Total	137.05	280.54
Operational Surplus	438.35	215.71
Total	575.40	496.25
APPLICATION OF FUNDS :		
Increase in working Capital	133.49	16.98
Acquisition of Fixed Assets	115.64	171.70
Acquisition of Investments	326.27	307.57
Total	575.40	496.25

STATEMENT OF CHANGES IN WORKING CAPITAL

(Rupees in lakhs)

	1993-94	1992-93
CURRENT ASSETS		
(a) Publications, Papers, Study Materials & Stationery etc.	10.40	(13.85)
(b) Amount Receivable :		
(i) Interest accrued on Investments	13.36	5.71
(ii) Interest on Housing Loans etc.	3.06	2.48
(iii) Security Deposits	0.65	(2.95)
(iv) Others	(12.04)	20.01
(c) Loans & Advances :		
(i) Advance to Staff	13.26	1.09
(ii) Bridge Loan for Branch Bldgs	(27.23)	26.50
(iii) Advances & Prepayments	(6.66)	2.92
(d) Cash & Bank Balances	60.76	(2.57)
Total	55.56	39.34
CURRENT LIABILITIES :		
(a) Creditors for Expenses	(14.16)	(22.65)
(b) Others Liabilities	(13.77)	15.01
(c) Provision for Pension Fund	(50.00)	30.00
Total	(77.93)	22.36
Net Increase in Working Capital	133.49	16.98

A. K. MAJUMDAR
Secy

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 12th August 1994

No. U-16/53/94-Med. II(W.B.)—In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulations 1950, I hereby authorise (Lt. Col.) Dr. P.K. Bhattacharyya of Calcutta centre to function as medical authority w.e.f. 1-9-94 to 31-8-95 or till a Full-Time Medical Reference joins, whichever is earlier, for Calcutta Centre at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons and the area to be allocated by the Dy. Medical Commissioner (East Zone) Calcutta for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

L.B. PRIYAR
Director General

New Delhi, the 30th August 1994

CORRIGENDUM

No. N-12/13/2/92-P&D: In the Employees State Insurance Corporation Notification No. N-12/13/2/92-P&D dated 22nd April 1994 published in the Gazette of India, No. 21 Part-III Section 4 dated 21 May 1994 on page 2660-2661 the following corrections may be made:—

Sl. No.	Page No.	Column	Line	For	Read
1.	2660	1	7	1311-1993	13-11-1993
2.	2660	2	2	QUADRAPLICATE	QUADRUPLICATE
3.	2660	2	13	Persion	Period
4.	2660	2	17	every employed	every employee employed
5.	2660	2	65 (No. 6 of important instructions)	Stanmp	Stamp

O. ABDUL HAMEED
Director (P&D)

New Delhi, the 2nd September 1994

No. A-12/11/14/89 E. I(A)—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 97 read with sub-section (2) & sub-section (2-A) of that section, section 16 and sub-section (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 as amended by 29 of 1989) and in supersession of the E.S.I. Corporation (Medical Commissioner) Recruitment Regulations, 1991 except in respect of things done or committed to be done before such supersession, the Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Medical Commissioner as under :—

1. Short Title and Commencement :

(i) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Medical Commissioner) (Amendment) Recruitment Regulations, 1994

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette of India.

2. Number of posts, Classification and scale of pay :

The number of said post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the schedule annexed to these regulations.

3. Method of Recruitment, age limit, qualifications etc. :

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column 5 to 14 of the said schedule.

4. Disqualification :

No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person;

Shall be eligible for appointment to the said post provided that the Director General, may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

5. Power to Relax :

Where the Director General of the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Central Government relax any of the provisions of these regulations with respect to any clause or category of persons.

6. Residuary Power :

Subject to the provisions of these regulations, all regulations and condition as laid down in the ESIC (Recruitment) Regulations, 1965 as amended from time to time applicable to Group 'A' posts shall apply to the post specified in the schedule annexed to these regulations.

7 Savings :

Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the scheduled castes, scheduled tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt. from time to time in this regard.

L. B. PARIYAR
Director General

SCHEDULE

RECRUITMENT REGULATIONS FOR MEDICAL COMMISSIONER IN THE E. S. I. CORPORATION

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Medical Commissioner	1* *subject to variation depending upon work-load	Gr. 'A' (Non-Ministerial)	Rs. 5900-200-6700-plus non-practising allowance as admissible to anologous posts under the Central Government.

Whether Selection Post or Non-Selection Post	Whether Benefit of Added Years of Service Admissible Under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules 1972	Age Limit For Direct Recruits
5	6	7
Selection	Applicable to direct recruits only	Not exceeding 50 years (Relaxable for employees of the ESIC and the Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions and orders issued by the Central Govt.) **NOTE:** The crucial date for determining the age limit shall be closing date of receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh division of J&K state, Lahaul & Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other Qualifications Required for Direct Recruits	Whether age and Educational Qualifications Prescribed for Direct Recruits Will Apply in the case of Promotees
8	9
(i) A recognised medical qualifications included in the first or second schedule of Part-II of third schedule (other than licentiate qualifications) to th Indian Medical Council Act 1956- Holders of educational qualificaitons included in Part-II of the third schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of Section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956. (ii) Post Graduate qualifications (Degree/Diploma) recognised by the Medical Council of India. (iii) At least 16 years standing in the profession involving extensive practical and adminstrative experience. **NOTE** 1 : Qualifications relaxable at the descretion of competent authority in case of candidates otherwise well qualified. **NOTE 2**: The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes if at any stage of selection the Competant Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be a available to fill up the vacancies reserved for them.	Not Applicable

Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by Direct Recruitment/by Promotion/Deputation /Transfer And Percentage of the Vacancies to be Filled by Various Methods
10	11
1 year (For Direct recruits)	By transfer failing which by transfer on deputation (including short term contract) and failing both by direct recruitment.

In case of Recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/ Deputation/transfer to be made

12

(a) By transfer of SAG in General Duty Medical Officers sub-cadre and of SAG in specialist sub-cadre with 2 years experience in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

FAILING (a) ABOVE

(b) TRANSFER ON DEPUTATION

Medical Officers under the Central/State Govt. Service/Public Sector Undertakings holding analogous posts.

NOTE NO. 1 The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 3 years.

NOTE NO. 2 The eligibility list of officers shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade.

If a D.P.C. exist, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in Making recruitment
13	14
No DPC— Selection Committee will be constituted by the Director General ESI Corporation with the prior approval of Chairman, ESI Corporation.	Not Applicable

DPC FOR CONSIDERING— CONFIRMATION (FOR DIRECT RECRUITS)

(i) Secretary, Ministry of Labour Government of India . . . . . CHAIRMAN

(ii) Director Genral, E.S.I Corporation . . . . . MEMBER

L.B. PARIYAR
Director General

REGIONAL OFFICE ORISSA

Bhubaneswar-7, the 25th August 1994

Sub : Re-Constitution of Local Committee under the E.S.I. Act at I.D.L. Chemicals Ltd., Rourkela.

No. 44-V-34/12/12/82-Bft—It is hereby notified that Local Committee I.D.L. Chemicals Ltd., Area (Rourkela) in District of Sundargarh has been reconstituted under Regulation 10-A of the E.S.I. (General) Regulation-'950 consisting of the following members with effect from the date of issue of this notification.

Chairman

1. Under Regulation 10-A (i) (a)
Additional District Magistrate, Rourkela

Member (Govt. Nommince)

2. Under Regulation 10-A (i) (b)
District Labour Officer, Rourkela

Ex-Officio Member.

3. Under Regulation 10-A (i) (c)
Insurance Medical Officer In-Charge, E.S.I. Dispensary, I.D.L. Chemicals Ltd., Rourkela.

4. Under Regulation 10-A (i) (d)
Employer's representatives

Member

(i) Sri R. K. Das, Executive (I. R.)
M/s. I.D.L. Chemicals Ltd., Rourkela

Member

(ii) Sri D. B. Padhi, Executive (F. M.)
M/s. I. D. L. Chemicals Ltd., Rourkela

5. Under Regulation 10-A (i) (e)
Employees' representatives

Member

(i) Sri B. B. Sahoo,
Indian Detonators Mazdoor Sabha, Rourkela

Member

(ii) Sri K. C. Sutar,
I. D. L. Chemicals Workers Union, Balijodi, Rourkela

Member & Ex-Officio Secretary.

6. Under Regulation 10-A (i) (f)
Manager, Local Office,
E. S. I. Corporation, Rourkela.

A. K. SINHA
Regional Director

Sub : Re-Constitution of Local Committee.

No. 44-V-34/12/17/82-Bft—It is hereby notified that the Local Committee, Barbil Area set up under Regulation-10-A of the E. S I. (General) Regulations 1950 has been re-constituted consisting of the following members with effect from the date of issue of this notification.

Chairman

1. Under Regulation 10-A (i) (a)
Sub-Collector, Champua

Member

2. Under Regulation 10-A (i) (b)
District Labour Officer, Keonjhar

Member

3. Under Regulation 10-A (i) (c)
Insurance Medical Officer In-Charge,
E. S. I. Dispensary, Barbil

4. Under Regulation 10-A (i) (d)
Employer's representatives

Member

(i) Sri Indu Bhusan Mishra,
Dy. Manager (PNL) Kalinga Iron Works & Spun Pipe Division, Barbil.

Member

(ii) Smt. Snehalata Samantaray,
Asst. Manager (PNL) Kalinga Iron Works & Spun Pipe Division Barbil.

5. Under Regulation 10-A (i) (e)
Employees' representatives

Member

(i) Sri U. K. Prusty, General Secretary,
Kalinga Iron Works Workers Union,
Matkambeda, Keonjhar.

Member

(ii) Sri P. K. Panda, Joint Secretary,
Kalinga Iron Works Workers Union,
Matkambeda, Keonjhar.

Member & Ex-Officio Secretary.

6. Under Regulation 10-A (i) (f)
Manager, Local Office,
E. S. I. Corporation, Barbil.

A. K. SINHA
Regional Director

Sub : Re-Constitution of Local Committee.

No. 44-V-34/12/23/83-Bft.—It is hereby notified that the Local Committee, Jagtpur Area set up under Regulation-10 (A) of the E. S. I. (General) Regulations-1950 has been re-constituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

Chairman

1. Under Regulation 10-A (i) (a)
Sub-Collector, Cuttack.

Member

2. Under Regulation 10-A (i) (b)
District Labour Officer, Cuttack

Member

3. Under Regulation 10-A (i) (c)
The Insurance Medical Officer-In-Charge,
E. S. I. Dispensary, Jagatpur.

4. Under Regulation 10-A (i) (d)
Employers' representatives

Member

(i) Sri J. S. Pillai, Sr. Manager (Opn)
Orissa, Polytex Industries (P) Ltd.,
Jagatpur, Cuttack.

Member

(ii) Sri Dayanidhi Biswal, Manager,
Cosboard Industries Ltd., New Industrial Estate, Jagatpur, Cuttack.

Member

(iii) Sri B. C. Mohanty, Managing Director,
Orebean (P) Ltd., D-2/8, New Industrial Estate, Jagatpur, Cuttack.

5. Under Regulation 10-A(i) (e)
Employees' representatives.

Member

(i) Sri Narottam Parida. Stenographer,
Paradeep Oxygen (P) Ltd.,
New Industrial Estate, Jagatpur,
Cuttack.

Member

(ii) Sri Purna Chandra Das, President
Tr'pty Drinks Workers Union,
Jagatpur, Cuttack.

(iii) Sri Basant Kumar Sahoo, General Secretary,
Jagatpur, Silpanchala Sharmik Sangha,
Jaunliapati, Cuttack.

Member & Ex-Officio Secretary.

6. Under Regulation 10-A (i) (f)
Manager, Local Office,
E. S. I. Corporation,
Kalyaninagar, Cuttack.

A. K. SINHA
Regional Director

Sub : Re-Constitution of Local Committee.

No. 44-V-34/12/23/83-Bft.—It is hereby notified that the Local Committee Kalunga Area set up under Regulation-10 (A) of the E. S. I. (General Regulation-1950 has been re-constituted consisting of the folliwing members with effect from the date of the issue of this notification.

Chairman

1. Under Regulation-10 A (i) (a)
Sub-Collector, Panposh

Member (Govt. Nominee)

2. Under Regulation-10 A (i) (b)
District Labour Officer, Rourkela

Member

3. Under Regulation-10 A (i) (c)
The Insurance Medical Officer-In-Charge,
E. S. I. Dispensary, Kalunga

4. Under Regulation-10 A (i) (d)
Employers' representatives

Member

(i) Sri Rajesh Sharma, Executive Officer,
M/s. Char'ot Cement Co.,
Industrial Estate, Kalinga-31.

Member

(ii) Sri R. R. Minz, Personnel Officer. M/s. Indo Flogate Ltd., Kalunga.

5. Under Regulation-10 A (i) (c) Employees' representatives

Member

(i) Sri Bishnu Mohanty, General Secretary, Sundargarh Industrial Mazdoor Union, Rourkela.

Member

(ii) Sri H. Roul, President, Indo Flogate Sharmik Sangh, Rourkela

Member & Ex-Officio Secretary.

6. Under Regulation-10 A (i) (f) Manager, Local Office, E. S. I. Corporation, Rourkela.

A. K. SINHA,
Regional Director

REGIONAL OFFICE : BIHAR

Patna, the 24th August 1994

Under No. 42-V-34/11/1/78. Estt. I—It is hereby notified that Local Committee. Patna with the approval of Government of Bihar has been reconstituted for Patna Area under Regulation 10-A of Employees' State Insurance General Regulations 1950 with the following members with effect from the date of notification.

Chairman

Under Regulation 10-A-1(a)

1. Dy. Labour Commissioner, Patna.

Member

Under Regulation 10-A-1 (c)

2. Insurance Medical Officer Incharge Employees' State Insurance Dispensary, Jamal Road, Patna.

Member

Under Regulation 10-A-1 (d)

3. General Manager, M/s. Baidyanath Ayurved, Chiraiyan Tand, Patna

Member

4. Chief Personnel Officer, Bihar State Road Transport Corpn., Par'wahan Bhawan. Birchand Patel Road, Patna.

Member

5. Director, Personnel Bihar State Electricity Board Bailey Road, Patna.

Member

Under Regulation 10-A-1(c)

6. Sri Ashok Kumar Trivedi Mahamantri, Bihar State Road Transport Corporation Workers' Union, Anne Besent Road, Patna.

Member

7. Sri Chandra Prakash Singh, Organising Secretary, INTUC Kadam Kuan, Patna.

Member

8. Sri Amrendra Mishra, Mahamantri, Bihar State Electricity Board Field Workers' Union, Jahaji Kothi, Kankarbagh, Patna.

Member Secretary

Under Regulation 10-A-1 (f)

9. Manager, Local Office Employees' State Insurance Corporation, Patna.

K. MISHRA
Regional Director

Under No. 42. V. 34/11/1/78 Estt. I—It is hereby notified that Local Committee. Ranchi with the approval of Government of Bihar has been reconstituted for Ranchi Area under Regulation 10-A of Employees' State Insurance General Regulations, 1950 with the following members with effect from the date of notification.

Chairman

Under Regulation 10-A-1 (a)

1. Deputy Labour Commissioner, Ranchi.

Member

Under Regulation 10-A-1 (c)

2. Insurance Medical Officer Incharge Employees' State Insurance Dispensary, Kokar, Ranchi.

Under Regulation 10-A-1 (d)

3. Sri B. N. Sinha, General Manager (P & RI) Usha Martin Industries Ltd., Tatisilway, Ranchi.

Member

4. Sri R.S.B. Verma, Divisional Manager (Administration) Sri Ram Bearing Ltd., Ratu Road, Ranchi.

Member

5. Sri L.D. Pandaya, Manager (Personnel) Vaxpol Industries Ltd., Tatisilway, Ranchi.

Member

Under Regulation 10-A-1-(c)

6. Sri Gulshan Lal Ajmani, M.L.A. Acting Chairman, Engineering Workers' Union, Tatisilway, Ranchi.

Member

7. Sri Jiteswar Munda,
General Secretary
Bharat Bal Bearing Employees' Union,
Ratu Road, Ranchi.

Member

8. Sri D.K. Sharma,
General Secretary,
Vaxpol Industries Workers' Union
Tatisilway, Ranchi.

Member Secretary

Under Regulation 10-A-1 (f)

9. Manager,

Employees' State Insurance Corporation
Ranchi.

K. MISHRA
Regional Director

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 25th August 1994

No. UT/DBDM/95A/SPD 68/94-95—The amendments to the provisions of the Grihalakshmi Unit Plan 1994 formulated under Section 19(1) (8) (C) of the Unit Trust of India Act and the Grihalakshmi Unit Scheme 1994 made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 17th August 1994 are published herebelow.

G. PRADEEP KUMAR
Dy. Manager,
Business Development & Marketing

AMENDMENTS TO THE PROVISIONS OF GRIHALAKSHMI UNIT PLAN 1994

A new Clause XIX on 'Reinvestment of income distribution' is included in the provisions of the Plan as under :

XIX. REINVESTMENT OF INCOME DISTRIBUTION

The member shall while applying for units or thereafter have the option to reinvest the income receivable in respect of the units held in further units. In the event of an exercise of such an option the whole of the income distributable instead of being paid to the member in the manner provided in Clause XVIII hereinabove shall, after deduction of tax, if any be reinvested in further units at a price as may be decided by the Trust. A statement detailing the dividend distributable, tax deducted, if any and the units alloted in lieu thereof shall be forwarded to the member. No member shall be entitled to call for the issue of a Membership Advice in respect of the units so alloted. A member who has opted for the reinvestment facility as aforesaid shall on an application in writing and on surrender of the last statement issued be permitted to have the units to his credit repurchased at the repurchase price prevailing then as per the terms of the clause permitting repurchase. On repurchase of the original units, the units issued under this facility shall automatically stand repurchased.

The units allotted under the reinvestment facility under this clause are not subject to the conditions and stipulations governing the parent units in respect of the minimum holding.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1994
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1994